अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत संगठन :–

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम), नई दिल्ली
2. केन्द्रिय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी), नई दिल्ली
3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी), नई दिल्ली
4. राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (नावाडको), नई दिल्ली
5. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ), नई दिल्ली
6. दरगाह ख्वाजा साहेब (डीकेएस), अजमेर
7. आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक (सीएलएम), नई दिल्ली

Organisation under the Ministry of Minority Affairs:-

1. National Commission For Minorities (NCM), New Delhi
2. Central Waqf Council (CWC), New Delhi
3. National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC), New Delhi
4. National Waqf Development Corporation (NAWADCO), New Delhi
5. Maulana Azad Educational Foundation (MAEF), New Delhi
6. Durgah Khawaja Saheb (DKS), Ajmer
7. Commissioner For Linguistic Minorities (CLM), New Delhi

www.minorityaffairs.gov.in

Ministry of Minority Affairs

Annual Report 2016-17

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत संगठन :–

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम), नई दिल्ली
2. केन्द्रिय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी), नई दिल्ली
3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी), नई दिल्ली
4. राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (नावाडको), नई दिल्ली
5. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ), नई दिल्ली
6. दरगाह ख्वाजा साहेब (डीकेएस), अजमेर
7. आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक (सीएलएम), नई दिल्ली

Organisation under the Ministry of Minority Affairs:-

1. National Commission For Minorities (NCM), New Delhi
2. Central Waqf Council (CWC), New Delhi
3. National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC), New Delhi
4. National Waqf Development Corporation (NAWADCO), New Delhi
5. Maulana Azad Educational Foundation (MAEF), New Delhi
6. Durgah Khawaja Saheb (DKS), Ajmer
7. Commissioner For Linguistic Minorities (CLM), New Delhi

www.minorityaffairs.gov.in

Ministry of Minority Affairs

Annual Report 2016-17

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2016-17

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
Government of India, Ministry of Minority Affairs

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2016-17

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
Government of India, Ministry of Minority Affairs

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2016 - 17

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

Ministry of Minority Affairs
Government of India

Web - site : www.minorityaffairs.gov.in

विषय सूची

अध्याय सं0	अध्याय शीर्षक	पृष्ठ सं.
	कार्यकारी सारांश	1–3
1	प्रस्तावना	4 – 7
2	बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसडीपी)	8 – 11
3	छात्रवृत्ति योजना	12 – 13
4	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	14
5	नया सवेरा – निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	15
6	नई उड़ान	16
7	पढो परदेश	17
8	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना – नई रोशनी	18 – 19
9	नई मंजिल	20
10	उत्तर–पूर्व क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन	
	के लिए योजना–वार बजट आबंटन	21
11	अल्पसंख्यकों हेतु कौशल विकास पहल	22 – 23
12	उस्ताद	24 – 25
13	भारत में पारसियों की कम होती जनसंख्या को रोकने की योजना	26
14	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान की योजना	27
15	आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक	28 – 29
16	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	30 – 31
17	वक़्फ प्रशासन, केन्द्रीय वक़्फ परिषद एवं राष्ट्रीय वक़्फ विकास निगम	32 – 41
18	दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर	42 – 45
19	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	46 – 48
20	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	49
21	अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम	50 – 54
22	सच्चर समिति की रिपोर्ट और अनुवर्ती कार्रवाई	55 –62
23	हज प्रभाग	63 – 65
24	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	66
25	शासकीय लेखापरीक्षा	67
26	स्वच्छ भारत मिशन	68 – 70
27	नागरिक/सेवार्थियों का चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र	71
28	अनुलग्नक I से VII	72 – 85

कार्यकारी सारांश

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की उपलब्धियां

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना 29 जनवरी, 2006 को की गई थी। इसे 6 (छह) अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यथा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन, जो भारत की आबादी का 19% से अधिक हैं, के कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने का अधिदेश दिया गया है। अक्तूबर, 2016 से मंत्रालय को हज यात्रा के प्रबंधन का भी अधिदेश दिया गया है।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने शैक्षिक–सशक्तिकरण; अवसंरचना विकास; आर्थिक सशक्तिकरण; विशेष जरूरतों को पूरा करने; और अल्पसंख्यक संस्थानों के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अल्पसंख्यकों के विकास के लिए मंत्रालय ने बहु–शाखी रणनीति अपनाई है।
- मंत्रालय की कल्याण और विकास योजनाएं अल्पसंख्यकों के गरीब और वंचित वर्गों पर केन्द्रित हैं। अधिकांश योजनाओं में पात्रता मानदंड आर्थिक आधार पर तैयार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनके लाभ गरीब और वंचित वर्गों तक पहुंचें।
- शैक्षिक योजनाएं सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों और उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने तथा अच्छी गुणवत्ता की कोंचिग प्रदान करने के लिए सहायता देने को कवर करती हैं ताकि अल्पसंख्यक सरकारी और प्राइवेट नौकरियां प्राप्त कर सकें।
- ''स्किल इंडिया मिशन'' और ''मेक इन इंडिया मिशन'' के अनुरूप मंत्रालय ने नौकरी से जुड़ी अपनी ''सीखो और कमाओ'' योजना का सुदृढ़ीकरण और विस्तार किया है तथा पारंपरिक कलाओं/शिल्पों के संरक्षण के लिए ''उस्ताद'' और अल्पसंख्यकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा को कौशल से जोड़ने के लिए ''नई मंजिल'' नामक नई योजनाएं कार्यान्वित की हैं।
- शिक्षा के लिए अवसंरचना विकास, कौशल और स्वास्थ्य के लिए बड़ी परियोजनाएं कवर करने के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) का पुनर्अभिमुखीकरण किया गया है। 2016–17 से 'सद्भाव मंडप' (बहु–उद्देशीय सामुदायिक केन्द्र) के निर्माण और आवासीय स्कूलों की स्थापना को बढ़ावा देते हुए कार्यक्रम ने सामाजिक विकास के सुदृढ़ीकरण के लिए परिसंपत्तियों को भी कवर किया है।
- जनता तक सीधे पहुंचने और सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु फीडबैक/सुझाव प्राप्त करने के लिए हरियाणा में मेवात और उत्तराखंड में उधम सिंह नगर सहित विभिन्न स्थानों पर 'प्रोग्रेस पंचायतें' आयोजित की गई।
- ''नई रोशनी'' के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम हैं। अन्य विशेष कार्यक्रमों में पारसी समुदाय की घटती आबादी को रोकने के लिए ''जियो पारसी'' योजना और भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत और संस्कृति के संरक्षण के लिए ''हमारी धरोहर'' योजना शामिल हैं।
- डिजीटल इंडिया अभियान के अनुरूप मंत्रालय सभी छात्रवृत्ति योजनाओं को डीबीटी मोड में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर लाया है। इसके अतिरिक्त सीखो और कमाओ, नई रोशनी, नई उड़ान के लिए भी आनलाइन पोर्टल विकसित और चालू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने हाल ही में हज के लिए एक मोबाइल ऐप्प भी लांच किया है। मंत्रालय ने ई–आफिस मोड में शिफ्ट होने के लिए भी कार्रवाई की है।
- मंत्रालय ने उत्तर–पूर्व सहित देशभर में दूरदर्शन नेटवर्क, एफएम चैनलों सहित आकाशवाणी के नेटवर्क, प्राइवेट एफएम चैनलों, प्राइवेट टीवी चैनलों, वेबसाइटों, सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

के माध्यम से प्रचार के लिए मल्टी–मीडिया अभियान भी चलाया है। इसके अतिरिक्त पारंपरिक शिल्पों/कलाओं को बढ़ावा देने और उनका बाजार से संबंध सुदृढ़ करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2016 में 'हुनर हाट' आयोजित करते हुए बाह्य प्रचार किया गया।

- मंत्रालय ने 16 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2016 तक ''स्वच्छता पखवाड़ा'' आयोजित किया और इसमें पूरे मंत्रालय ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने दिल्ली और इसके आस–पास के क्षेत्रों में धार्मिक स्थानों जैसे गुरूद्वारा रकाबगंज, बौद्ध बिहार, जैन मंदिर, हनुमान मंदिर आदि को स्थानीय सिविक एजेंसियों के साथ सफाई अभियान के लिए चुना और पखवाड़ा के दौरान जागरूकता पैदा की।

- 31.12.2016 तक मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित अनुसार हैं:

  - वर्ष 2016 के दौरान अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/नगरों में अवसंरचना के सृजन के लिए निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाएं बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित की गई हैं:

    (क)अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आवासीय स्कूलों का निर्माण : 18 स्कूल, 278 करोड़ रु. (केन्द्रीय हिस्सा 166 करोड़ रु.)।

    (ख)सद्भाव मंडपों का निर्माण : 161 मंडप, 114 करोड़ रु. (केन्द्रीय हिस्सा 68.40 करोड़ रु.)।

    (ग)अतिरिक्त कमरों/स्कूल इमारतों का निर्माण : 4042

    (घ)छात्रावासों का निर्माण : 84

  - 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय वर्ष 2015–16 (31.10.2016 के अनुसार) तक मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अधीन 2,68,63,393 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 3777.97 करोड़ रु. जारी किए गए है।

  - 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय वर्ष 2015–16 (31.10.2016 के अनुसार) तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अधीन 32,13,211 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 1727.30 करोड़ रु. जारी किए गए है।

  - 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय वर्ष 2015–16 (31.10.2016 के अनुसार) तक मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के अधीन 4,40,986 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 1181.19 करोड़ रु. जारी किए गए है।

  - वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अधीन यूजीसी को 79.85 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। इसमें से 76.89 करोड़ रु. की राशि 15.12.2016 के अनुसार पात्र स्कॉलरों को संवितरित की जा चुकी है। 2016–17 के लिए यूजीसी द्वारा अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने के लिए नए 756 छात्रों का चयन किया गया है।

  - निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अधीन कोचिंग प्रदान करने के लिए 29 एनजीओ/संस्थानों को 13.68 करोड़ रु. (अनंतिम) का सहायता–अनुदान (15.12.2016 के अनुसार) जारी किया गया है।

  - वित्तीय वर्ष 2016–17 (15.12.2016 के अनुसार) के दौरान नई उड़ान योजना (संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सहायता) के अधीन 596 अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2.98 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

  - वर्ष 2016–17 के दौरान, पढ़ो परदेश (विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज

इमदाद की योजना) के अधीन 727 अभ्यर्थियों (15.12.2016 के अनुसार) के नवीकरण के लिए ब्याज इमदाद हेतु नोडल बैंक (केनरा बैंक) को 4.00 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

- "सीखो और कमाओ" के अधीन 2016–17 के दौरान 210.00 करोड़ रु. की राशि से 1,25,000 अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 31.12.2016 तक 89920 अल्पसंख्यक युवाओं के लिए प्रशिक्षण आबंटित किया गया है और 54.57 करोड़ रु. के साथ 30,540 अल्पसंख्यक युवाओं के लिए स्वीकृति जारी की गई है।
- 2016–17 के दौरान "अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना" (नई रोशनी) के तहत 69,150 महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए 31.12.2016 तक 13.76 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।
- चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान (30.11.2016 तक) एनएमडीएफसी द्वारा सावधि ऋण और लघु वित्त के तहत 45084 लाभार्थियों को 184.75 करोड़ रु. के ऋण प्रदान किए गए हैं।
- इस वर्ष हज कोटा 34,000 से अधिक बढ़ाते हुए कुल 1,70,000 हो गया है। हज–2017 के लिए आवेदन फार्म भरने के लिए एक नई समर्पित वेबसाइट www.haj.gov.in और एक मोबाइल ऐप्प भी लांच किए गए हैं।
- भारत में पारसियों की घटती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए केंद्र क्षेत्र की योजना "जियो पारसी" योजना के अधीन 2016–17 (31.12.2016 तक) के दौरान चिकित्सा सहायता और पक्षसमर्थन तथा आउटरीच कार्यक्रम के लिए 1.18 करोड़ रु. की निधियां जारी की गई।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के बीच समझौता ज्ञापन लोकसभा और राज्य सभा में रखा गया।
- वर्ष 2016–17 के लिए बजट प्राक्कलन (बीई) 3827.25 करोड़ रु. है और संशोधित प्राक्कलन (आरई) स्तर पर भी इतना ही रखा गया है। 31.12.2016 तक व्यय 1173.14 करोड़ रु. था।

अध्याय –1

प्रस्तावना

1.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में से किया गया था और पांच अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिक्ख, पारसी से संबंधित मामलों पर और अधिक अभिकेन्द्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए 29 जनवरी, 2006 को इसे सृजित किया गया था। जैनों को भी दिनांक 27 जनवरी, 2014 की अधिसूचना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल किया गया है। मंत्रालय का अधिदेश अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए समग्र नीति तैयार करने और योजना, समन्वयन, मूल्यांकन, विनियामक एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करना है।

संकल्पना एवं मिशन

1.2 इस मंत्रालय की संकल्पना अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाना तथा हमारे राष्ट्र के बहु– जातीय, बहु–सांस्कृतिक, बहु–भाषायी एवं बहु–धार्मिक स्वरूप के सुदृढ़ीकरण के लिए वातावरण निर्मित करना है।

1.3 मिशन सकारात्मक कार्रवाई तथा समावेशी विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों को बेहतर बनाना है ताकि प्रत्येक नागरिक को सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय रूप से भागीदारी करने का समान अवसर प्राप्त हो, अल्पसंख्यक समुदायों हेतु शिक्षा, रोजगार, आर्थिक क्रियाकलापों में समान हिस्सेदारी को सुग्राही बनाना तथा उनका उत्थान सुनिश्चित करना है।

1.4 श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का प्रभार संभाला हुआ है। मंत्रालय के सचिव के कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए चार संयुक्त सचिव तथा एक संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार तथा एक उप महानिदेशक हैं। मंत्रालय की स्वीकृत नफरी 118 अधिकारियों/कर्मचारियों की है और इस समय 76 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। मंत्रालय का पदधारिता विवरण **अनुलग्नक– I** तथा मंत्रालय का चार्ट **अनुलग्नक– II** पर दिया गया है। हालांकि मंत्रालय के अधिकांश बहु–प्रकृति के कार्य इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं, तथापि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधिकारियों/संगठनों द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाती है।

1.5 आरंभ में, अल्पसंख्यकों के लिए 07 कल्याण योजनाएं थीं। बाद में मंत्रालय द्वारा कई नवीन कल्याण योजनाओं का शुभारंभ किया गया और इस समय मंत्रालय द्वारा 22 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप कार्यभार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। मंत्रालय का कार्यभार बढ़ गया है किंतु कर्मचारियों की कमी अभी तक चल रही है। बढ़े हुए कार्यभार से निपटने के लिए तथा विभिन्न योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्स आधार पर कंसल्टेंट्स, जूनियर कंसल्टेंट्स, सीनियर एसोसिएट्स, जूनियर एसोसिएट्स, प्रोग्राम सपोर्ट को–आर्डिनेटर, प्रोग्राम सपोर्ट असिस्टेंटस, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा चपरासियों को संविदा के आधार पर नियोजित किया है।

20 सितंबर, 2016 को नई दिल्ली में पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स का पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन के रूप में नामकरण समारोह।

कार्यों का आबंटन

1.6 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 की दूसरी अनुसूची के अनुसार इस मंत्रालय को आबंटित किए गए विषय इस प्रकार हैं:–

i. अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विनियामक तथा विकास कार्यक्रमों पर समग्र नीति, योजना तैयार करना, समन्वय, मूल्यांकन तथा समीक्षा करना।
ii. कानून और व्यवस्था से संबंधित मामलों को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी मामले।
iii. केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकार के परामर्श से अल्पसंख्यकों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए नीति की पहलें करना।
iv. भाषायी अल्पसंख्यकों तथा आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक के कार्यालय से संबंधित मामले।
v. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम से संबंधित मामले।
vi. शरणार्थी सम्पत्ति अधिनियम, 1950 (1950 का 31), (अब निरस्त) के प्रशासन के अंतर्गत शरणार्थी वक्फ़ सम्पत्तियों से संबंधित कार्य।
vii. एंग्लो–इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व।
viii. विदेश मंत्रालय के परामर्श से 1955 के पंत–मिर्जा समझौते के अनुसार पाकिस्तान में गैर– मुस्लिम पूजा स्थलों और भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों का संरक्षण और परिरक्षण करना।
ix. विदेश मंत्रालय के परामर्श से पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रश्न।
x. धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान, विभाग में निपटाए जा रहे विषयों से संबंधित धर्मार्थ एवं धार्मिक स्थायी निधि।
xi. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सहित अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक संगठनों के सामाजिक– आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक स्थिति से संबंधित मामले।
xii. वक्फ (संशोधित) अधिनियम, 2013।
xiii. दरगाह ख़्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 (1955 का 36)।
xiv. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम सहित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का वित्त पोषण।
xv. अल्पसंख्यकों के लिए केन्द्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ–साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर।
xvi. अन्य संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित उपाय करना।
xvii. धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के मध्य सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग।
xviii. अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम।
xix. राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम के माध्यम से वक्फ संपत्तियों का विकास।
xx. अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कोई अन्य विषय।
xxi. हज समिति अधिनियम, 1959 (1959 का 51) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के संचालन सहित हज यात्रा का प्रबंधन।

राजभाषा का प्रयोग

1.7 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में भारत सरकार की सुविचारित राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक संयुक्त निदेशक (राजभाषा), एक सहायक निदेशक (राजभाषा), एक वरिष्ठ अनुवादक और तीन कनिष्ठ अनुवादकों के पद स्वीकृत हैं। फिलहाल, मंत्रालय में संयुक्त निदेशक (राजभाषा) और कनिष्ठ अनुवादक के दो पद रिक्त हैं।

1.7.1 मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात जैसे संकल्प, सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रशासनिक रिपोर्टें तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए।

1.7.2 राजभाषा अधिनियम और इसके उपबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जांच बिंदु बनाए गए हैं।

1.7.3 अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए मंत्रालय की सभी योजनाएं यथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मैरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों, बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, सीखो और कमाओ, अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास हेतु नई रोशनी योजना, पढ़ो परदेश, हमारी धरोहर, उस्ताद, प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम, नई मंजिल योजना आदि से संबंधित सामग्री राजभाषा हिंदी में प्रकाशित कराई गई।

1.7.4 माननीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है।

1.7.5 इसके अतिरिक्त मंत्रालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी एवं समीक्षा के लिए संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्य कर रही है। यह समिति नियमित आधार पर मंत्रालय में राजभाषा के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।

1.7.6 अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना काम हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने और हिंदी में मूल रूप में टिप्पणी और प्रारूप तैयार करने के लिए उन्हें प्रभावी रूप से प्रशिक्षित करने हेतु हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

1.7.7 मंत्रालय में 01 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2016 के दौरान हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। मूल रूप से हिंदी में टिप्पण एवं प्रारूप लेखन को बढ़ावा देने के लिए "हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया। पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

1.7.8 मंत्रालय की वेबसाइट को द्विभाषी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एनआईसी–सीएमएफ टीम का गठन किया गया। एनआईसी–सीएमएफ टीम की सहायता से वेबसाइट के द्विभाषीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। वेबसाइट पर हिन्दी और अंग्रेजी में सामग्री उपलब्ध है।

1.7.9 मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सरल और सुगम बनाने हेतु राजभाषा दिग्दर्शिका तैयार की है, जिसमें भारत सरकार की राजभाषा नीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और साथ ही, अंग्रेजी–हिंदी शब्दावली तथा रोजमर्रा में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी/ हिंदी वाक्यांशों को भी शामिल किया गया है।

सतर्कता एकाई

1.8 श्री जान–ए–आलम, संयुक्त सचिव (वक्फ) ने मंत्रालय के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में कार्य किया और मंत्रालय तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच लिंक का कार्य भी किया। सीवीओ मंत्रालय में संयुक्त सचिव (हज एवं वक्फ मामले) के रूप में अपने सामान्य कार्यभार के अलावा सतर्कता का कार्य भी देखते हैं।

1.8.1 सीवीओ को निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:

- मंत्रालय से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनात्मक संबंधी सभी मामले।
- प्राप्त शिकायतों की जांच और उन पर समुचित कार्रवाई।
- शिकायतों के संबंध में जांच/पूछताछ/निरीक्षण तथा अनुवर्ती कार्रवाई।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ समन्वय करना।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग से, जब कभी अपेक्षित हो, सलाह लेना।
- भ्रष्टाचार प्रवण संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान तथा इन पदों पर नियुक्त अधिकारियों का समय–समय पर स्थानांतरण करना और इस प्रकार निवारक सतर्कता को प्रोत्साहित करना।
- सरकार के कार्यकरण में सत्यनिष्ठा, कार्यक्षमता और पारदर्शिता में वृद्धि करना।

1.8.2 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 22 अधिकारियों के सतर्कता क्लीयरेंस जारी किए गए।

1.8.3 सतर्कता अनुभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाईयां:

- संवेदनशील प्रकृति के अभिज्ञात क्षेत्रों पर निगरानी रखना।
- मंत्रालय में औचक सतर्कता निरीक्षण कर सकता है।

बजट

1.9 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए इस मंत्रालय को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 17,323 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी। वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में 3827.25 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे 2016–17 के संशोधित अनुमान में बरकरार रखा गया। बजट अनुमान, संशोधित अनुमान 2016–17 और 31.12.2016 तक वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–III** में दिया गया है।

एंग्लो–इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

1.10 एंग्लो–इंडियन नेता और विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधियों की एक बैठक नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 13.1.2017 को आयोजित की गई। बैठक में संसद के मौजूदा नामित एंग्लो–इंडियन सदस्यों, पूर्व सांसद, पांच राज्यों के विधायकों के अलावा एंग्लो–इंडियन समुदाय के अन्य नेताओं द्वारा भाग लिया गया। एंग्लो–इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों ने इस बैठक को आयोजित करने की पहल को ऐतिहासिक बताते हुए इसकी प्रशंसा की क्योंकि यह पहली बार है कि एंग्लो–इंडियन समुदाय के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए केन्द्र सरकार में मंत्री के स्तर पर एंग्लो–इंडियन समुदाय के नेताओं के साथ कोई बैठक की गई है। प्रतिनिधियों ने एंग्लो–इंडियन समुदाय के सम्मुख आ रही विभिन्न समस्याओं एवं मुद्दों पर प्रकाश डाला और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से उन पर ध्यान देने का अनुरोध किया। माननीय मंत्री ने उनकी चिंताओं को सुना और एक उचित तरीके से इन मुद्दों पर गौर करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की बैठकों को अब और अधिक नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा।

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी 24 अगस्त, 2016 को नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की नवीकृत वेबसाइट (द्विभाषी) लांच करते हुए।

अध्याय –2

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसडीपी)

क. एक सिंहावलोकन

2.1 बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) सच्चर समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तौर पर शुरू किया गया था। यह अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में वर्ष 2008–09 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। यह सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना का सृजन करते हुए तथा मूल–भूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास संबंधी कमियों को दूर करने की क्षेत्र विकास पहल है।

2.2 11वीं योजना के दौरान, अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) की पहचानः

जिला स्तर पर धर्म–विशिष्ट सामाजिक–आर्थिक संकेतक

(i) साक्षरता दर;

(ii) महिला साक्षरता दर;

(iii) कार्य में भागीदारी दर; और

(iv) महिलाओं द्वारा कार्य में भागीदारी दर

जिला स्तर पर आधारभूत सुविधाएं संकेतक –

(i) पक्की दीवार वाले मकानों का प्रतिशत;

(ii) स्वच्छ पेयजल वाले मकानों का प्रतिशत;

(iii) विद्युत सुविधा वाले मकानों का प्रतिशत; और

(iv) जल सुविधा युक्त शौचालय वाले मकानों का प्रतिशत

2.3 अल्पसंख्यकः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित समुदायों को एमएसडीपी के प्रयोजनार्थ अल्पसंख्यक माना जा रहा है।

ख. 12वीं पंचवर्षीय योजना में एमएसडीपी की पुनर्संरचनाः

2.4 सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन हेतु बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की

पुनर्संरचना का अनुमोदन किया है। कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने तथा लक्षित अल्पसंख्यकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए इसकी पुनर्संरचना की गई है। पुनर्संरचित एमएसडीपी में जिले के बजाए ब्लॉकों/नगरों को योजना की ईकाई बना दिया गया है ताकि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान दिया जा सके। 12वीं योजना के दौरान, कार्यान्वयन के लिए इस कार्यक्रम में अब अभिज्ञात 710 ब्लॉक तथा 66 नगर हैं। इसके अलावा, 12वीं योजना के दौरान, एमएसडीपी के कार्यान्वयन हेतु निकटस्थ अल्पसंख्यक बहुल गांवों के समूहों की भी पहचान की जाएगी।

2.5 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/नगरों (एमसीबी/एमसीटी) तथा गांवों के समूहों की पहचानः

(i) **अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक (एमसीबी)**: 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़ेपन मानदंडों के आधार पर चुने गए पिछड़े जिलों में रहने वाली न्यूनतम 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले ब्लॉकों की पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों (एमसीबी) के रूप में पहचान की गई है। 6 राज्यों के मामले में जहां अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्या में हैं, अल्पसंख्यक आबादी के 15% का न्यूनतम कटऑफ उस राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में अधिसंख्या वाले अल्पसंख्यक समुदाय की अपेक्षा स्वीकार किया गया है। चुनिन्दा ब्लॉकों में उच्चतर अल्पसंख्यक आबादी वाले गांवों को ग्राम स्तरीय अवसंरचनाओं/परिसंपत्तियों के सृजन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। जनगणना, 2001 के आंकड़ों के आधार पर 155 पिछड़े जिलों में आने वाले ऐसे कुल 710 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों की पहचान की गई है। तथापि, यह जनगणना, 2011 के आंकड़ों की उपलब्धता के अध्यधीन होगा तथा वे क्षेत्र जो पुनर्संरचित कार्यक्रम के क्रियान्वयन के उपरांत भी निरंतर रूप से पात्र बने रहते हैं, को कवर किया जाएगा।

(ii) **अल्पसंख्यक बहुल नगर (एमसीटी)**: कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय औसत से नीचे के सामाजिक, आर्थिक एवं आधारभूत सुविधा मानदंडों वाले न्यूनतम 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले नगरों/शहरों (6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अधिसंख्या वाले अल्पसंख्यक समुदाय की अपेक्षा अल्पसंख्यक आबादी के 15%) की पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों के रूप में पहचान की गई है। अल्पसंख्यक बहुल जिलों के बाहर वाले 53 जिलों के कुल 66 अल्पसंख्यक बहुल नगरों की कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु पहचान की गई है। इन नगरों/शहरों की भारत में अल्पसंख्यकों के भौगोलिक वितरण के निहितार्थों संबंधी टास्क फोर्स (प्रो0 भालचंद्र मुंगेकर की अध्यक्षता वाली) द्वारा और पिछड़े नगरों के रूप में भी पहचान की गई थी। यह कार्यक्रम नगरों/शहरों में अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने हेतु कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित केवल शिक्षा के संवर्धन हेतु क्रियाकलाप करने के लिए अभिप्रेत है।

(iii) **अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों के बाहर स्थित अल्पसंख्यक बहुल गांवों के समूहः** पिछड़े जिलों में ब्लॉकों के साथ सटे हुए समीपस्थ अल्पसंख्यक गांवों के समूहों (कम से कम 50% अल्पसंख्यक आबादी वाले) जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों के रूप में चयनित नहीं किया गया है, की पहचान की जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों के मामले में, ऐसे गांव जिनमें अल्पसंख्यक आबादी 25% है, की पहचान की जाएगी। लगभग 500 गांव, जो अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों के बाहर स्थित हैं, उनको चयनित किया जाना है।

ग. निगरानी तंत्रः

2.6 15 सूत्री कार्यक्रम के लिए जिला एवं राज्य स्तरीय समितियां क्रमशः जिला एवं राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्र में, अधिकार–प्राप्त समिति भी कार्यक्रम को मॉनीटर करने के लिए निगरानी समिति के रूप में कार्य करती है। सचिवों की समिति (सीओएस) द्वारा छह महीने में एक बार 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा के साथ–साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति की भी समीक्षा की जाती है और फिर प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के साथ मंत्रिमंडल को सूचना दी जाती है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भी तिमाही आधार पर प्रगति को मॉनीटर किया जाता है।

2.7 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों के नियमित सम्मेलनों के माध्यम से इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करता है। मंत्रालय कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा के

लिए जिला अधिकारियों तथा राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन भी आयोजित करता है। इसके अलावा, क्रियान्वयनकर्ता अधिकारियों के निरंतर फॉलोअप के तौर पर जिला एवं राज्य के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस भी की जाती है। साथ ही, मंत्री (अल्पसंख्यक कार्य) तथा सचिव, अल्पसंख्यक कार्य की ओर से मुख्यमंत्रियों तथा प्रमुख सचिवों को उनके राज्यों में लंबित महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में ग्रहणशील बनाने के लिए पत्र भी भेजे गए हैं।

घ. पुनर्संरचित बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के दिशा–निर्देशों में यथापरिकल्पनानुसार एमएसडीपी के अंतर्गत ली जाने वाली परियोजनाएं आय सृजन अवसरों के निर्माण के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, स्वच्छता, पक्के आवास, सड़कों, पेयजल हेतु बेहतर अवसंरचना के प्रावधान से संबंध रखती हैं। इनके अतिरिक्त, साईबर ग्राम नामक एक नया संघटक कक्षा VI से कक्षा X तक के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के मध्य डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लक्ष्य से वर्ष 2014–15 से ही एमएसडीपी के अंतर्गत एक पहल के रूप में आरंभ की गई है।

11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि और 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (31.12.2016) तक की गई वित्तीय और वास्तविक प्रगति के ब्यौरे निम्नलिखित अनुसार हैं:–

I. 11वीं योजना के दौरान :–

(क) आर्थिक प्रगतिः 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 3780 करोड़ रुपए के कुल आबंटन में से 3733.90 करोड़ रुपए (आबंटन का 99%) के केंद्रीय शेयर वाली योजनाओं/ परियोजनाओं को अनुमोदन दे दिया गया है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2935.93 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राज्य सरकारों ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए उन्हें जारी की गई कुल निधि में से 2593.69 **करोड़ रुपए का उपयोग** किया है। राज्य–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–IV** पर है।

(ख) वास्तविक प्रगतिः

क्रम सं.	परियोजनाओं के नाम	स्वीकृत ईकाइयां	पूरी की गई इकाइयां	कार्य प्रगति पर
1	इंदिरा आवास योजना	301221	229545	43300
2	स्वास्थ्य केंद्र	2537	1901	346
3	आंगनवाड़ी केंद्र	27595	19942	3706
4	पेयजल आपूर्ति	35773	24980	4682
5	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	14061	9485	1529
6	स्कूल भवन	654	380	274
7	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	72	16	39
8	पालिटेक्निक संस्थान	31	5	23
9	छात्रावास	334	105	161

राज्य–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–V** पर है।

II 12वीं योजना के दौरानः–

(क) आर्थिक प्रगतिः 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस कार्यक्रम के लिए 5775 करोड़ रुपए के कुल आबंटन में से 5303.17 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर वाली योजनाओं/परियोजनाओं को अनुमोदन दे दिया गया है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 31.12.2016 तक 4153.80 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्य–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–VI** पर है।

(ख) **वास्तविक प्रगतिः** 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एमएसडीपी के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं

की कुल संख्या में इंदिरा आवास योजना के मकान–47986, स्वास्थ्य केंद्र–1983, आंगनवाड़ी केंद्र–8522, हैंड पम्प–16611, पेयजल सुविधा–10589, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष–15268, स्कूल भवन–1081, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान–97, पोलिटेक्निक संस्थान–16, छात्रावास–664, मुफ्त साइकिल–17195, साईबर ग्राम–399657, सद्भाव मंडप–161 तथा कौशल प्रशिक्षण–130125 शामिल है राज्य–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–VII** पर है।

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी 29 सितंबर, 2016 को गांव बिछोड़, पुन्हाना, हरियाणा में प्रोग्रेस पंचायत को संबोधित करते हुए।

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी 05 नवंबर, 2016 को राजकीय कन्या इंटर कालेज, जसपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में प्रोग्रेस पंचायत को संबोधित करते हुए।

अध्याय –3

यह मंत्रालय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित तीन छात्रवृत्ति योजनाएं क्रियान्वित कर रहा हैः–

(i) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति;

(ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति; और

(iii) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति योजनाओं में पारदार्शिता में सुधार लाने के लिए 2016–17 के दौरान छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का एक नया एवं नवीकृत रूपांतरण शुरू किया गया है। इस मंत्रालय की सभी तीनों छात्रवृत्ति योजनाएं एनएसपी 2.0 पोर्टल पर हैं। छात्रवृत्तियां प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तरीके से विद्यार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाती हैं। जहां आधार नबंर उपलब्ध हैं, विद्यार्थियों के बैंक खाते से जोड़ा जा रहा है और ऐसे खातों में राशि अंतरित की गई है।

(i) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना

3.1 अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना 30 जनवरी, 2008 को अनुमोदित की गई थी। यह 100% केन्द्रीय वित्तपोषण के साथ केन्द्र क्षेत्र की एक योजना है। पिछली परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपए से अधिक नहीं है, वे योजना के अंतर्गत मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत नवीकरण के अलावा प्रतिवर्ष 30 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। 30% छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए निर्धारित हैं।

3.2 12वीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि (2012–17) के दौरान 414.50 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने और नवीकरण के लिए 5000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय वर्ष 2015–16 (31.10.2016 तक) 52.27% बालिकाओं (31.03.2016 तक) सहित 2,68,63,393 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 3777.97 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जबकि 2015–16 के लिए छात्रवृत्तियों का संवितरण जारी है, 2016–17 के लिए छात्रवृत्तियों का संवितरण प्रगति पर है।

(ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

3.3 अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत नवम्बर, 2007 में की गई थी। यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पारदर्शी रूप में चयनित और अधिसूचित आवासीय सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज सहित सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज में भारत में अध्ययन के लिए प्रदान की जाती है।

3.4 ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पिछले वर्ष की अंतिम परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हैं और जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हैं, वे छात्रवृत्ति पाने के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत, नवीकरण के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 5 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी प्रस्तावित हैं। 30% छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए निर्धारित गई हैं। यदि पर्याप्त संख्या में छात्राएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो ये छात्रवृत्तियां पात्र छात्रों को प्रदान कर दी जाती हैं।

3.5 12वीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि (2012–17) के दौरान 37.02 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने और नवीकरण के लिए 2850.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय

योजना के दौरान वित्तीय वर्ष 2015–16 (31.10.2016 के अनुसार) तक 32,13,211 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 1727.30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वर्ष 2015–16 (31.03.2016 तक) तक छात्राओं को 59.09% छात्रवृत्तियां छात्राओं को प्रदान की गई है। जबकि 2015–16 के लिए छात्रवृत्तियों का संवितरण जारी है, 2016–17 के लिए छात्रवृत्तियों का संवितरण प्रगति पर है।

(iii) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

3.6 मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो वर्ष 2007 में शुरू की गयी थी। छात्रवृत्ति का 100% व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता–प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वालों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियों के नवीकरण के अतिरिक्त 60,000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है। इन छात्रवृत्तियों में से 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राएं उपलब्ध न होने पर इनका उपयोग पात्र छात्रों द्वारा किया जा सकता है।

3.7 इस योजना के तहत व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 85 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। इन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्रों को पूरे पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। अन्य संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्रों को 20,000/- रु. वार्षिक की दर से पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त, एक प्रतिवर्ष 10,000/- रु. तक अनुरक्षण भत्ता पाने के लिए भी पात्र हैं।

3.8 छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए पात्रता यह है कि छात्र को उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यताप्राप्त किसी भी तकनीकी अथवा व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश लिया होना चाहिए। यदि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा दिए बिना प्रवेश मिल गया हो तो उन्हें 50% से कम अंक अर्जित किया हुआ नहीं होना चाहिए। परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.9 12वीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि (2012–17) के दौरान 4.91 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने और नवीकरण के लिए 1580.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय वर्ष 2015–16 (31.10.2016 के अनुसार) तक 4,40,986 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 1181.19 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। वर्ष 2015–16 (31.03.2016 तक) के दौरान 28.39% छात्रवृत्तियां छात्राओं को प्रदान की गई हैं।

अध्याय –4

मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

4.1 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) की शुरुआत एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) के रूप में 11 अप्रैल, 2009 को की गई थी। यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। योजना के अंतर्गत 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति का उद्देश्य उच्चतर अध्ययनों यथा एम. फिल और पीएच.डी. की करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में पांच वर्ष की अध्येतावृत्तियां प्रदान करना है। इस अध्येतावृत्ति की परिधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान आते हैं। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत अध्येतावृत्ति, नियमित और पूर्णकालिक एम.फिल और पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले शोध छात्रों को प्रदान की जाने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अध्येतावृत्ति के अनुरूप है। जेआरएफ/एसआरएफ प्रदान करने के लिए अर्हक होने के लिए, स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50% अंक सहित यूजीसी मापदंड क्रमशः प्री–एम.फिल और प्री–पीएच.डी. चरण लागू होंगे। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति हेतु अभ्यर्थियों के माता–पिता/अभिभावक की आय की उच्चतम सीमा प्रति वर्ष 2.5 लाख रु. है। इस योजना के अधीन, पिछले वर्षों के नवीकरण के अतिरिक्त प्रतिवर्ष 756 नई अध्येतावृत्ति प्रदान की जानी प्रस्तावित हैं। 30% अध्येतावृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

4.2 12वीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि (2012–17) के दौरान 3780 नई अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के लिए 430 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय वर्ष 2016–17 (15.12.2016 के अनुसार) तक 3778 नई अध्येतावृत्तियां (नवीकरण के अलावा) प्रदान करने के लिए 251.54 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

4.3 वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, यूजीसी को 79.85 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है जिस में से यूजीसी द्वारा 15.12.2016 के अनुसार 76.89 करोड़ रु. पात्र स्कोलरों को आगे संवितरित किए गए हैं। यूजीसी द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के लिए वर्ष 2016–17 के लिए 756 नए छात्रों का चयन किया गया है।

अध्याय –5

नया सवेरा–निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना

5.1 अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए "निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना" नामक योजना इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.7.2007 से शुरू की गयी।

5.2 इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों और अभ्यर्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना है ताकि वे सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ख्यातिप्राप्त संस्थानों में प्रवेश पा सकें।

5.3 इस योजना के अंतर्गत, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयार करने के लिए चुनिन्दा प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में निशुल्क कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- लाभार्थियों की वार्षिक परिवारिक आय 3.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- स्वीकार्य कोचिंग शुल्क (एनजीओ को देय):
  - समूह 'क' सेवाएं : अधिकतम 20000/- रुपए
  - समूह 'ख' सेवाएं : अधिकतम 20000/- रुपए
  - समूह 'ग' सेवाएं : अधिकतम 15000/- रुपए
  - तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा : अधिकतम 20000/- रुपए
- छात्रों के लिए, स्टेशन से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए 3000/- रु. की दर से और स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए 1500/- रु. की दर से वजीफा।

5.4 निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत एक नया संघटक विज्ञान विषयों (भौतिकी, रसायन, जीव–विज्ञान और/अथवा गणित) के साथ 11वीं और 12वीं कक्षाओं में अल्पसंख्यक छात्रों की अभिकेंद्रित तैयारी के लिए वर्ष 2013–14 से जोड़ा गया है। यह संघटक 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश तथा दिल्ली में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है। योजना के दिशा–निर्देशों और निधियों की उपलब्धता के अनुसार बाद के वर्षों में और अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। इस योजना का संघटक बालकों और बालिकाओं के लिए अलग–अलग छात्रावास की सुविधा से युक्त और विज्ञान की 11वीं तथा 12वीं कक्षाओं को नियमित रूप से चलाने वाले तथा सीबीएसई/आईसीएसई अथवा राज्य शिक्षा बोर्डों से संबद्ध स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। प्रति छात्र 2.00 लाख रु. (अधिकतम) की दर से स्कूल/कालेज/संस्थान को वित्तीय सहायता दी जाती है।

5.5 बारहवीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि (2012–17) के दौरान 120 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय वर्ष 2016–17 (15.12.2016 के अनुसार) तक 44,758 विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए कोचिंग संस्थानों को 127.68 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। योजना के अधीन कोचिंग प्रदान करने के लिए 29 एनजीओ/संस्थानों को 2016–17 के दौरान (15.12.2016 तक) 13.68 करोड़ रुपए (अनंतिम) का सहायता–अनुदान जारी किया गया है।

अध्याय –6

नई उड़ान

संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों हेतु सहायता के लिए नई उड़ान योजना 2013–14 में शुरू की गई।

6.1 इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे संघ तथा राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने में पर्याप्त रुप से सक्षम हो सकें तथा ग्रुप 'ए' तथा 'बी' (संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी); राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) तथा कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) इत्यादि के राजपत्रित एवं गैर–राजपत्रित पद) की प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देते हुए सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है।

6.2 पात्र होने के लिए अभ्यर्थियों की सभी स्रोतों से कुल परिवारिक आय, प्रति वर्ष 4.5 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा इस वित्तीय सहायता का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है। अभ्यर्थी केंद्र अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की किसी अन्य समान योजना से लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

6.3 प्रत्येक वर्ष योजना के अंतर्गत देश भर में अधिकतम 800 अभ्यर्थियो को पात्रता मापदंड पूरा करने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता की अधिकतम दर पचास हजार रुपए केवल होगी (50,000/- रु. राजपत्रित पद के लिए; तथा 25,000/- रु. अराजपत्रित पद के लिए)। यह आर्थिक सहायता उन अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए होगी, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग; कर्मचारी चयन आयोग; अथवा राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित ग्रुप 'क' तथा 'ख' सिविल सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

6.4 बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 4000 ऐसे अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 20 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है जिन्होंने योजना अवधि (2012–17) के दौरान यूपीएससी/एसएससी तथा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों। वित्तीय वर्ष 2016–17 (15.12.2016 के अनुसार) तक बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2936 अभ्यर्थियों के लिए 11.86 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

6.5 वित्तीय वर्ष 2016–17 (15.12.2016 के अनुसार) 596 अभ्यर्थियों के लिए 2.98 करोड़ रुपए जारी किए गए है।

अध्याय –7

पढ़ो परदेश

अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज इमदाद की योजना

7.1 इस योजना का उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों को ब्याज इमदाद प्रदान करना है ताकि उनको विदेश में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर दिए जा सकें और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि की जा सके। इस योजना के अंतर्गत ब्याज इमदाद पात्र छात्रों को केवल एक बार या तो स्नातकोत्तर अथवा पीएच.डी स्तर पर ही उपलब्ध है। छात्र ने पाठ्यक्रमों के लिए विदेश में स्नातकोत्तर, एम.फिल अथवा पीएच.डी स्तरों पर अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया होना चाहिए। पात्र होने के लिए, नियोजित अभ्यर्थियों अथवा बेरोजगार अभ्यर्थियों के मामले में उसके/उसकी माता–पिताओं/अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 6.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक परिवार एक लाभार्थी एक बार लाभ उठा सकता है।

7.2 ऋण स्थगन अवधि के दौरान (अर्थात पाठ्यक्रम की अवधि साथ में एक वर्ष और अथवा नौकरी मिलने के पश्चात छह माह, जो भी पहले हो) जैसा कि बैंकों की शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत निर्धारित है, बैंकों से शैक्षिक ऋणों का लाभ उठाने वाले छात्रों द्वारा भुगतेय ब्याज का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। ऋण स्थगन अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात, बकाया ऋण राशि पर ब्याज का वहन छात्र द्वारा मौजूदा शैक्षिक ऋण योजना के अनुसार, जिसमें समय–समय पर संशोधन किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। अभ्यर्थी ऋण स्थगन अवधि के बाद मूल किस्तों और ब्याज वहन करेगा।

7.3 योजना अवधि (2012–17) के दौरान विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए 1250 विद्यार्थियों को ब्याज इमदाद देने हेतु 15.50 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2016–17 (15.12.2016 के अनुसार) के दौरान, नोडल बैंक केनरा बैंक को 727 नवीकरण अभ्यर्थियों के लिए 4.00 करोड़ रुपए ब्याज इमदाद के रूप में जारी किए गए।

अध्याय –8

''नई रोशनी''

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना

8.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास के लिए एक अनन्य योजना "नई रोशनी" जिसका उद्देश्य सभी स्तर पर सरकारी तंत्रों, बैंकों एवं अन्य संस्थानों के साथ संपर्क करने हेतु जानकारी, उपकरण एवं विधियां उपलब्ध कराते हुए अल्पसंख्यक महिलाओं का सशक्तीकरण करना तथा उनमें विश्वास जगाना है।

8.2 नेतृत्व प्रशिक्षण मॉड्यूल अनिवार्य रूप से संविधान और विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा संबंधी, रोजगार, जीविका आदि को कवर करता है; केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता महिलाओं के कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, जीवन कौशल तथा सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन के लिए पक्ष–समर्थन आदि से संबंधित सुविधाएं अवसर, और सेवाएं उपलब्ध हैं।

8.3 यह योजना गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।

8.4 2012–13 के दौरान, मंत्रालय ने 12 राज्यों में 10.45 करोड़ रुपए की राशि से 36950 महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की है।

8.5 2013–14 के दौरान, मंत्रालय ने 25 राज्यों में 11.95 करोड़ रुपए की राशि से 60875 महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की है।

8.6 2014–15 के दौरान, मंत्रालय ने 26 राज्यों में 13.78 करोड़ रुपए की राशि से 71075 महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की है।

8.7 2015–16 के दौरान 14.81 करोड़ रुपए की लागत पर 58725 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

8.8 2016–17 के दौरान 31.12.2016 तक 69150 महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए 13.76 करोड़ रुपए जारी किए गए।

8.9 2016–17 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और 15.12.2016 तक जारी की गई निधियों के ब्यौरे निम्नलिखित अनुसार है

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय (31.12.2016 तक)
2016–17	15.00	15.00	13.76

8.10 मंत्रालय ने पारदर्शिता, सरलीकृत आनलाइन आवेदन प्रक्रिया लाने, विलंब में कमी करने और स्वीकृतियां आनलाइन जारी करने के लिए 08.08.2015 को एक आनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (ओएएमएस) http://nairoshni-moma.gov.in का भी शुभारंभ किया गया है। ओएएमएस सभी प्रशिक्षार्थियों, प्रशिक्षण स्थानों, प्रशिक्षण समय–सारणी और समुदाय–वार ब्यौरे आदि के बारे में प्रबंधन सूचना प्रणाली पब्लिक डोमेन में प्रदान करती है।

8.11 2015–16 के दौरान नीति आयोग द्वारा योजना का मूल्यांकन किया गया और इस मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्ष कहते हैं कि इस योजना से अल्पसंख्यक महिलाओं को लाभ हुआ है। अध्ययन ने इस योजना के जारी रखने की सिफारिश की।

8.12 इस योजना को अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा बड़े उत्साह से लिया गया है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भारी मांग है।

देहरादून (उत्तराखंड) में आयोजित नई रोशनी कार्यक्रम।

अध्याय –9

नई मंजिल

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल

9.1 नई मंजिल वर्तमान सरकार की एक नई पहल है। इसका शुभारंभ 8 अगस्त, 2015 को पटना, बिहार में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ऐसे अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करना है जिनके पास औपचारिक रूप से स्कूल छोड़ने का प्रमाण–पत्र नहीं है, अर्थात् जो स्कूल ड्रापआऊट्स की श्रेणी में आते हैं अथवा मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में पढ़े हैं, ताकि उन्हें औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रदान किए जा सके और वे संगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार तलाश करने में सक्षम हो सकें तथा इस प्रकार उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

9.2 यह योजना 5 वर्षों के लिए 650 करोड़ रुपए की लागत के साथ अनुमोदित की गई है। 50% वित्त–पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाना है। विश्व बैंक ने 50 मिलियन अमेरिकी डालर के वित्त–पोषण का अनुमोदन कर दिया है।

9.3 अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों के इतिहास में यह पहली बार है जब विश्व बैंक ऐसे कार्यक्रम की सहायता के लिए राजी हुआ है। यह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह स्कूल ड्रापआऊट्स के लिए शिक्षा और कौशलों को मिलाती है जिससे उनकी रोजगारपरकता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

9.4 लगभग 70 हजार अल्पसंख्यक युवाओं के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 2016–17 के लिए 155.00 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए यह योजना शुरू हो गई है।

9.5 योजना के अधीन परियोजनाओं की व्यावसायिक और सक्षम मानीटरिंग के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने विश्व बैंक के परामर्श से किसी व्यावसायिक परियोजना प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) की पहचान और चयन के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश निर्धारित किए हैं। पीएमयू के चयन की प्रक्रिया विश्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरी कर ली गई है।

9.6 इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल अच्छी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए), जो जमीनी स्तर पर कार्य कर सकें, को चालू वर्ष के दौरान पैनल में शामिल करने के लिए विश्व बैंक के परामर्श से विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार किए गए।

9.7 निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए मंत्रालय ने उत्तर–पूर्वी राज्यों सहित 22 राज्यों को कवर करते हुए 43 (तैंतालीस) पीआईए को शार्टलिस्ट किया है।

9.8 इन शार्टलिस्ट की गई पीआईए से विश्व बैंक की प्रक्रिया के अनुसार परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद विश्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 38 प्रस्ताव स्वीकृति के लिए अर्हक पाए गए हैं। स्वीकृति जारी करने के लिए मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई है जिसके बाद विश्व बैंक से एनओसी आएगा।

9.9 ''नई मंजिल'' के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए सचिव (अ.का.) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति पहले ही गठित की जा चुकी है जिसमें सीआईआई, फिक्की और एसोचैम जैसे औद्योगिक संघों के सदस्य भी शामिल हैं।

9.10 इस योजना के कार्यान्वयन में सहायता और मार्गदर्शन के लिए एक तकनीकी परामर्श समिति भी गठित की जा रही है।

अध्याय–10

उत्तर–पूर्व क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 2016–17 और 2017–18 के लिए योजना–वार बजट आबंटन

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	योजनाओं के नाम	बजट अनुमान 2017–18	संशोधित अनुमान 2016–17	बजट अनुमान 2016–17
1.	अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	20.00	20.00	20.00
2.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	41.50	41.50	41.50
3.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	30.00	30.00	30.00
4.	राष्ट्रीय अल्पसख्यक विकास एव वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता–अनुदान	0.20	0.07	0.20
5.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	1.50	1.50	1.50
6.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	0.30	0.30	0.30
7.	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	0.50	0.50	0.50
8.	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	5.00	9.00	8.00
9.	कौशल विकास पहलें	15.00	15.00	25.00
10.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम में निवेश	14.00	14.00	15.00
11.	अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)	115.25	111.73	124.91
12.	संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता	0.40	0.40	0.40
13.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	.	.	3.00
	कुल योग	**243.65**	**244.00**	**270.31**

अध्याय–11

अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास पहल

''सीखो और कमाओ (Learn & Earn)''

11.1 मंत्रालय ने वर्ष 2013 से अल्पसंख्यकों के लिए "सीखो और कमाओ (Learn & Earn)", प्लेसमेंट से जुड़े एक कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। योजना विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक व्यवसायों में उसकी शैक्षणिक योग्यता, मौजूदा आर्थिक रूझाान एवं बाजार की क्षमता के आधार पर अल्पसंख्यक युवाओं के कौशलों का उन्नयन करेगी, जिससे उन्हें उचित रोजगार मिलेगा अथवा वे स्व–रोजगार के लिए उपयुक्त रूप से कुशल हो सकेंगे।

11.2 यह योजना चयनित परियोजना क्रियान्वयन एजेसियों (पीआईए) के माध्यम से विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की जाती है।

11.3 योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) द्वारा अनुमोदित मॉड्यूलर रोजगार योग्य कौशलों (एमईएस) पर कार्य किया जाना है। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा किए जा रहे पारंपरिक कौशलों का भी विकास किया जाएगा और उन्हें बाजार से जोड़ा जाना है।

11.4 यह योजना न्यूनतम 75% प्रशिक्षाणियों का प्लेसमेंट सुनिश्चित करती है जिसमें से 50% प्लेसमेंट संगठित क्षेत्र में होना चाहिए।

11.5 पीआईए के लिए प्रशिक्षणार्थियों की प्लेसमेंट पश्चात ट्रैकिंग एक वर्ष तक जरूरी है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो संगठित क्षेत्र में लगे हैं। पीआईए से प्लेस किए गए अभ्यार्थियों के बैंक खाता संख्या, वेतन पर्ची आदि की सूचना रखना जरूरी है।

11.6 परियोजना कार्यान्वित एजेंसियों के लिए प्रशिक्षित अल्पसंख्यक युवाओं को 1 (एक) वर्ष का प्लेसमेंट पश्चात् सहयोग देना अनिवार्य है।

11.7 योजना के अधीन अल्पसंख्यक बालिकाओं/महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% सीटें आरक्षित हैं।

11.8 वर्ष 2013–14 के दौरान, 20,164 अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए

17.00 करोड़ रु. जारी किए गए। इनमें से 19,524 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया और 15,247 अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट हुआ।

11.9 वर्ष 2014–15 के दौरान, 20,720 अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 46.21 करोड़ रुपए जारी किए गए। इनमें से 20,686 अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और 15,694 प्रशिक्षार्थियों का प्लेसमेंट हुआ।

11.10 वर्ष 2015–16 के दौरान 1,23,330 अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 191.96 करोड़ रुपए जारी किए गए। 31.12.2016 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 81,820 अल्पसंख्यक युवाओं का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है और इनमें से 43,182 प्रशिक्षार्थियों का प्लेसमेंट हुआ है।

11.11 वर्ष 2016–2017 के दौरान 210.00 करोड़ रु. की लागत पर 1,25,000 अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 31.12.2016 तक 89,920 अल्पसंख्यक युवाओं का प्रशिक्षण पहले ही आबंटित किया जा चुका है। 30,540 प्रशिक्षार्थियों के लिए 54.57 करोड़ रु. की स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है।

11.12 मंत्रालय ने प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिए ''सीखो और कमाओ'' का एक आनलाइन

पोर्टल अर्थात www.seekhoaurkamao-moma.gov.in भी शुरू किया है जिसमें परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों, प्रशिक्षार्थियों, प्रशिक्षकों, परियोजनाओं का स्थान आदि का विवरण दिया गया है। सामान्य जनता के साथ–साथ नियोक्ताओं की सूचना के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों, प्रशिक्षण केन्द्रों, स्थानों, प्रशिक्षार्थियों, प्रशिक्षण के क्षेत्र आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी गई है।

भोपाल (मध्य प्रदेश) में ''सीखो और कमाओ'' के अधीन कौशल प्रशिक्षण।

जयपुर (राजस्थान) में ''सीखो और कमाओ'' के अधीन कौशल प्रशिक्षण।

अध्याय–12

विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद)

12.1 जैसा कि बजट भाषण 2014–15 में घोषणा की गई थी, ''उस्ताद (विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन)'' नामक एक नई पहल 14 मई, 2015 को औपचारिक रूप से वाराणसी (उ.प्र.) में शुरू की गई।

12.2 इस योजना का उद्देश्य मास्टर शिल्पकारों/कारीगरों की क्षमता का निर्माण करना और पारंपरिक कौशलों का उन्नयन करना; अल्पसंख्यकों की पहचानी गई परम्परागत कलाओं/शिल्पों का प्रलेखन करना; परम्परागत कौशलों के लिए मानक निर्धारित करना; मास्टर शिल्पकारों के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न पहचानी गई परम्परागत कलाओं/शिल्पों में प्रशिक्षण देना; और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार लिंकेज विकसित करना है।

12.3 मंत्रालय ने डिजाइन में सहायता; उत्पाद रेंज विकास; पैकेजिंग; प्रदर्शनियां, बिक्री बढ़ाने के लिए ई–मार्केटिंग पोर्टलों के साथ टाई–अप करना; और ब्रांड निर्माण के लिए विभिन्न कलस्टरों में काम करने हेतु भारतीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) और भारतीय पैकेजिंग संस्थान(आईआईपी) को नियोजित किया है।

12.4 2015–16 के लिए 17.01 करोड़ रु. के निर्धारित बजट में से 16.90 करोड़ रु. उपयोग किए गए।

12.5 मंत्रालय ने शिल्पों के बाजार लिंकेज और ई–कॉमर्स में अल्पसंख्यक शिल्पकारों के प्रशिक्षण में सुविधा के लिए एक ई–कॉमर्स पोर्टल shopclues.com के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

12.6 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने अल्पसंख्यक शिल्पकारों/दस्तकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों की पश्चिम बंगाल, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 7 (सात) राज्यों में प्रदर्शनियां आयोजित की हैं।

12.7 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा इस्तेमाल की जा रही परंपरागत शिल्पों/कलाओं को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड नाम उस्ताद के अधीन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से 14–27 नवंबर, 2016 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) – 2016 में ''हुनर हाट'' प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी का विषय ''हुनर को हौसला'' था। इस प्रयोजनार्थ, प्रगति मैदान, भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), नई दिल्ली का हाल नं. 14, 100 स्टालों के लिए बुक किया गया। देश के विभिन्न भागों से अल्पसंख्यक समुदायों के राष्ट्रीय/राज्य के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं सहित 170 से अधिक शिल्पकारों/दस्तकारों को अपने पारंपरिक कौशलों का प्रदर्शन करने तथा अपनी शिल्पों/कलाओं का संवर्धन करने और अपने उत्पादों को बेचने के लिए आमंत्रित किया गया।

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 15 नवंबर, 2016 को 36वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ–2016) में ''हुनर हाट'' का उद्घाटन।

12.8 2016–17 में पारंपरिक कलाओं में प्रशिक्षण के लिए 20.00 करोड़ रु. निर्धारित किए गए। 31.12.2016 तक 11 राज्यों में 16,200 प्रशिक्षार्थी आबंटित किए गए हैं और 27 पीआईए को 12.02 करोड़ रु. जारी किए गए।

SHOPCL

अध्याय–13

भारत में पारसियों की कम होती जनसंख्या को रोकने की योजना–जियो पारसी

13.1 भारत में पारसियों की जनसंख्या 1941 में 1,14,000 थी जो 2011 की जनगणना के अनुसार कम होकर 57,264 रह गई है। जनसंख्या में कमी के महत्वपूर्ण कारणों में से कुछ कारण देर से विवाह करना और विवाह नहीं करना, प्रजनन क्षमता में कमी, उत्प्रवास, बाह्य–विवाह और संबंध–विच्छेद/तलाक हैं।

13.2 पारसी समुदाय के सदस्यों के गिरते रुझान को रोकने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग थी। तद्नुसार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 2013 को भारत में पारसियों की कम होती जनसंख्या को रोकने के लिए एक नई महत्वपूर्ण योजना ''जियो पारसी'' आरंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक नवाचार और ढांचागत हस्तक्षेप अपनाकर पारसी आबादी के गिरते रुख को उलटना और उनकी जनसंख्या को बनाए रखना तथा भारत में पारसियों की जनसंख्या बढ़ाना है।

13.3 सहायता–अनुदान के रूप में 100% केन्द्रीय वित्त–पोषण के साथ यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 12वीं योजना अवधि के लिए इस योजना हेतु 10 करोड़ रु. (अर्थात् प्रत्येक वर्ष के लिए 2 करोड़ रु.) का परिव्यय है। इस योजना का कार्यान्वयन स्थानीय अंजुमनों के परामर्श के साथ परजोर फाउंडेशन और बॉम्बे पारसी पंचायत के माध्यम से किया जाता है।

13.4 वर्ष 2016–17 के दौरान (31.12.2016 तक) 'जियो पारसी' योजना के अधीन चिकित्सा सहायता एवं पक्ष समर्थन तथा आउटरीच कार्यक्रम के लिए 0.89 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। इस योजना की शुरुआत से चिकित्सा सहायता और आउटरीच एवं पक्ष समर्थन संघटक के अंतर्गत सहायता से अब तक 77 शिशु पैदा हुए हैं।

अध्याय–14

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान की योजना

14.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से करता है। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां लाभार्थियों की पहचान, ऋणों को सूत्रबद्ध और लाभार्थियों से वसूली का कार्य करती हैं। तथापि, अधिकांश राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना बहुत कमजोर है, जिससे उनकी प्रदानगी प्रणाली भी कमजोर है। फलस्वरूप, एनएमडीएफसी के कार्य का विस्तार और कार्य निष्पादन में सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक इन एजेंसियों की अवसंरचना में सुधार न लाया जाए।

14.2 मंत्रालय ने वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना की स्थिति में सुधार के लिए उन्हें सहायता अनुदान देने की योजना शुरू की थी। इस योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा एनएमडीएफसी के माध्यम से एससीए को 100% सहायता प्रदान की जाती है। 10% राज्य का हिस्सा जो पहले योजना की एक आवश्यकता थी, 2013 से समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को अपनी जरूरत के अनुसार निधियां उपयोग करने की आजादी देते हुए योजना के विभिन्न घटकों पर व्यय की ऊपरी सीमा को हटाते हुए योजना को आसान बनाया गया है। इस योजना के लिए मंत्रालय द्वारा आबंटित और जारी राशि का विवरण निम्नलिखित अनुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	मंत्रालय द्वारा जारी राशि
2007–08	10.00	10.00	10.00
2008–09	5.00	230	0.00
2009–10	2.00	2.00	2.00
2010–11	4.00	4.00	3.83
2011–12	2.00	2.00	1.35
2012–13	2.00	0.60	0.00
2013–14	2.00	2.00	2.00
2014–15	2.00	2.00	2.00
2015–16	2.00	2.00	2.00
2016–17	2.00	2.00	0.97 (31.12.2016 तक)

अध्याय–15

आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक

15.1 राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 1956 के परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 350–ख के प्रावधानों के अनुसरण में आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक (सीएलएम) के कार्यालय की स्थापना जुलाई, 1957 में की गई थी। अनुच्छेद 350–ख के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वे भारत में संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदत्त रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करे और ऐसे अंतराल पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएंगे और इन्हें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों को भी भिजवाएंगे। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक का मुख्यालय दिल्ली में है, जिसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय बेलगाम, चेन्नई और कोलकाता में हैं। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक, भाषाजात अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक और राष्ट्रीय तौर पर सहमति–प्राप्त रक्षोपायों के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से संपर्क करते हैं। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक की जुलाई, 2014 से जून, 2015 की अवधि के लिए 52वीं रिपोर्ट राज्य सभा और लोक सभा के पटल पर क्रमशः 03–05–2016 और 04–05–2016 को रखी गई थी।

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक रक्षोपाय

15.2 भारत के संविधान के अंतर्गत, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को कतिपय रक्षोपाय प्रदान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने और उनकी भिन्न–भिन्न भाषाओं, लिपियों अथवा संस्कृतियों को संरक्षित रखने के उनके अधिकार को मान्यता देने तथा उनके विकल्प के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और चलाने की संकल्पना है। अनुच्छेद 347 में, किसी राज्य अथवा उसके किसी भाग की आबादी के पर्याप्त अनुपात द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को, जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट हो, किसी भाषा की शासकीय मान्यता हेतु राष्ट्रपति के निदेश की व्यवस्था है। अनुच्छेद 350 संघ/राज्यों में प्रयुक्त किसी भाषाओं में संघ अथवा राज्य के किसी प्राधिकरण को शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 350–क में भाषायी अल्पसंख्यक समूहों से संबधित बच्चों की शिक्षा के प्राथमिक चरण पर मातृभाषा में अनुदेश देने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 350–ख संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यक समूहों के लिए प्रावधान किए गए रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए भाषायी अल्पसंख्यक समूहों हेतु आयुक्त के रूप में विनिर्दिष्ट एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।

आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक संगठन के कार्य एवं क्रियाकलाप

15.3 आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक संगठन भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों से संबंधित सभी मामले उठाता है जो भाषायी अल्पसंख्यकों–व्यक्तियों/समूहों/संघों/संगठनों द्वारा उसके ध्यान में लाए जाते हैं। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का मौके पर आंकलन करने के लिए स्वयं भाषायी अल्पसंख्यक क्षेत्रों और शैक्षिक संस्थानों का दौरा करता है। इस संबंध में आयुक्त जब कभी आवश्यक हो राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और उप राज्यपालों के साथ चर्चा करते हैं। सीएलएम, प्रशासन के सर्वोच्च शिखर अर्थात् मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (शिक्षा) और भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन की मानीटरिंग का काम सौंपे गए विभागों के प्रधान सचिवों के साथ भी चर्चा करते हैं।

भर्ती अभियान के परिणाम

15.4 सहायक आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक (एसीएलएम) के पद को केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) संवर्ग में शामिल किए जाने के बाद दिल्ली स्थित आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक के मुख्यालय में एसीएलएम का एक पद भर दिया गया है और एसीएलएम का एक पद कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय में भरा गया है।

अध्याय–16

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

16.1 भारत सरकार ने जनवरी, 1978 में, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष आदेश के माध्यम से ''अल्पसंख्यक आयोग'' गठित किया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया और इसे पुनः ''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग'' का नाम दिया गया।

16.2 प्रथम सांविधिक आयोग का गठन 17 मई 1993 को किया गया था। भारत सरकार ने 23 अक्तूबर, 1993 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत पांच धार्मिक समुदायों अर्थात मुस्लिमों, ईसाईयों, सिक्खों, बौद्धों तथा पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया था। भारत सरकार की दिनांक 27 जनवरी, 2014 की अधिसूचना द्वारा जैनों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

16.3 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 3(2) के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और ख्यातिप्राप्त तथा योग्य और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से केन्द्र सरकार द्वारा नामित पांच सदस्य होंगे। अध्यक्ष सहित सभी 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 4(1) के अनुसार, अध्यक्ष सहित सभी सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

16.4 आयोग के मुख्य कार्य अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में उपबंधित और केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विधियों में दिए गए रक्षोपायों के कार्यकरण को मॉनीटर करना और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त विशेष शिकायतों की जांच करना है। यह आयोग अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण भी करता है और अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की अनुशंसा भी करता है।

16.5 31.01.2017 के अनुसार आयोग में निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल करके किया गया है:–

1. श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष
2. श्री दादी ई. मिस्त्री : सदस्य

31.01.2017 के अनुसार, आयोग में पांच सदस्यों का पद रिक्त हैं।

16.6 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अनुसार, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और इसमें उल्लिखित केन्द्र सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन, इन सिफारिशों में से किसी सिफारिश को स्वीकार न किए जाने के कारणों सहित, यदि कोई हों, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी होती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9 (3) के अनुसार, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से संबंधित सिफारिशों को उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।

16.7 अब तक पूर्ववर्ती अल्पसंख्यक आयोग की 1978–79 से 1992–93 तक की चौदह (14) वार्षिक रिपोर्टें और सांविधिक आयोग की वर्ष 1993–94 से 2010–11 तक की अठारह (18) रिपोर्टें संसद में प्रस्तुत की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की प्रथम तीन वार्षिक रिपोर्टों को इस मंत्रालय के गठन से पहले

ही अनुवर्ती कार्रवाई ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों में रख दिया गया था। इस मंत्रालय के गठन के बाद की गई कार्रवाई ज्ञापन सहित 18 वार्षिक रिपोर्टों को उनमें की गई अनुशंसाओं के साथ संसद में रखा गया था।

16.8 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने सांविधिक राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन कर लिया है। पंजाब और केरल की राज्य सरकारों ने गैर–सांविधिक आयोगों का गठन किया है।

नई दिल्ली में 17 जनवरी, 2017 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन।

अध्याय–17

वक़्फ प्रशासन, केंद्रीय वक़्फ परिषद एवं राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम

17.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वक्फ अधिनियम, 1995, जो 1 जनवरी, 1996 से लागू हुआ, के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह अधिनियम, 2013 में संशोधित हुआ था। यह अधिनियम, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। जम्मू और कश्मीर, जिसका स्वयं का अपना अधिनियम है, को छोड़कर बत्तीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अधिनियम के अंतर्गत वक्फ बोर्डों का गठन कर लिया है।

मॉडल वक्फ नियम बनाना

17.2 यथा संशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 109 के तहत वक्फ नियम बनाने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों की सहायता करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श करके मॉडल वक्फ नियम, 2016 बनाया गया है। इस नियम को सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों में परिचालित किया गया है।

केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) के पुनर्गठन पर अध्ययन

17.3 राष्ट्रीय श्रमिक आर्थिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान (नीति आयोग के अंतर्गत एक संगठन) को राष्ट्रीय वक्फ परिषद के पुनर्गठन का अध्ययन कार्य सौंपा गया है। एजेंसी द्वारा मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसका विश्लेषण किया जा रहा है।

विभिन्न निकायों में संगठन के अध्यक्षों की नियुक्ति

I. श्री अशोक पई (आईएफओ 83–उत्तराखण्ड) को राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (नावाडको) (NAWADCO) में अपर सचिव के पद और वेतन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

II. श्री बी.एम. जमाल को केंद्रीय वक्फ परिषद में सचिव के रूप में नियुक्त किया है।

III. ले. कर्नल श्री मनसूर अली खान को दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर में नाजिम के रूप में नियुक्त किया है।

IV. यथा संशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9(5) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री एम.वाई. इकबाल को दिनांक 20.01.2017 की अधिसूचना द्वारा अधिनिर्णय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

वक्फ प्रभाग निम्नलिखित तीन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है:

(i) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की योजना

वक्फ संपत्तियां पूरे देश में फैली हुई हैं। वक्फ भूमियों की रिकार्ड कीपिंग को सुप्रवाही बनाने, पारदर्शिता लाने तथा सामाजिक लेखा–परीक्षा के लिए और वक्फ बोर्डो के विभिन्न कार्यों/प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण करने और एकल वेब–आधारित केंद्रीकृत एप्लीकेशन तैयार करने, जम्मू–कश्मीर सहित राज्य वक्फ बोर्डों को केंद्रीय वित्तीय सहायता की मदद से राज्य वक्फ बोर्डों के रिकार्डों का कंप्यूटरीकरण दिसंबर, 2009 से आरंभ किया गया है।

योजना के मुख्य उद्देश्यों में रिकॉर्ड कीपिंग को सुप्रवाही बनाना, पारदर्शिता लाना और वक्फ बोर्डों के कार्यों/प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण करना है। वक्फ मैनेजमेंट् सिस्टम ऑफ इंडिया (वामसी) हेतु वेब – आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में निम्नलिखित मॉडयूल शामिल हैं, कार्य कर रही है :

क) प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट

ख) मुतवल्ली रिटर्न्ज़ मैनेजमेंट

ग) लीजिंग ऑफ प्रापर्टीज मैनेजमेंट

घ) लिटिगेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट

यह योजना सभी 32 राज्य वक्फ बोर्डों और साथ ही जम्मू–कश्मीर के वक्फ बोर्ड पर भी लागू है।

32 राज्य/संघ शासित क्षेत्र वक्फ बोर्डों को निधियां जारी की गई हैं और आदिनांक सभी बोर्डों में केंद्रीकृत संगणक सुविधा–केंद्र (सीसीएफ) स्थापित किए गए हैं। वामसी (WAMSI) ऑनलाइन पंजीकरण मॉड्यूल में अभी तक वक्फ की अचल संपत्तियों की 5,54,662 की डाटा प्रविष्टि की गई है।

(ii) राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण (एसडब्ल्यूबी)

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने सौपीं अपनी नौवीं रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि राज्य वक्फ बोर्डों को केंद्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही मौजूदा सहायता न केवल अपर्याप्त बल्कि असमान भी है। तदनुसार वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण की प्लान स्कीम तैयार की गई है ताकि उनकी वक्फ संपत्तियों का और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह संचालन तथा प्रबंधन हो और आत्म–निर्भरता को प्राप्त करने वाले आय सृजन में बेहतरी हो सके। इस योजना के लिए नावाडको (NAWADCO) को कार्यान्वयन एजेंसी बनाया है। नावाडको को मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो बदले में राज्य वक्फ बोर्डों को विधिक एवं लेखा अनुभाग को सुदृढ़ बनाने हेतु और साथ ही राज्य वक्फ बोर्डों को प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक लागत के लिए निधियां जारी कराएगा। वक्फ संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु तंत्र को मज़बूत बनाने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 2016–17 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत नावाडको को 6.78 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई

शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास हेतु योजना

औकाफ मुस्लिम कानून द्वारा धर्मनिष्ठ, धार्मिक अथवा धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त प्रयोजन हेतु चल अथवा अचल संपत्तियों के स्थायी समर्पण हैं। उनके धार्मिक पहलुओं के अलावा, औकाफ सामाजिक कल्याण के उपकरण भी हैं क्योंकि इसके लाभ सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में जरूरतमंदों को प्रोद्भूत होते हैं। तथापि, देश में ज्यादातर औकाफ की एक सीमित एवं लगभग स्थिर आय है। परिणाम यह है कि आमतौर पर मुतवल्ली (औकाफ के प्रबंधक) वक्फ के आशय को अथवा उन प्रयोजनों को पर्याप्त रूप में पूरा करने में कठिनाई अनुभव करते हैं जिनके लिए ये वक्फ सृजित किए गए हैं। अधिकांश शहरी वक्फ भूमियों में विकास की बहुत संभावना पड़ी है किन्तु मुतवल्ली और यहां तक कि वक्फ बोर्ड भी पर्याप्त संसाधन जुटाने अथवा इन भूमियों पर आधुनिक कार्यात्मक भवनों का निर्माण करने की स्थिति में नहीं हैं।

औकाफ तथा औकाफ बोर्डों की वित्तीय स्थिति को सुधारने और उन्हें अपने कल्याण संबंधी क्रियाकलापों का दायरा बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए, केंद्र सरकार केंद्रीय वक्फ परिषद को देश में वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों को उनकी शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट प्रयोजनार्थ सहायता–अनुदान देती है।

केंद्रीय वक्फ परिषद राज्य वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों को परिषद द्वारा अनुमोदित आर्थिक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य विकास संबंधी कुछ विशिष्ट परियोजनाओं हेतु ऋण प्रदान करती है। इन परियोजनाओं

में वक्फ भूमियों पर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य भवनों का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण शामिल है। बढ़ी हुई आय का वक्फ बोर्डों/वक्फ को अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने और अपने कल्याण एवं धर्मार्थ क्रियाकलापों का विस्तार करने के लिए सक्षम होने हेतु उपयोग किया जाता है।

भारत सरकार ने केंद्रीय वक्फ परिषद को 2016–17 के दौरान 279.70 लाख रु. की राशि का सहायता–अनुदान जारी किया है।

केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्लयूसी)

पृष्ठभूमि

केंद्रीय वक्फ परिषद, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना देश में वक्फ बोर्डों के कार्यकरण से जुड़े मामलों तथा औकाफ के समुचित संचालन से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार की सलाहकारी निकाय के रूप में वक्फ अधिनियम, 1954 में दिए गए उपबंध के अनुसार 1964 में की गई थी। यथा संशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 में यथा निर्धारित उपबंध के अंतर्गत परिषद की भूमिका को काफी व्यापक बना दिया गया है। अब, परिषद को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देने की शक्तियां प्रदान की गईं हैं। सलाह की विस्तारित भूमिका के अलावा, परिषद अब बोर्ड को निष्पादन विशेषकर उनके वित्तीय निष्पादन, सर्वेक्षण, राजस्व अभिलेखों, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण, वार्षिक रिपोर्ट और लेखा–परीक्षा रिपोर्ट आदि के संबंध में सूचना प्रदान करने के निदेश जारी कर रहा है।

परिषद का एक अध्यक्ष होता है, जो वक्फ का केंद्रीय प्रभारी मंत्री होता है और भारत सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे अन्य सदस्य, जिनकी संख्या 20 से अधिक न हो। इस समय, श्री मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), केंद्रीय वक्फ परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं। 11वीं परिषद का पुनर्गठन वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9 की उप धारा(1) और (2) में दिए गए उपबंध के अनुसार 23 नवंबर, 2015 को 3 वर्षों की अवधि के लिए किया गया है। केंद्रीय वक्फ परिषद का कार्यालय केंद्रीय वक्फ भवन, सेक्टर–6, पुष्प विहार, फैमिली कोर्ट साकेत के सामने, नई दिल्ली–110017 में स्थित है।

संकल्पना

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा यथा संशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 के उपबंध के अनुसार औकाफ का संरक्षण, पुनः प्राप्ति और ई–मॉनीटरिंग।

मिशन

औकाफ के संरक्षण, विकास में पूर्व–सक्रिय भूमिका और राज्य वक्फ बोर्डों के कार्यकरण को बेहतर बनाने के लिए उनके साथ तालमेल से कार्य करना।

प्रमुख कार्य

- बोर्डों के कार्यकरण से संबंधित मामलों तथा औकाफ के समुचित संचालन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देना।
- वक्फ(संशोधन) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन को मॉनीटर करना।
- वक्फ संपत्तियों के संरक्षण एवं पुनः प्राप्ति तथा अतिक्रमण आदि को हटाने के संबंध में कानूनी सलाह देना।
- राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड द्वारा शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास एवं विकास हेतु संभावित वक्फ भूमि की पहचान की योजना को कार्यान्वित करना।

- कौशल विकास हेतु शैक्षणिक एवं महिला कल्याण संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करना तथा गरीबों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना, राज्य वक्फ बोर्डो के रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण की योजना को कार्यान्वित करना।
- वक्फ(संशोधन) अधिनियम, 2013 में दिए गए उपबंध के अनुसार राज्य वक्फ बोर्डो के निष्पादन के संबंध में राज्य सरकार/बोर्डों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करना।
- केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों जैसे कि एएसआई, रेलवे, राजस्व और वन आदि के साथ वक्फ संबंधी मामलों को उठाना।
- परिषद की भूमिका को प्रोत्साहित करने तथा वक्फ संस्थानों को उनकी नई भूमिका एवं कार्यों के बारे में सुग्राही बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के महत्वूपर्ण उपबंध

1. अतिक्रमणकर्त्ता की परिभाषा के अंतर्गत, सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों और ऐसे व्यक्ति को, जिसकी किरायेदारी, पट्टा अथवा लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई है अथवा समाप्त कर दी गई है, को वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण के जोखिम से छुटकारा पाने के लिए वक्फ बोर्ड अथवा अधिकरण की शक्ति को बढ़ाने के लिए शामिल किया गया है।

2. अब संशोधित अधिनियम के अंतर्गत वक्फ को इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म में आस्था रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा सृजित किया जा सकता है।

3. राज्य सरकार को औकाफ की सूची का रख–रखाव करने और 01.11.2013 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से वक्फ का सर्वेक्षण पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यदि औकाफ के सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई हो, तो तीन महीनों के भीतर उसकी नियुक्ति की जाएगी। सर्वेक्षण के प्रकाशन की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इससे पूर्व, ऐसी कोई वैधानिक बाध्यता नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप 1995 से अभी तक अधिकांश राज्यों में वक्फ का सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा, पहले से ही सर्वेक्षण की गई अथवा पंजीकृत वक्फ संपत्ति की संशोधित अधिनियम, 2013 के अंतर्गत समीक्षा नहीं की जाएगी। यह व्यवस्था की गई है कि राजस्व प्राधिकारी अपने भूमि रिकार्ड को अद्यतन करते समय वक्फ के रिकॉर्ड का संदर्भ लेने के लिए जिम्मेदार होगा जिससे राजस्व रिकॉर्डों में गलती होने की संभावना में निश्चित रूप से कमी आएगी।

4. अधिकरण को वक्फ के अधिकृत अधिभोगियों से पहुंचे नुकसानों का आकलन करने और इसे कलैक्टर के माध्यम से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने की शक्ति दी गई है तत्पश्चात्, अधिकृत अधिभोगियों को वक्फ संस्थानों अथवा वक्फ बोर्ड को नुकसानियों का भुगतान करना होगा।

5. केंद्रीय वक्फ परिषद को राज्य वक्फ बोर्डों को उनके वित्तीय निष्पादन, सर्वेक्षण, वक्फ विलेखों के रख–रखाव, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण, वार्षिक रिपोर्ट और लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के संबंध में निदेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गईं हैं। परिषद को स्व–प्रेरणा से सूचना मंगाने की शक्ति प्राप्त है। तथापि, केंद्रीय वक्फ परिषद के निदेश से उत्पन्न होने वाले विवादों को उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जज अथवा उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले न्याय–निर्णयन बोर्ड को भेजा जा सकता है।

6. प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की बार कौंसिल में कोई मुस्लिम सदस्य न हो तो, राज्य सरकार, राज्य वक्फ बोर्ड का गठन करते समय उस राज्य के किसी वरिष्ठ मुस्लिम अधिवक्ता को नामित कर सकती है। इसके अलावा, किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यावसायिक अनुभव रखने वाले मुस्लिम तथा शिया और सुन्नी इस्लाम धर्मशास्त्र के विद्वान और साथ ही राज्य सरकार के संयुक्त सचिव रैंक के किसी अधिकारी को राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया जाएगा इसमें एक

पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो मुस्लिम हो और उप सचिव के रैंक से नीचे न हो, होगा।

7. बोर्ड के सीईओ के माध्यम से संसूचित बोर्ड के निर्णय को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी जिला मैजिस्ट्रेट अथवा एडीएम अथवा एसडीएम की होगी। इस उपबंध का आशय वक्फ बोर्ड को उसके निर्णय को प्रशासन के माध्यम से क्रियान्वित कराने में और अधिक अधिकार देना है।

8. वक्फ संपत्तियों से आय का कुशलतापूर्वक अर्जन करने हेतु वाणिज्यिक, शैक्षणिक अथवा आवासीय प्रयोजनों के लिए 3 वर्षों की बजाए 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी जा सकती हैं। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों की पट्टेदारी के लिए नियम बनाए हैं, जिनका वक्फ बोर्ड को पालन करना होता है। मस्जिद, दरगाह, खानकाह, कब्रिस्तान अथवा इमामबाड़े को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता।

9. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों का भूमि अधिग्रहण वक्फ बोर्ड के सलाह–मशविरे से किया जाएगा। इसके अलावा, लोक पूजा का स्थान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 का उल्लंघन करते हुए तथा उन स्थितियों में जहां वैकल्पिक भूमि उपलब्ध है, में अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यदि कोई भूमि अर्जित की गई हो, तो अर्जित भूमि के बदले उपयुक्त भूमि अथवा प्रचलित बाजार मूल्य पर मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

10. एक दांडिक उपबंध को धारा 52(क) के रूप में पुरःस्थापित किया गया है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, जो बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना किसी वक्फ संपत्ति का हस्तांतरण अथवा खरीद अथवा स्थायी रूप से ले रहा हो, को एक अवधि, जिसे दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए कठोर कारावास की सज़ा दी जाएगी तथा ऐसा अपराध संज्ञेय तथा गैर–जमानती होगा। इसके साथ–साथ, इस प्रकार हस्तांरित संपत्ति वक्फ बोर्ड में निहित होगी। स्व–प्रेरणा हेतु उपबंधों के रहते, निहित होने से अधिकृत हस्तांरित वक्फ संपत्तियों की पुनःप्राप्ति में वक्फ बोर्ड को काफी मदद मिलेगी।

11. मुख्य कार्यपालक अधिकारी धारा 54 के अंतर्गत बेदखली का आदेश देने के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकता है।

12. मुस्लिम महिला (तलाक संबंधी अधिकार का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सक्षम क्षेत्राधिकार के कार्यालय द्वारा दिए गए आदेशानुसार मुस्लिम महिलाओं को भरण–पोषण का भुगतान वक्फ निधि के अनुप्रयोजन के प्रयोजनों से धारा 77 में शामिल किया गया है ताकि खानाबदोशी झेल रहीं महिलाओं को वक्फ बोर्ड से भरण–पोषण प्राप्त हो सके।

13. नए अधिनियम के अंतर्गत वक्फ अधिकरण में अध्यक्ष एवं दो सदस्य शामिल होंगे। अब, यह एक बहु–सदस्यीय अधिकरण होगा। संशोधित अधिनियम के अंतर्गत, अधिकरण का अध्यक्ष किसी जिले का/सैशन जज अथवा कोई श्रेणी 1 सिविल जज होगा, एक सदस्य मुस्लिम कानून और विधिशास्त्र के विशेषज्ञों में से एक व्यक्ति होगा तथा एक अन्य सदस्य एक सरकारी अधिकारी होगा जो एडीएम रैंक से नीचे का न होगा।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास की योजना की प्रगति

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, वक्फ विकास समिति की बैठक दिनांक 29.06.2016 को आयोजित की गई थी और समिति ने निम्नलिखित परियोजनाओं को ऋण की दूसरी एवं अंतिम किस्त जारी करने के लिए निम्नलिखित सिफारिश कीः

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राशि(लाख रु. में)
1.	यतीमखाना इस्लामिया, अंजुमन इस्लामिया, धामतारी (छत्तीसगढ़) की विकास परियोजना	33.00
2.	दरगाह हज़रत ख़्वाजा बंदानवाज, गुलबर्गा, (कर्नाटक) II परियोजना की विकास परियोजना	67.50
3.	पल्लीकुलम जमात और अनवारिया मदरसा कमेटी, त्रिशूर (केरल) की विकास परियोजना	40.00

4.	रिफत–उल इस्लाम मदरसा, साऊथ कलमास्सेरी, ज़िला एर्नाकुलम (केरल) की विकास परियोजना	86.00
5.	हैदरिया मस्जिद महल्लू, कमेटी, ओट्टापल्लम, जिला पलक्काड़	25.00
6.	हिदायतुल मुस्लिमीन यतीमखाना, मलप्पुरम (केरल) की विकास परियोजना	28.20
	योग	279.70

अध्यक्ष, केंद्रीय वक्फ परिषद ने उपर्युक्त वक्फों को ऋण जारी करने के लिए वक्फ विकास समिति (डब्लयूडीसी) की सिफारिश का अनुमोदन किया है।

तद्नुसार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए उपर्युक्त योजना के अंतर्गत सीडब्लयूसी को 279.70 लाख रुपये की राशि का सहायता–अनुदान जारी किया है। परिषद के कार्यालय ने उपर्युक्त लाभार्थी वक्फों को ऋण देने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है।

परिक्रामी निधि से वित्तपोषित लघु परियोजनाएं

शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास की योजना के अंतर्गत ऋणी वक्फ द्वारा चुकाई गई मूलधन की राशि परिषद की "परिक्रामी निधि" का निर्माण करती है जिसे लघु परियोजनाओं के लिए 75.00 लाख रुपये की सीमा तक के ऋण प्रदान करने के लिए पुनः उपयोग किया जाता है।

लघु परियोजना योजना के अंतर्गत, परिषद ने 95 लघु परियोजनाओं के लिए 639.11 लाख रुपये की राशि के कुल ऋण प्रदान किए हैं जिनमें से 70 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान केंद्रीय वक्फ परिषद की विशेष पहलः

''राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण'' की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाः

केन्द्रीय वक्फ परिषद 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई "राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण" की केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी है, के अंतर्गत क्रियान्वयनकर्ता एजेंसी है। यह योजना रिकार्ड कीपिंग को सरल बनाने, पारदर्शिता लाने और वक्फ बोर्डों के विभिन्न कार्यों/प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण करने तथा एक एकल कंप्यूटर आधारित केंद्रीकृत एप्लीकेशन विकसित करने के मद्देनजर क्रियान्वित की जाती है। मंत्रालय ने इस विशिष्ट कार्य के लिए अब तक 8.80 करोड़ रु. की कुल राशि जारी की है। कंप्यूटरीकरण का कार्य राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड रायपुर शाखा (भारत सरकार का उद्यम) को आउटसोर्स किया गया है। योजना की भली–भांति प्रगति हो रही है तथा सभी राज्यों में वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। परिषद द्वारा एनआईसीएसआई के पैनल में शामिल एजेंसियों के माध्यम से वामसी की ऑनलाइन प्रणाली के बारे में वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन भी किया जाता है। अब तक 05 बोर्डों के कर्मचारियों को उक्त प्रणाली पर प्रशिक्षण दिया गया है। प्रगति रिपोर्टें वेबसाइट www.waqf.gov.in पर उपलब्ध हैं।

केंद्रीय वक्फ परिषद द्वारा आयोजित क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय सम्मेलन

केंद्रीय वक्फ परिषद ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के संरक्षण, विकास एवं सुग्राहीकरण के लिए क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए राज्य वक्फ बोर्डों से अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित राज्य सरकार के साथ सलाह–मशविरा करके क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए तारीख निश्चित करें। तद्नुसार, निम्नलिखित राज्यों में संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों के सहयोग से सम्मेलन तथा केंद्रीय वक्फ परिषद द्वारा नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गयाः–

क्रम सं.	सम्मेलन का स्थान	सम्मेलन की तारीख	सीडब्ल्यूसी के प्रतिनिधि
1.	कटक (ओडिशा) में पूर्वी क्षेत्रीय वक्फ सम्मेलन	20.02.2016	श्री अली अहमद खान, सचिव, सीडब्ल्यूसी
2.	पटना (बिहार) क्षेत्रीय वक्फ सम्मेलन	15.03.2016	श्री अली अहमद खान, सचिव, सीडब्ल्यूसी
3.	एर्नाकुलम (केरल) में दक्षिणी क्षेत्रीय वक्फ सम्मेलेन	21.03.2016	श्री अली अहमद खान, सचिव, सीडब्ल्यूसी
4.	राष्ट्रीय वक्फ सम्मेलन, नई दिल्ली	30.03.2016	श्री अली अहमद खान, सचिव, सीडब्ल्यूसी

सम्मेलनों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को समुदाय के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए औकाफ की भूमिका के बारे में जागरूक करना तथा समुदाय के लाभ हेतु स्कूल, अस्पताल सरीखे संस्थानों एवं अन्य कल्याणकारी क्रियाकलापों को सहायता देने के लिए औकाफ की आय को बढ़ाना है। वक्फ अधिनियम, 1995, यथा संशोधित, ने राज्य वक्फ बोर्डों, वक्फ संस्थान एवं अन्य सरकारी निकायों की भूमिका को परिभाषित किया है। विभिन्न राज्यों में आयोजित सम्मेलनों ने वक्फ संपत्तियों के संरक्षण एवं पुनः प्राप्ति हेतु उपबंधों के बारे में जागरूकता पैदा करने में प्रभाव डाला है। वास्तव में, इन सम्मेलनों से उत्साह में नयापन आया है, समझ–बूझ में सुधार हुआ है तथा इनसे सीखने की गुणवत्ता भी बढ़ी है तथा समुदाय के निर्माण में भी मदद मिली है।

राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (नावाडको)

पृष्ठभूमिः–

भारत के पास विश्व की विशालतम वक्फ भूमि है। सच्चर समिति की रिपोर्ट, 2006 के अनुमान के अनुसार लगभग 4.9 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां है जिनमें लगभग 6 लाख एकड़ भूमि, इन संपत्तियों का बाजार मूल्य 1.20 लाख करोड़ रु. है। इनमें से अधिकांश संपत्तियां शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, उनकी क्षमता 12,000 करोड़ रु. प्रतिवर्ष की वार्षिक आय (2006 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार), अर्थात् बाजार मूल्य पर 10% प्रतिफल पर सृजित करने की है, यदि इन संपत्तियों का समुचित ढंग से विकास एवं प्रबंध किया जाए। इन संपत्तियों से होने वाली अधिशेष वार्षिक आय का उपयोग समुदाय के लोगों के कल्याण हेतु किया जाएगा।

वक्फ संपत्तियों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, 500 करोड़ रु. की प्राधिकृत पूंजी तथा 19.74 करोड़ रु. की प्रदत्त शेयर पूंजी के साथ राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (नावाडको) की स्थापना की गई थी। यह निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में है। अधिदेश भारत भर की मूल्यावान वक्फ संपत्तियों का विकास करना तथा अल्पसंख्यकों के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों की आय में बढ़ोत्तरी करना है। निगम का शेयरधारिता प्रतिरूप निम्नानुसार हैः–

	संस्थान का नाम	प्रतिवर्ष (%)
1.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी	49
2.	केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी)	09
3.	खुदरा खंड (निकायों कारपोरेट सहित वक्फ संस्थान एवं सार्वजनिक)	42
	कुल	**100**

II वक्फ संपत्तियों की पहचान

इस प्रक्रिया में, नावाडको पूरे भारत की 100 (एक सौ) से ज्यादा वक्फ संपत्तियों की पहचान करने में सक्षम रहा है, जिसके मुकाबले नावाडको के माध्यम से 35 वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए वक्फ संस्थानों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है।

दिल्ली की अन्य संपत्तियों का लक्ष्य रखने के दौरान धौला पीर, एम.बी. रोड संपत्ति आदि के विकास के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड उत्तर पर शीघ्र कार्रवाई करने में मदद लेने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल, दिल्ली के साथ 28.11.2016 को बैठक का आयोजन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल ने संबंधित अधिकारियों को संदेश सूचित करने का आश्वासन दिया है।

नावाडको के माध्यम से विकास के लिए पहचान की गई वक्फ संपत्तियों की संख्या तथा वक्फ संस्थानों/ राज्य वक्फ बोर्डों से प्राप्त इच्छा (रूचि की अभिव्यक्ति) निम्नानुसार हैः–

राज्य	पहचान की गई संपत्तियों की संख्या	प्राप्त हुई रूचि की अभिव्यक्ति
कर्नाटक	*17*	*7*
एनसीटी दिल्ली	*17*	*8*
राजस्थान	*1*	*1*
बिहार	*8*	*5*
तमिलनाडु	*9*	*6*
उत्तराखंड	*5*	*1*
उत्तर प्रदेश	*5*	*2*
चंडीगढ़	*1*	*1*
हरियाणा	*2*	*2*
महाराष्ट्र	*16*	*2*
मध्य प्रदेश	*6*	*0*
गुजरात	*6*	*0*
तेलंगाना	*5*	*0*
हिमाचल प्रदेश	*2*	*0*
कुल	*100*	*35*

III. राज्य वक्फ बोर्डों के साथ करार

बंगलूरू में 3 (तीन) वक्फ संपत्तियों का विकास करने के लिए कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड के साथ नावाडको ने करार पर हस्ताक्षर किए हैं। तथापि, राज्य सरकार की ओर से अनापत्तियां प्राप्त न होने के कारण राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा तीन परियोजनाएं रूक गई हैं।

हरियाणा, बिहार, राजस्थान और दिल्ली आदि सरीखें अन्य राज्यों में परियोजनाओं को आरंभ करने के प्रयास चल रहे हैं। नई संभावनाओं की तलाश करने के लिए हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य वक्फ बोर्डों के साथ सामान्य समझौता–ज्ञापन निष्पादित करने का प्रयास किया जा रहा है।

IV. सीईओ की नियुक्ति

भारत सरकार, मंत्रिमंडल की समिति की नियुक्ति के सचिवालय, लोक शिकायत एवं पेंशन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दिनांक 23.09.2016 के पत्र सं. 36/02/2016–ईओ (एसएम–I) के अनुसरण में, श्री अशोक पाई, आईएफएस(यू.के.:1983) (अपर सचिव रैंक का अधिकारी) ने दिनांक 29.09.2016 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के रूप में नावाडको का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अवधि के दौरान, नावाडको के उद्देश्यों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने तथा संभावित वक्फ संपत्तियों की पहचान करने के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। इस प्रयोजनार्थ मेघालय, बिहार, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 'वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और विकास' के संबंध में कई संवादात्मक सेमिनार आयोजित किए गए।

V. वित्तः–

- संविधिक लेखा–परीक्षा तथा सीएजी की लेखा–परीक्षा सफलतापूर्वक की जा रही है तथा तुलन पत्र समय पर प्रकाशित किए गए थे। एजीएम की तीसरी बैठक 27.09.2016 को आयोजित की गई थी।
- नावाडको के ट्रेड मार्क का पंजीकरण करने हेतु आवेदन फाईल किया गया था जो प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के लिए ट्रेड मार्क पंजीकरण प्राधिकरण के पास प्रक्रियाधीन है।

VI. वेबसाइटः–

नावाडको की वेबसाइट की डेवल्पर द्वारा डिजाइनिंग और विकास का कार्य पूरा होने के परिणाम स्वरूप कम्पनी ने सुरक्षा लेखा–परीक्षा करने के लिए अन्य एजेंसी को नियोजित किया है जो समापन के लिए प्रक्रियाधीन है। इसी बीच कम्पनी और डेवलेपर एनआईसी सर्वर (देशी सरकारी सर्वर) पर नावाडको की नए रूप से डिजाइन एवं विकसित की गई वेबसाइट अपलोड करने के लिए अपेक्षित प्रमाण–पत्रों के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के साथ समन्वय कर रहा है।

VII. राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण की योजना

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई 'राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण की योजना' की जिम्मेदारी पूरे भारत में राज्य वक्फ बोर्डों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17 में कार्यान्वयन के लिए नावाडको को सौंपी गई है। इस संबंध में नावाडको ने योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए कई कदम उठाए थे, जो निम्नानुसार हैः–

(i) वित्त वर्ष 2014–15 में, नावाडको ने वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण के लिए पूरे भारत के सभी पात्र राज्य वक्फ बोर्डों को संघटक–वार सहायता अनुदान का संवितरण करते हुए 3.90 करोड़ रु. (तीन करोड़ नब्बे लाख रु. केवल) का उपयोग किया है।

(ii) वित्त वर्ष 2015–16 में, नावाडको ने वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण के लिए पूरे भारत के सभी पात्र राज्य वक्फ बोर्डों को संघटक–वार सहायता अनुदान का संवितरण करते हुए 4.62 करोड़ रु. (चार करोड़ बासठ लाख रु. केवल) का उपयोग किया है।

(iii) वित्त वर्ष 2016–17 में, नावाडको को 6.78 करोड़ रु. (छह करोड़, अठहत्तर लाख रु. केवल) प्राप्त हुए हैं।

राज्य वक्फ बोर्डों के अध्यक्षों एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन 7 जनवरी, 2017 को आयोजित किया गया। माननीय राज्य मंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार) ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें राज्य वक्फ बोर्डों के सीईओ, अध्यक्षों एवं अन्य अधिकारियों ने भी शिरकत की।

अध्याय–18

दरगाह ख्वाज़ा साहेब, अजमेर

वर्ष 2016–17 के लिए दरगाह समिति, दरगाह ख्वाजा साहेब (आर.ए.), अजमेर (27.01.2017 के अनुसार)

18.1 ख्वाज़ा गरीब नवाज के रूप में विख्यात महान सूफी संत मोईनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा साहेब गरीब नवाज (आर.ए.) का दरगाह अजमेर, राजस्थान में स्थित है। यह एकमात्र दरगाह शरीफ है जिसका प्रबंधन एक विशेष संसद अधिनियम, दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1995 द्वारा किया जाता है। दरगाह समिति दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर से संबंधित महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापों का लेखा–जोखा निम्नलिखित पैरों में दिया गया है:–

1. **प्रबंधन:–**

भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना सं का. ज्ञा. 950(अ) दिनांक 12.04.2013 का.ज्ञा 1225(अ) दिनांक 16.05.2013 तथा का.ज्ञा. 1867(अ) दिनांक 27.06.2013 के तहत नियुक्त किए गए दरगाह समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान समपर्ण और निष्ठा से अपनी सेवायें समर्पित की है:–

क.	शेख आलिम	–	अध्यक्ष
ख.	जवेद अब्दुल माजिद पारेख	–	उपाध्यक्ष
ग.	मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ	–	सदस्य
घ.	अहमद खान	–	सदस्य
ङ.	मौलाना अब्दुल वदूद साहब "पीर अशरफ"	–	सदस्य
च.	चिश्ती ज़ियाउद्दीन ख़्वाजा मोइनुद्दीन	–	सदस्य
छ.	शाह एम्मर अहमद उर्फ नय्यर मियां	–	सदस्य
ज.	चौधरी वहाज अख्तर	–	सदस्य
झ.	खान मोहम्मद सईद	–	सदस्य

ले. कर्नल मंसूर अली खान ने 17.10.2016 को नाज़िम का पदभार ग्रहण किया है।

2. **दरगाह शरीफ का प्रबंधन**

दरगाह समिति का अधिदेश दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 के उपबंधों एवं इसके उप कानून 1958 के अनुसार अवसंरचना के विकास के माध्यम से तीर्थयात्रियों को सेवा उपलब्ध कराना है।

3. **2016–17 के दौरान दरगाह समिति द्वारा समर्पित सेवाओं से संबंधित संक्षिप्त विवरण**

- हजरत ख्वाजा गरीब नवाज(आर.ए.) के वार्षिक उर्स का प्रबंधन।
- रमजान के पवित्र महीने के दौरान विशेष सहरी/इफ्तार के प्रबंध के साथ गरीबों के लिए रोजाना लंगर।
- धर्मशास्त्र का ज्ञान उपलब्ध कराते हुए दारूल उलूम मोइनिया उस्मानिया दरगाह शरीफ का संचालन।
- सीबीएसई से कक्षा XII मान्यता प्राप्त ख्वाजा मॉडल सेकेण्डरी स्कूल, (अंग्रेजी माध्यम का स्कूल) का संचालन। यह स्कूल धर्मशास्त्र के आधारभूत ज्ञान और नैतिक शिक्षा के साथ–साथ शिक्षा उपलब्ध

करा रहा है।

- गरीब नवाज कंप्यूटर केंद्र का प्रबंधन।
- विधवाओं और जरूरतमंद व्यक्तियों को वज़ीफा।
- दो अलग–अलग औषधालयों अर्थात् यूनानी और होम्योपैथिक का अनुरक्षण।
- चिकित्सा, इंजीनियरिंग एवं अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए जरूरतमंद और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां।
- ईदगाह का अनुरक्षण और विभिन्न मस्जिदों को वित्तीय सहायता।
- लावारिस शवों को दफनाया जाना।
- दरगाह में फिल्टर किए गए पेयजल की व्यवस्था।
- पैतृक स्टाफ को हुकूक (मानदेय) की अदायगी।
- राष्ट्रीय एकता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन।
- समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए कानूनी साक्षरता कार्यक्रम।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा राजस्व विभाग द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए अवसंरचना व पर्यवेक्षण हेतु व्यवस्था आशयित है।
- संपत्तियों एवं धर्मस्व निधियों का संरक्षण एवं आवधिक अनुरक्षण तथा विकास।

4. **वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियां**

क. **सुविधाएं**

- 1500 बसों की पार्किंग सुविधा के साथ एक लाख ज़ायरीन के लिए विश्रामस्थली (अब गरीबनवाज़ मेहमानखाना) का विकास।
- झालरा जल परियोजना, 4 लाख लीटर प्रतिदिन के हिसाब से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु एक अनूठी परियोजना।

संपत्तियों का विकासः

- दरगाह संपत्तियों के सरंक्षण हेतु एक स्थायी रणनीति तैयार की गई।
- कानूनी मामलों में 99% सफलता।
- अनाधिकृत अधिभोगियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई और अभियान।

शिक्षा एवं अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापः

- ख़्वाजा मॉडल सैकेण्डरी स्कूल, कंप्यूटर सेंटर और दारूल उलूम के लिए शैक्षणिक अवसंरचना का विकास।
- राष्ट्रीय एकता संबंधी सेमीनार/सम्मेलन।
- अल्पसंख्यक दर्जे वाले स्कूलों को वित्तीय सहायता।
- छात्रों और शिक्षकों के लिए शैक्षणिक भ्रमण।

वित्तः

- 7.84 करोड़ की एफडीआर में निवेश।

प्रचार:

- वेबसाइट/बुकलेट्स/ मीडिया के माध्यम से दरगाह समिति के मामलात के संबंध में प्रचार।

सुरक्षा:

- सुरक्षा अवसंरचना जैसे कि सीसीटीवी, सिक्योरिटी गार्ड आदि की व्यवस्था।
- फ्लड लाइट्स का संस्थापन।
- अग्नि सुरक्षा के उपाय।

5. कल्याण एवं चैरिटी:

- आज़मीन–ए–हज को सेवायें।
- जरूरतमंद और शैक्षणिक रूप से बुद्धिमान छात्रों को वित्तीय सहायता।
- तीन औषधालयों के माध्यम से चिकित्सा सेवाये।
- विधवाओं को पेंशन।
- रमजान के महीने के दौरान 650 के लगभग गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराना।

6. उर्स एवं समागमों का प्रबंधन:

ख़्वाजा गरीब नवाज (रजि०) का 804वां वार्षिक उर्स अप्रैल, 2016 में आयोजित किया गया जिसमें लगभग 5.0 लाख ज़ायरीनों ने दरगाह की यात्रा की। उर्स में कोई आपात घटना नहीं हुई और ज़ायरीनों को सुविधाओं की पूर्ण अवसंरचना मुहैया कराई गई। इन प्रबंधों की राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा की गई। महान सूफी संत को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए विभिन्न गणमान्य अतिथियों ने भी दरगाह की यात्रा की।

7. ख़्वाजा मॉडल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल:

ख़्वाजा मॉडल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, अजमेर (केएमएस) की स्थापना दरगाह समिति, दरगाह ख़्वाजा साहेब अजमेर के तत्वावधान में 14 जुलाई, 1994 को की गई थी। अंग्रेजी माध्यम के दिवा स्कूल के रूप में, इसकी शुरूआत 35 छात्रों के साथ की गई थी, जबकि आज इसकी क्षमता 1700 प्लस से ज्यादा है। इसमें विशिष्ट सह–पाठ्यक्रम कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। सह–शिक्षा वाला यह स्कूल सभी (जाति, वर्ग, पंथ, समुदाय अथवा धर्म का विचार किए बिना) के लिए खुला है। केंद्र/राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक केंद्र के रूप में उपयोग किया जाता है। बेसमेंट, लिफ्ट तथा 24 अतिरिक्त कक्षा–कमरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

8. दरगाह समिति की बैठकें:

दरगाह समिति ने दरगाह शरीफ के विकास एवं प्रबंधन कार्यों के संबंध में वर्ष के दौरान 9 बैठकों का आयोजन किया।

9. वीवीआईपी के दौरे:

अन्यों के साथ–साथ निम्नलिखित गणमान्य अतिथियों ने दरगाह शरीफ का दौरा किया:

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति / पद	दौरे की तारीख
1.	श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया	माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार	15.08.2016
2.	श्रीमती महबूबा मुफ्ती	माननीया मुख्यमंत्री, जम्मू और कश्मीर सरकार	27.11.2016

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा माननीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को दरगाह पर भेंट करने हेतु चादर दी

माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रधानमंत्री जी की ओर से दरगाह पर चादर भेंट करते हुए।

अध्याय–19

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)

19.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) 30 सितम्बर, 1994 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अंतर्गत एक लाभ रहित कंपनी के रूप में निगमित की गई थी। एनएमडीएफसी अल्पसंख्यक समुदायों के बीच 'पिछड़े वर्गों' के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए स्व–रोज़गार एवं आय उत्पन्न करने वाले उद्यमों के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराता है।

19.2 एनएमडीएफसी की योजनाएं संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइज़िंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।

19.3 एनएमडीएफसी योजनाओं के अधीन सहायता का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय का पात्रता मानदंड ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 81,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 1.03 लाख रुपए है। इसकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एनएमडीएफसी ने थोड़ी उच्च ब्याज दरों पर थोड़ी अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में 6.00 लाख रुपए तक की उच्चतर वार्षिक पारिवारिक आय का पात्रता मानदंड शुरू किया है।

19.4 सरकार ने 2015 में एनएमडीएफसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 1500.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3000.00 करोड़ कर दी है और केन्द्र सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और संस्थानों/व्यक्तियों के लिए शेयर धारण करने की पद्धति भी 65:26:9 से संशोधित करके क्रमशः 73:26:1 कर दी है। भारत सरकार ने 31.12.2016 तक एनएमडीएफसी की केन्द्रीय इक्विटी में 1265 करोड़ रुपए (2016–17 के दौरान 140 करोड़ रु. इक्विटी सहित) का अंशदान दिया है जबकि राज्यों ने 274.82 करोड़ रुपए का अंशदान दिया है।

19.5 ऋण प्रदान करने की गतिविधि के अतिरिक्त, एनएमडीएफसी लक्षित समूह को कौशल उन्नयन और विपणन सहायता के लिए मदद प्रदान करता है। निगम लक्षित समूहों की स्व–रोजगार के साथ–साथ वैतनिक रोजगार के लिए क्षमता निर्माण हेतु राज्य चैनेलाइज़िंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से व्यावसयिक प्रशिक्षण और शैक्षिक ऋण की योजनाएं भी क्रियान्वित कर रहा है।

19.6 उपलब्धियां:

- 1994 में इसकी शुरुआत से 15.12.2015 तक एनएमडीएफसी ने 1221514 लाभार्थियों को 3678.66 करोड़ रुपए का ऋण संवितरित किया है।
- 2015–16 के दौरान 86103 लाभार्थियों को 473.29 रुपए की राशि वितरित की गई।
- चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 (30.11.2016 तक) के दौरान एनएमडीएफसी ने 45084 लाभार्थियों को 184.75 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए हैं।

- मंत्रिमंडल द्वारा 10.02.2015 को हुई अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में एनएमडीएफसी ने अपने बिजनेस मॉडल की पुनर्संरचना में एनएमडीएफसी की सहायता करने के लिए मैसर्स आईएल/एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड को परामर्शदात्री संगठन के रूप में नियुक्त किया है।

19.7 <u>एनएमडीएफसी की योजनायें एवं कार्यक्रम</u>: एनएमडीएफसी की मौजूदा रियायती ऋण पद्धति को दो धारकों में विभाजित किया गया है:–

<u>ऋण पद्धति 1</u>:– यह रियायती ऋण की वर्तमान धारा है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में 81,000 रुपये प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में 1.03 लाख रुपये प्रतिवर्ष की आय सीमाओं के आधार पर रियायती ब्याज दर पर संवितरित किया जा रहा है।

<u>ऋण पद्धति 2</u>:– अल्पसंख्यक आबादी के 6.00 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले तबके जिसे भारत सरकार द्वारा ओबीसी के "क्रीमी लेयर" मापदंड के आधार पर परिभाषित किया गया है, को रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह उस ब्याज दर पर रियायती ऋण प्राप्त करेगा, जो ऋण पद्धति 1 से उच्चतर है।

i. सावधि ऋण योजना

यह योजना वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है तथा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसिययों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। सावधि ऋण योजना के अंतर्गत, वित्तपोषण हेतु 20.00 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं (ऋण पद्धति–2 हेतु 30.00 लाख रुपए तक) पर विचार किया जाता है। परियोजना की शेष लागत का वहन एससीए और लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। एनएमडीएफसी परियोजना लागत के 90% की सीमा तक ऋण उपलब्ध कराता है। तथापि, 5 वर्ष की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए लाभार्थियों को परियोजना की बकाया लागत का न्यूनतम 5% अंशदान देना होता है। लाभार्थी से 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर प्रभारित की जाती है। ऋण पद्धति–2 के लिए, पुरूष लाभार्थियों को 8% प्रतिवर्ष तथा महिला लाभार्थियों को 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 30.00 लाख रुपये तक दिए जाते हैं।

सावधि ऋण योजनाओं के अंतर्गत वाणिज्यिक रूप से किसी भी व्यवहार्य एवं तकनीकी रूप से व्यावहारिक उद्यम के लिए सहायता उपलब्ध है, जिसे सुविधा के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:

क) कृषि एवं संबद्ध

ख) तकनीकी ट्रेड

ग) लघु व्यवसाय

घ) कारीगर एवं पारम्परिक व्यवसाय, तथा

ङ) परिवहन एवं सेवायें क्षेत्र

ii शैक्षणिक ऋण योजना

यह योजना वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है तथा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। एनएमडीएफसी अल्पसंख्यकों से संबंधित पात्र व्यक्तियों के लिए रोजगार आधारित शिक्षा को सुकर बनाने के उद्देश्य से शैक्षणिक ऋण उपलब्ध कराता है। इस योजना के अंतर्गत, पांच वर्षों से अनधिक अवधियों के 'तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों' के लिए 15.00 लाख रुपए (ऋण पद्धति–2 हेतु 20.00 लाख रुपये) का ऋण अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, विदेश के पाठ्यक्रमों के लिए 20.00 लाख रुपए (ऋण पद्धति–2 हेतु 30.00 लाख रुपये) का ऋण उपलब्ध है। इस प्रयोजनार्थ एससीए को 1% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर निधियां, लाभार्थियों को 3% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार देने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। ऋण पद्धति–2 के अंतर्गत, एससीए को 2% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर निधियां, लाभार्थियों को पुरूष लाभार्थियों को 8% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर तथा महिला लाभार्थियों को 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार पर देने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। यह

ऋण पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् अधिकतम पांच वर्षों में देय है।

iii. लघु वित्तपोषण योजना

लघु वित्तपोषण योजना के अंतर्गत, एससीए/एनजीओ के माध्यम से स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों को लघु–ऋण दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, स्व–सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को अधिकतम 1.00 लाख रुपये तक के लघु–ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। गैर सरकारी संगठनों/एससीए को 1%की ब्याज दर पर निधियां दी जाती हैं जो आगे 7% प्रतिवर्ष से अनाधिक की ब्याज दर पर स्व–सहायता समूहों को उधार देते हैं। ऋण–पद्धति–2 के अंतर्गत, स्व–सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को 1.50 लाख रुपये, पुरूष लाभार्थियों के लिए 10% प्रतिवर्ष तथा महिला लाभार्थियों के लिए 8% प्रतिवर्ष से अनाधिक की ब्याज दर पर दिया जाता है। योजना के अंतर्गत अदायगी की अवधि अधिकतम 36 महीने हैं।

iv. महिला समृद्धि योजना

स्व–सहायता समूहों में शामिल की जाने वाली महिलाओं को टेलरिंग, कटिंग और एम्ब्रायडरी इत्यादि सरीखे व्यवसायों में शामिल लघु ऋण को जोड़ने की एक अनूठी योजना है। यह एनएमडीएफसी की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों और साथ ही साथ गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत, किसी उपयुक्त महिला अनुकूल शिल्प क्रियाकलाप में लगभग 20 महिलाओं के समूह को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह समूह प्रशिक्षण के दौरान ही स्व–सहायता समूह बना दिया जाता है और प्रशिक्षण के उपरान्त, इस प्रकार गठित स्व–सहायता समूह के सदस्यों को लघु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि छहः माह है और प्रशिक्षण के अधिकतम खर्चे प्रति प्रशिक्षणार्थी 1500 रुपए प्रतिमाह हैं। प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षुओं को 1000 रुपए प्रतिमाह का वजीफा भी दिया जाता है। प्रशिक्षण लागत और वजीफे के खर्च की पूर्ति एनएमडीएफसी द्वारा अनुदान के रूप में की जाती है। प्रशिक्षण के उपरान्त, स्व–सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर अधिकतम 1.00 लाख रुपए के अध्यधीन आवश्यकता आधारित लघु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

19.8 एनएमडीएफसी की संवर्धनात्मक योजनायें

i. **व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाः** एनएमडीएफसी की व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य स्व/मजदूरी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लक्षित व्यक्तिगत लाभार्थियों को कौशल प्रदान करना है। यह योजना राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है, जो स्व/मजदूरी रोजगार के लिए संभाविता वाले ट्रेडों में स्थानीय सरकार के स्वामित्व वाले/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों की मदद से अपने राज्यों में आवश्यकता आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम की लागत छहः महीनों की अधिकतम अवधि के पाठ्यक्रमों के 2000 रुपये प्रति अभ्यर्थी प्रति माह तक है। प्रशिक्षण के दौरान प्रति अभ्यर्थी को 1000 रुपये प्रति माह की दर से वजीफा भी दिया जाता है। एससीए/प्रशिक्षण संस्थान को औपचारिक क्षेत्र में 50% प्रशिक्षणार्थियों के प्लेसमेंट के साथ मजदूरी रोजगार/स्व–रोजगार में कम से कम 80% प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेंट सुनिश्चित करना होता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को 1 वर्ष की हैंडहोल्डिंग सहायता भी दी जाती है।

ii. **विपणन सहायता योजनाः** विपणन सहायता योजना व्यक्तिगत शिल्पकारों, एनएमडीएफसी के लाभार्थियों के साथ–साथ एसएसजी के लिए है और एससीए तथा एनजीओ दोनों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। विपणन को सवंर्धित करने और शिल्पकारों के उत्पादों का लाभकारी कीमतों पर बिक्री हेतु उनकी सहायता के उद्देश्य से, एनएमडीएफसी चुनिन्दा स्थानों पर राज्य/जिला स्तर की प्रर्दशनियां आयोजित करने में एससीए तथा एनजीओ की मदद करता है। इन प्रर्दशनियों में, अल्पसंख्यक शिल्पकारों के हस्तकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों को प्रर्दशित किया जाता तथा बेचा जाता है। ऐसी प्रदर्शनियां ''क्रेता–विक्रेता समागम'' का प्रयोजन भी सिद्ध होता है, जिसे घरेलू बाजार के साथ–साथ निर्यातों के लिए उत्पाद विकास और बाजार संर्वधन के लिए अत्यधिक उपयोगी समझा जाता है। एनएमडीएफसी प्रस्तावों के संक्षिप्त मूल्यांकन के पश्चात योजना के विशिष्ट दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए अनुदान प्रदान करता है।

अध्याय–20

मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान

20.1 मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर–लाभकारी समाज सेवा संगठन है, जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। जुलाई, 1989 में, सोसाइटी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन इसका पंजीकरण किया गया था। इस प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य विषेशतः शैक्षिक तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यकों और सामान्यतः कमजोर वर्गों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना है।

20.2 एमएईएफ की संरचनाः अल्पसंख्यक कार्य मामलों के केंद्रीय मंत्री इस प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष हैं। प्रतिष्ठान के सामान्य निकाय में 15 सदस्य हैं, जिनमें 6 पदेन सदस्य और 9 नामित सदस्य होते हैं जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। इसके कार्यों का प्रबंधन इसके शासी निकाय के सुपुर्द है, जिसमें छः सदस्य होते हैं, इसमें अध्यक्ष–एमएईएफ, उपाध्यक्ष–एमएईएफ, खजांची–एमएईएफ, भी शामिल है और तीन सदस्य सामान्य निकाय में से चुने जाते हैं।

20.3 इसकी आय का एकमात्र स्रोत एमएईएफ की निवेश की गई समग्र निधि पर अर्जित ब्याज है। एमएईएफ ने भारत सरकार से संचित निधि के रूप में 2016–17 (15.12.2016 के अनुसार) तक कुल 1249.00 करोड़ रु. प्राप्त किए हैं, जिन्हें बैंकों में सावधि जमा के रूप में निवेशित रखा गया गया है और इससे मिलने वाले ब्याज का उपयोग एमएईएफ की शैक्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन में किया जाता है।

20.4 मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) निम्नलिखित दो योजनाएं कार्यान्वित कर रहा हैः

20.4.1 **शैक्षणिक संस्थाओं के अवसंरचना विकास के लिए गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता अनुदानः** निम्नलिखित कार्यों के लिए सहायता–अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती हैः

- स्कूलों/बीएड कॉलेजों/वीटीसी/आईटीआई/पॉलिटेक्निक और छात्रावास भवनों का निर्माण/विस्तार।
- विज्ञान/कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरण/फर्नीचर की खरीद।
- तीन साल से चल रहे और मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, जिसमें 50% से अधिक अल्पसंख्यक छात्र हैं, का प्रबंधन करने वाले एनजीओ आवेदन कर सकते हैं।
- एक एनजीओ की उच्चतम सीमा 30 लाख रु. है।

20.4.2 **अल्पसंख्यको से संबंधित मेधावी छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्तिः**

अल्पसंख्यकों से संबंधित छात्राओं को 12,000/– रु. प्रति छात्रा की दर से (प्रतिवर्ष 6,000/– रु.दो किस्तों में) निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती हैः

- दसवीं कक्षा में न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना।
- 11वीं कक्षा में स्थायी दाखिला होना।
- माता/पिता की वार्षिक आय रु. 1 लाख प्रतिवर्ष से कम होना।
- चयन राज्य–वार कोटे में मेरिट के आधार पर किया जाता है।
- 15.12.2016 के अनुसार, 12वीं योजना के दौरान 1,53,741 छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए प्रदान की गई हैं।

अध्याय–21

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम

21.1 प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में की गई। इसमें निश्चित लक्ष्यों के साथ कार्यक्रम विशिष्ट क्रियाकलापों की व्यवस्था है, जिन्हें निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त किया जाना होता है। इस कार्यक्रम के उद्देष्य हैं – (क) शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना; (ख) वर्तमान तथा नयी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समुचित भागीदारी, स्व–रोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और केन्द्र व राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती सुनिश्चित करना; (ग) अवसंरचना विकास योजना से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना; और (घ) सांप्रदायिक असामंजस्य तथा हिंसा का निवारण और नियंत्रण करना।

21.2 इस कार्यक्रम के अंतर्गत नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्प सुविधाप्राप्त लोगों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्गों तक पहुंचे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यकों तक समान रूप से पहुंचें, नए कार्यक्रम में इन विकास परियोजनाओं के कुछ भाग को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अवस्थित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें यह भी प्रावधान है कि जहां कहीं संभव हो, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों और परिव्ययों का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

21.3 इस कार्यक्रम के लक्षित समूह में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों में पात्र वर्ग हैं–मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी तथा जैन। राज्यों में जहां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक समुदाय वास्तव में, अधिसंख्य में है, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक/वित्तीय लक्ष्य केवल अन्य अधिसूचित समुदायों के लिए निर्धारित होंगे। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं–जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्व ीप।

21.4 इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर प्रत्येक संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है। केन्द्रीय स्तर पर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी समग्र प्रगति की समीक्षा अन्य मंत्रालयों के नोडल अधि ाकारियों के साथ तिमाही आधार पर की जाती है। इस कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा सचिवों की समिति द्वारा 6 माह में एक बार की जाती है तथा उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। दिशानिर्देशों में की गई परिकल्पना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रगति की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समितियां गठित करनी होती हैं। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी ऐसे ही तंत्र की परिकल्पना की गई है।

दक्षिण राज्यों के अल्पसंख्यक कार्य प्रभारी माननीय मंत्रियों तथा सचिवों के साथ समीक्षा बैठक

क. वर्ष 2016–17 के दौरान 15: निर्धारण योग्य योजनाओं के अंतर्गत प्रगति नीचे दर्शायी गई हैं –

1. **वास्तविक**

क्रम सं.	योजना / कार्यक्रम / पहल	उपलब्धि (संख्या)
1. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) (उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित) (30.06.2016 के अनुसार)		
(i)	निर्मित प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	41
(ii)	निर्मित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	25
(iii)	निर्मित अतिरिक्त कक्षा कमरों की संख्या	497
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पीएमएवाई–जी (पूर्व में इंदिरा आवास योजना) के अंतर्गत सहायता प्राप्त गरीबी रेखा के नीचे के परिवार {ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित} – **(30.06.2016** के अनुसार)		3,06,439
3. दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) (पूर्व में एसजीएसवाई / आजीविका) {ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित} – **(30.6.2016** के अनुसार)		
(i)	सोशल मोबलाईजेशन के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	7,179
(ii)	परिक्रामी निधि के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्व–सहायता समूहों (एसएचजीएस) की संख्या	1,557
(iii)	सामुदायिक निवेश सहायता निधि (सीआईएफ) के अंतर्गत सहायता प्राप्त एसएचजीएस की संख्या	1,587
4. दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई–एनयूएलएम) के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियां {आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित}		
(i)	लाभार्थियों की संख्या, जिन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना	लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। अतः, उपलब्धियां रिपोर्ट नहीं की गई।
(ii)	लघु–उद्योग (व्यक्तिगत एवं समूह) की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	-तदैव-
(iii)	बनाए गए स्व–सहायता समूहों के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	-तदैव-
(iv)	एसएचजी – बैंक लिंकेज के अंतर्गत एसएचजी में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	-तदैव-
5. आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम स सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) योजना के अंतर्गत आंगनवाडी केंद्रों का परिचालन		योजना अधिकतम स्तर तक पहुंचने के कारण कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

II. वित्तीय:

क्रम सं.	योजना / कार्यक्रम / पहल	उपलब्धि (करोड रु. में)
1	पीएमएवाई–जी	-शून्य-
2	डीएवाई–एनयूएलएम	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।
3	पीएसएल	2,89,632.62 (30.06.2016 के अनुसार बकाया संचयी आंकड़ें)
4	डीएवाई–एनआरएलएम (राशि परिक्रामी निधि के रूप में वितरित)	2.20
5	डीएवाई–एनआरएलएम (राशि सीआईएफ के रूप म वितरित)	5.81
6	आईटीआई को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में उन्नयन {कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित}	400 आईटीआई में से 60 आईटीआई को उन्नयन के लिए लिया गया है। परियोजना के लक्ष्य से अधिक निधियां जारी की गई है। 2016–17 के दौरान 30.09.2016 तक 47.20 लाख रु. जारी किए गए

ख. **2016–17 के दौरान कार्यक्रम में शामिल तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं (अनन्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए) के अंतर्गत प्रगति निम्नलिखित अनुसार है।**

क्रम सं.	योजना	वास्तविक (संख्या)		वित्तीय (करोड़ रु. में)	
		2016-17		**2016-17**	
		लक्ष्य	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
1	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	30,00,000	शून्य	931.00	0.00 (एनएसपी– II द्वारा डीबीटी के माध्यम से जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।)
2	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	5,00,000	शून्य	550.00	0.00 (एनएसपी– II द्वारा डीबीटी के माध्यम से जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।)
3	मेरिट–सह–साधन छात्रवृत्ति योजना	60,000	शून्य	335.00	0.09 (एनएसपी– II द्वारा डीबीटी के माध्यम से जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।)
4	स्नातकोत्तर अध्येतावृत्ति / मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	756	756	80.00	79.90
5	आर्थिक क्रियाकलापों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की ऋण योजनाएं	कोई वास्तविक लक्ष्य नहीं	45,084 (30.11.2016 तक)	467.50	184.75 (30.11.2016 तक)
	(i) शैक्षणिक संस्थानों के अवसंरचना विकास के लिए एनजीओ को सहायता–अनुदान	निर्धारित नहीं किया गया है।	प्रक्रिया में	30.00	प्रक्रिया में
	(ii) कक्षा XI और XII की अल्पसंख्यक मेधावी छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियां	50,000	प्रक्रिया में	60.00	प्रक्रिया में
7	निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	7,000	4750	45.00	25.49

ग. 2016-17 के दौरान अल्पसंख्यक संस्थानों/विद्यालयों के लिए विशेष पहल के रूप में शामिल योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां (**20.09.2016 के अनुसार)**

क्रम सं-	योजना/कार्यक्र म/पहल	उपलब्धि
1.	मदरसों में गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना (एसपीक्यूईएम) {स्कूली	6,256 मदरसों के 1,557 अध्यापकों को कवर करते हुए 83.30 करोड़ रु. जारी किए गए। शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कार्यान्वित}
2.	अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) {स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कार्यान्वित}	13 संस्थानों को 20.60 करोड़ रु. जारी किया गया।
3.	उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन {स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कार्यान्वित}	शून्य

घ. वर्ष 2015–16 के दौरान 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत शामिल की गई उन योजनाओं की उपलब्धियां, जिनके तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रवाह/लाभ की निगरानी रखी जाती है, नीचे दर्शायी गई हैं:

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम/पहल	उपलब्धि (कवर किए गए अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों की संख्या और स्वीकृत परियोजना लागत)
1	शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवाएं (बीएसयूपी) (16.10.15 तक संचयी उपलब्धियां) (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय) (16.10.2015 के अनुसार)	5,894.89 करोड़ रुपए (24 शहर)
2	समन्वित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) (16.10.15 तक संचयी उपलब्धियां) (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन	2171.53 करोड़ रुपए (138 शहर)
3	मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित) (16.10.2015 के अनुसार) शहरी अवसंरचना एवं शासन (यूआईजी), (2014–15 तक संचयी उपलब्धियां) (शहरी विकास मंत्रालय) (20.09.2016 के अनुसार)	2477.73 करोड़ रुपए (12 शहर) परियोजनाओं की संख्या : 23
4	छोटे एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) (2014–15 तक संचयी उपलब्धियां) (शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित) (20.09.2016 के अनुसार)	222.34 करोड़ रुपए (7 शहर) परियोजनाओं की संख्या : 7
5	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) (पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित) (डीडब्ल्यूएस) (30.09.2016 के अनुसार)	2814 आवासों के लिए (कुल का 10.36%) 300.03 करोड़ रु. (कुल का 14.80%) जारी।

ङ. सरकारी विभागों/संगठनों में अल्पसंख्यकों की भर्ती (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दी गई सूचना):

2011–12 से 2014–15 तक केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, बैंकों आदि में अल्पसंख्यकों की भर्ती की स्थिति नीचे दर्शायी है (कोष्ठक के आंकड़े कुल भर्ती से भर्ती किए गए अल्पसंख्यकों के प्रतिशत को दर्शाते है):–

संगठन	2013.14	2014.15
मंत्रालय/विभाग, अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय	5,814 (8.21)	*5,161 (8.92)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा वित्तीय संस्थान	10,504 (10.83)	5,572 (8.58)
अर्ध सैनिक बल	2,576 (8.55)	2,303 (8.44)
डाक	710 (14.66)	777 (8.50)
रेल	5,598 (7.00)	4,176 (8.68)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)	1,03,762 (7.69) 234 सीपीएसई# के लिए	833 (6.61)
कुल	**1,28,964** **(7.89)**	****18,822** **(8.56)**

*74 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त डाटा

**79 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त डाटा

सीपीएसई: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

च. सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी दिशा–निर्देश (गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना):

गष्ह मंत्रालय ने जून, 2008 में सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। "साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण एवं पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005" शीर्षकयुक्त विधेयक, जो राज्य सभा में लंबित था, को 05.02.2014 को वापिस ले लिया गया तथा ''सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम (न्याय एवं क्षतिपूर्ति तक पहुंच) विधेयक, 2013'' शीर्षकयुक्त विध ोयक तैयार किया गया एवं 16.12.2013 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। राज्य सभा में विधेयक के पुरःस्थापन के लिए दिनांक 17.12.2013 को नोटिस भेजा गया था किंतु इसे पुर्नस्थापित नहीं किया जा सका। "साम्प्रदायिक हिंसा की रोकथाम (न्याय एवं क्षतिपूर्ति तक पहुंच) विधेयक, 2014" शीर्षकयुक्त विधेयक के पुरःस्थापन के लिए 20.01.2014 को राज्य सभा में पुनः नोटिस दिया गया था। तथापि, सदन ने दिनांक 05.02.2014 को राज्य सभा में विचार–विमर्श के उपरांत इसके पुरःस्थापन को आस्थगित कर दिया था।

अध्याय–22

सच्चर समिति की रिपोर्ट और अनुवर्ती कार्रवाई

22.1 भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकड़े/जानकारी एकत्र करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजिन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने दिनांक 17 नवम्बर, 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में कई निर्णय लिए और संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नलिखित अनुसार है :–

22.2 वित्तीय सेवाएं विभागः

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पर्याप्त अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों में अधिक से अधिक शाखाएं खोलें। वर्ष 2016–17 के दौरान (30.06.2016 तक) 94 नई शाखाएं खोली गईं। दिनांक 30.06.2015 की स्थिति के अनुसार, अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों (एमसीडी) में 20,944 बैंक शाखाएं कार्य कर रही हैं।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऋण सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिक क्षेत्र ऋण संबंधी अपने मास्टर सर्कुलर को 1 जुलाई, 2016 को संशोधित किया है। दिनांक 30.09.2016 की स्थिति के अनुसार, 2,97,944.12 करोड़ रुपए जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का 15.56% है, अल्पसंख्यकों के प्रति बकाया था।

(iii) अग्रणी बैंकों की जिला परामर्शी समितियां (डीसीसी) अल्पसंख्यकों के ऋण आवेदनों के निस्तारण और उन्हें अस्वीकार किए जाने के कार्य पर नियमित मॉनीटरिंग कर रही हैं।

(iv) महिलाओं में लघु वित्त ऋण को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक महिलाओं के 527,880 खाते खोले गए तथा 5,930 करोड़ रुपए का लघु ऋण दिया गया (30.06.2016 के अनुसार बकाया)।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/जिलों/नगरों में जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान (30.06.2016 तक) ऐसे क्षेत्रों में 5,211 जागरूकता अभियान चलाए गए।

(vi) वर्ष 2016–17 के दौरान (30.06.2016 तक) अग्रणी बैंकों ने अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/जिलों/नगरों में 2,046 उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए और लाभार्थियों की संख्या 33,132 है तथा 12856 लाभार्थियों को 98.87 करोड़ रुपए की राशि का ऋण दिया गया।

22.3 मानव संसाधन विकास मंत्रालय :

सच्चर समिति द्वारा यथा इंगित मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्या के समाधान हेतु एक बहु–आयामी कार्यनीति अपनाई गई है, जो नीचे दर्शायी गई हैः–

(क) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के मानदण्ड को 1 अप्रैल, 2008 से संशोधित किया गया है, ताकि 30% से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले ब्लॉकों तथा राश्ट्रीय औसत से नीचे के महिला साक्षरता वाले शहरी क्षेत्रों को योजना में शामिल किया जा सके। अभी तक अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्वीकृत सभी 555 केजीबीवी को शुरू कर दिया गया है।

(ख) माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) नामक योजना अनुमोदित की गई है। इस योजना में सरकारी स्कूल खोलने के लिए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए वरीयता निर्धारित की गई है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे योजना के तहत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते समय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नए स्कूलों की स्थापना/स्कूलों

के उन्नयन को प्राथमिकता दें। वर्ष 2009–10 में आरएमएसए की शुरूआत से 30.03.2016 तक देश में 8154.76 करोड़ रुपए की राशि के साथ स्वीकृत कुल 12,394 नए माध्यमिक स्कूलों में से 889.83 करोड़ रुपए राशि के साथ 1,370 (11.26%) को अल्पसंख्यक बहुल जिलों में मंजूरी दी गई है।

(ग) पॉलिटेक्निकों संबंधी सब–मिशन की योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्तर पर 291 जिले वित्तीय सहायता हेतु लक्षित हैं, जिनमें से 55 जिले अल्पसंख्यक बहुल जिले (एमसीडी) हैं। संचयी रूप से 2009 से 2015–16 तक राष्ट्रीय स्तर पर 295 पालिटेक्निकों के लिए 2,442.44 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जिसमें से 413.78 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक बहुल जिलों के 55 पॉलिटेक्निकों हेतु जारी किए गए थे।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अल्पसंख्यक विशेषकर, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कालेजों और विश्वविद्यालयों में और अधिक बालिका छात्रावासों की व्यवस्था करने को वरीयता दी जाती है। कार्यक्रम की शुरूआत से वर्ष 2015–16 तक राष्ट्रीय स्तर पर 265.80 करोड़ रुपए की राशि के साथ स्वीकृत 850 महिला छात्रावासों में से 36.91 करोड़ रुपए की राशि के साथ 177 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अनुमोदित/स्वीकृत किए गए है। 2016–17 के दौरान, योजना के अंतर्गत कोई नए छात्रावास को शामिल नहीं किया गया है।

(ङ) क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को संशोधित कर दो योजनाओं में बांटा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना (एसपीक्यूईएम) की शुरूआत की गई थी। इसमें शिक्षकों को बेहतर वेतन प्रदान करने तथा पुस्तकों, शिक्षण सामग्रियों और कम्प्यूटरों के लिए अधिक सहायता प्रदान करने और व्यावसायिक विषयों की शुरुआत करने आदि जैसे आकर्षक प्रावधान शामिल है। दूसरी योजना, जो सहायता–प्राप्त/सहायता–रहित अल्पसंख्यकों के निजी संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी है। 2016–17 के दौरान, एसपीक्यूईएम तथा आईडीएमआई योजनाओं के लिए 120 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। यह योजनाएं मांग प्रेरित हैं तथा 30.09.2016 तक 103.60 करोड़ रुपए की निधियां जारी की गई हैं।

(च) परिवर्ती उच्चत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, राज्य मदरसा बोर्डों द्वारा, जिनके प्रमाण–पत्रों और अर्हताओं को तत्संबंधी राज्य बोर्डों द्वारा समकक्ष माना गया है, जारी प्रमाण–पत्रों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), कॉउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन इन इंडिया (सीओबीएसई) अथवा/और किसी अन्य स्कूल परीक्षा बोर्ड के समकक्ष माना जाएगा। वर्ष 2005 से 01.03.2015 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का दर्जा देने वाले 10687 प्रमाण–पत्र जारी किए हैं।

(छ) संशोधित योजना के तहत, ऐसे किसी क्षेत्र के सरकारी स्कूल में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है, जिस क्षेत्र में उर्दू बोलने वालों की आबादी 25% से अधिक हो। वित्तीय सहायता राज्य सरकार के स्कूलों में नियुक्त उर्दू शिक्षकों के लिए प्रचलित वेतन ढांचे पर आधारित होगी। अंश–कालिक उर्दू शिक्षकों को मानदेय भी स्वीकार्य है। वर्ष 2014–15 के दौरान, पंजाब सरकार को 42 उर्दू शिक्षकों के वेतन के लिए 1.18 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई थी। योजना में और संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार भारत सरकार उर्दू शिक्षकों, जहां किसी कक्षा के 15 अथवा इससे अधिक छात्र इसका विकल्प लेते हैं, की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। वर्ष 2016–17 के दौरान उर्दू शिक्षकों को स्वीकृत करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ज) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का नया रूपांतरण 'साक्षर भारत' 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए 08.09.2009 को शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य योजना के अंत तक 70 मिलियन गैर–साक्षर वयस्कों को साक्षर बनाना है। इस योजना का अल्पसंख्यकों से संबंधित महिलाओं पर विशेष ध्यान है। कार्यक्रम के अधीन 12 मिलियन मुस्लिमों (10 मिलियन महिलाएं और 2 मिलियन पुरुष) को कवर करने का प्रस्ताव है। साक्षर भारत 410 पात्र जिलों में से उन 395 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है जहां 2001 की जनगणना के अनुसार वयस्क महिला साक्षरता दर 50% या इससे नीचे है। इसके अतिरिक्त, मुस्लिमों विशेषकर

महिलाओं में साक्षरता में सुधार करने के लिए साक्षर भारत कार्यक्रम की समग्र छत्रछाया में एक लक्षित अभिकेन्द्रित दृष्टिकोण, मौलाना आजाद तालीम–ए–बालिगान फरवरी, 2014 में शुरू किया गया है।

साक्षरता की मांग पैदा करने और इसके लाभों का प्रचार करने के लिए मुस्लिम समुदाय में लोकप्रिय मीडिया के सभी रूपों (प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक), लोक, सांस्कृतिक और धार्मिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए एक जन संघटन अभियान डिजाइन किया गया है। इस अभियान के अधीन 11 राज्यों में 61 अल्पसंख्यक बहुल जिलों को मिलाकर राज्य संसाधन केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिन्हें साक्षर भारत के अधीन कवर किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित राज्य संसाधन केन्द्रों की 2014–15 की वार्षिक कार्य योजना में उपयुक्त बजट प्रावधान रखा गया है। चूंकि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के सहयोग से अगस्त, 2010 से अगस्त, 2014 में पहला आंकलन किया गया है, अतः 3.13 करोड़ वयस्क साक्षर के रूप में प्रमाणित किए हैं जिनमें से 24 लाख (कुल का 8%) अल्पसंख्यक समुदाय से प्रमाणित नौसिखिया के रूप में दर्ज किए गए हैं। 2016–17 के दौरान, अल्पसंख्यक बहुल जिलों के साक्षर भारत पात्र जिलों सहित सभी जिलों में साक्षर भारत कार्यक्रम का कार्यान्वयन जारी है।

(झ) जन शिक्षण संस्थान देश में 88 मुस्लिम प्रधानता वाले जिलों में से 33 में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। पर्याप्त अल्पसंख्यक आबादी वाले अतिरिक्त जिलों को कवर करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस कार्यक्रम के अधीन 2012–13 में कवरेज 12.2% था। वर्ष 2013–14 (अक्तूबर, 2013 तक) 2,48,757 लाभार्थियों में से 30,629 (12.31%) मुस्लिम थे। 2015–16 तथा 2016–17 की प्रथम तिमाही के दौरान, कोई नया जन शिक्षण संस्थान स्थापित नहीं किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मौलाना आजाद तालीम–ए–बालिगान पहल के अधीन मुस्लिम बहुल जिलों में 10 नए जन शिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ञ) एमडीएम योजना देश में वर्ष 2007–08 से आगे सभी क्षेत्रों के लिए बढ़ाई गई और उच्चतर प्राथमिक स्कूलों को भी कवर करती है। इस योजना के अधीन मुस्लिम बहुल आबादी वाले ब्लॉक कवर किए जाते हैं। मदरसों में पढ़ रहे बच्चे भी इस कार्यक्रम के अधीन कवर किए जाते हैं। तत्कालीन योजना आयोग (नीति आयोग) ने इस योजना को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्थित गैर–सहायता प्राप्त निजी तौर पर प्रबंधित स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए लागू करने को अनुमोदित किया है; जिससे एमसीडी और विशेष अभिकेन्द्रित जिलों में 29,116 स्कूलों में लगभग 60.37 लाख बच्चों को लाभ होगा।

(ट) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को विद्यमान स्कूल भवनों और सामुदायिक भवनों को स्कूली बच्चों के लिए अध्ययन केन्द्र के रूप में प्रयोग में लाने की सलाह दी गई है।

(ठ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा–2005 (एनसीएफ) के आलोक में सभी कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई हैं। 23 राज्यों ने एनसीएफ, 2005 के अनुसार अपने पाठ्यक्रमों को संशोधित कर लिया है। दस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनसीईआरटी सिलेबस का जबकि तीन संघ राज्य क्षेत्रों ने पड़ोसी राज्यों की पाठ्यपुस्तकों अथवा एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करते हैं।

(ड) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अपवर्जन और समावेशी नीति के अध्ययन हेतु 35 विश्वविद्यालयों ने अध्ययन केन्द्रों की शुरूआत की है। यूजीसी ने 23 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 114 राज्य विश्वविद्यालयों, 12 मानद विश्वविद्यालयों तथा 2179 कॉलेजों में अल्पसंख्यक एससी/एसटी/ओबीसी के लिए 2328 समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना की है और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 46.07 करोड़ रुपए की निर्मुक्ति की।

(ढ) 12वीं योजना में केन्द्रीय प्रायोजित योजना में अन्य बातों के साथ–साथ 196 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/एमसीडी में ब्लॉक अध्यापक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की संकल्पना है जो उस

मापदंड पर निर्भर करते हुए स्थापित किए जाएंगे जिनके आधार पर ब्लॉक अध्यापक शिक्षा संस्थान स्थापित करने के लिए जिले की पहचान की गई है। इस योजना में 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर किया है। 2015–16 तक 09 राज्यों में 30 ब्लॉक अध्यापक शिक्षा संस्थान अनुमोदित किए गए हैं।

22.4 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय :

समान अवसर आयोग (ईओसी) की संरचना और कार्यों संबंधी अध्ययन और अनुशंसा के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट 13 मार्च, 2008 को सौंपी। विविधता सूचकांक की अवधारणा को समान अवसर आयोग में शामिल किया गया है। समान अवसर आयोग का प्रारूप विधेयक विधि एवं न्याय मंत्रालय से परामर्श करके तैयार किया गया था और प्रारूप विधेयक को मंत्रिमंडल द्वारा 20.02.2014 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है। किंतु संसद में विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के पूर्व ही आम चुनाव होने थे और नई सरकार बननी थी, अतः वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार, ईओसी के गठन का प्रस्ताव, मंत्रिमंडल द्व ारा इस पर पुनर्विचार किए जाने के पूर्व इसे अंतरमंत्रालयी परामर्श के लिए पुनः परिचालित किया गया था। मंत्रालय को मसौदा मंत्रिमंडल नोट पर विभिन्न मंत्रालय/विभागों से भिन्न–भिन्न विचार प्राप्त हुए और विभिन्न पणधारियों के साथ मंत्रालय में मामले की जांच की जा रही है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तथा वक्फ़ संशोधन अधिनियम, 2013 लागू हो गया है।

सरकार ने देश में सार्वजनिक उपयोग के लिए वक्फ संपत्तियों के विकास में वित्तपोषण करने के लिए 500 करोड़ रु. की प्राधिकृत पूंजी तथा 100 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी के साथ राष्ट्रीय वक्फ़ विकास निगम (नावाडको) को निगमित किया है। प्राधिकृत शेयर पूंजी में अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) का 49%, केन्द्रीय वक़्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) का 9% तथा निजी वक़्फ संस्थानों तथा सार्वजनिक का 42% अंशदान होगा।

सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के पुनर्गठन को "सिद्धान्ततः" अनुमोदन प्रदान कर दिया है। मंत्रिमंडल की 10.02.2015 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मंत्रालय ने एनएमडीएफसी की पुनर्संरचना को सुविधाजनक बनाने के लिए 22.06.2015 को एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। एनएमडीएफसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 1500 करोड़ रु. से बढ़ाकर 3000 हजार करोड़ रु. करने के मंत्रालय के प्रस्ताव का भी मंत्रिमंडल ने अनुमोदन कर दिया है। मंत्रिमंडल ने मंत्रालय द्वारा यथा प्रस्तावित अनुसार एनएमडीएफसी की पुनर्संरचना को अनुमोदित किया है। एनएमडीएफसी के पुनर्संरचना के निरीक्षण के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है।

अल्पसंख्यक बहुल अभिज्ञात 338 नगरों के विकास हेतु उपयुक्त कार्यनीति और कार्य योजना तैयार करने के लिए गठित अंतरमंत्रालयीन कार्य दल द्वारा 08 नवम्बर, 2007 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को इन 338 नगरों में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। अंतरमंत्रालयीन कार्य दल ने निम्नलिखित व्यापक अनुशंसाएं कीं :–

शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य अवसंरचना में पता लगाई गई कमियों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (पूर्व में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना है। मूलभूत सुविधाओं में पता लगाई गई कमियों को शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना है।

(क) अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं नामतः – पहली से दसवीं कक्षा के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना, 11वीं से पी.एच.डी. तक की शिक्षा के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और पूर्व–स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इसके अलावा, एमफिल तथा पी.एच.डी. शोधकर्ताओं हेतु मौलाना

आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) योजना नामक अध्येतावृत्ति योजना कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) सरकार ने मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की समग्र निधि में भी वृद्धि करने का जिम्मा लिया है ताकि यह शैक्षिक संस्थानों और गैर–सरकारी संगठनों को अवसंरचना विकास के लिए सहायता अनुदान और मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान कर सकें। एमएईएफ की मौजूदा समग्र निधि 1,136 करोड़ रु. है।

(ग) वर्ष 2006–07 में संशोधित कोचिंग एवं संबद्ध योजना की शुरूआत की गई थी ताकि अधिक से अधिक अल्पसंख्यक तकनीकी शिक्षा की प्रवेश परीक्षाओं के साथ–साथ सरकारी और अन्य नौकरियों में अर्हता प्राप्त कर सकें।

(घ) वर्ष 2008–09 में 90 अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) की शुरुआत की गई। सरकार ने 12वीं योजना के दौरान, बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु पुनर्गठन को अनुमोदित किया है। योजना की ईकाई को बदलकर जिलों के बजाए ब्लॉकों/नगरों/गांवों के समूह को बना दिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 710 ब्लॉकों तथा 66 नगरों को कार्यान्वयन हेतु अभिज्ञात किया गया है।

22.5 सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय :

सामाजिक–धार्मिक समुदायों के लिए विभिन्न समाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानदंडों से संबंधित आंकड़े संकलित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में एक राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित किया गया है। जनसंख्या संबंधी 200 से ज्यादा तालिकाएं (जनगणना 2001 तथा जनगणना 2011) सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं (30.09.2016 तक)।

22.6 नीति आयोग (पूर्ववर्ती योजना आयोग) :

(क) उचित एवं सुधारात्मक नीतिगत निर्णय लेने के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण हेतु योजना आयोग में स्वायत्त आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण स्थापित किया गया था। चूंकि दिनांक 15 जनवरी, 2011 को आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का कार्यकाल समाप्त हो गया, इसलिए योजना आयोग ने आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का पुनर्गठन किया और पुनर्गठित आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण ने तीन कार्य समूहों का सृजन किया। तीनों कार्य समूहों ने 12.05.2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण ने, अन्य बातों के साथ–साथ, कार्यक्रमों की आवधिक मानीटरिंग और उनकी कार्यक्षमता की समीक्षा करने और नीतिगत उपायों के संबंध में सुझाव देने के लिए सिफारिश की है कि अपने सचिवालय के साथ आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का नियमित संस्थान होना चाहिए। नीति आयोग (पूर्ववर्ती योजना आयोग) ने सलाह दी है कि आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में स्थापित किया जाए। आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण के स्थान का मुद्दा विचाराधीन है। इस बीच आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण की रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को परिचालित की दी गई।

(ख) कौशल विकास संबंधी प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद (पीएमएनसीएसडी), योजना आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वयन बोर्ड (एनएसडीसीबी) तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) को शामिल करते हुए केंद्रीय स्तर पर मई, 2013 तक कौशल विकास हेतु एक त्रि–स्तरीय संस्थागत संरचना कार्य कर रही थी। तथापि, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयानुसार पीएमएनसीएसडी, एनएसडीसीबी तथा कौशल विकास संबंधी प्रधानमंत्री के सलाहकार के कार्यालय को राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) में मिला लिया गया है। एनएसडीए वित्त मंत्रालय के अधीन एक स्वायत निकाय है तथा इसे अन्य बातों के अलावा, सरकार और निजी क्षेत्र के कौशल विकास संबंधी प्रयासों में ताल मेल बिठाने और उनका समन्वयन करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है ताकि 12वीं योजना तथा इसके पश्चात के कौशल संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके तथा सामाजिक, धार्मिक, लैंगिक एवं आर्थिक विभाजन को दूर किया जा सके।

22.7 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग :

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकारी कर्मचारियों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किए गए हैं। ये माड्यूल प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय/राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को भेजे गये हैं।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य सरकारों और संघ राज्य–क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के थानों में मुस्लिम पुलिस कार्मिकों तथा मुस्लिम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और शिक्षकों की तैनाती करें।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के थानों में मुस्लिम पुलिस कार्मिकों तथा मुस्लिम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और शिक्षकों की तैनाती करने संबंधी आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करते हुए अनुदेश जारी किए हैं। प्रत्युत्तर में, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस संबंध में समुचित परिपत्र जारी किए गए हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सूचित किया है कि वर्ष 2014–15 के दौरान 79 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों आदि में 18,822 अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों की भर्ती की है, जो की गई कुल भर्तियों का 8.56% बनता है (आंकड़े अनंतिम)।

22.8 गृह मंत्रालय :

(क) परिसीमन अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने सच्चर समिति की रिपोर्ट में परिसीमन योजनाओं के तहत आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में खामियों के संदर्भ में व्यक्त चिंताओं पर विचार किया है तथा अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उच्च स्तरीय समिति द्वारा सुझाव दिए गए अनुसार परिसीमन अधि ानियम पर मंत्रियों के समूह द्वारा विचार किया गया था तथा इसे मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर, परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 2008 प्रख्यापित किया गया, जिसे तदनंतर परिसीमन अधिनियम, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(ख) राष्ट्रीय परामर्शी परिषद(एनएसी) में एक कार्यकारी समूह ने ''साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा की रोकथाम (न्याय तक पहुंच एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2011" शीर्षक से एक विधेयक का मसौदा तैयार किया था। एनएसी ने विधेयक 25.07.2011 को गृह मंत्रालय को भेजा। उसकी जांच–पड़ताल की गई और बाद में ''साम्प्रदायिक हिंसा की रोकथाम (न्याय तक पहुंच एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2013" शीर्षक से एक नया विधेयक तैयार किया गया जिसे मंत्रिमंडल द्वारा 16.12.2013 को अनुमोदित किया गया। संसद के शीतकालीन सत्र में ''साम्प्रदायिक हिंसा की रोकथाम (न्याय तक पहुंच एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2014" नामक विधेयक को राज्य सभा में पुरःस्थापित करने के लिए दिनांक 20.01.2014 को राज्य सभा में नोटिस दिया गया। तथापि, दिनांक 05.02.2014 को राज्य सभा में विचार–विमर्श के उपरांत, इसके पुरःस्थापन को आस्थगित कर दिया गया। "साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण एवं पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005" शीर्षक से एक विधेयक, जो राज्य सभा में लंबित था, 05.02.2014 को वापस ले लिया गया।

22.9 शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय :

(i) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत शहरी अवसंरचना एवं गवर्नेंस (यूआईजी), लघु एवं मध्यम नगरों में शहरी अवसंरचना विकास की योजना (यूआईडीएसएसएमटी), समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) तथा शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवायें (बीएसयूपी) के लिए निधियों के प्रवाह को कारगर बनाने हेतु अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों और शहरों में धनराशि के प्रवाह के आवश्यक उपाय किए गए हैं, ताकि ऐसे नगरों और शहरों से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल हों।

(क) यूआईजी के अंतर्गत, 20.09.2016 तक अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 18 शहरों के लिए 2,477.73

करोड़ रु. की मंजूरी दी गई है।

(ख) यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत, 20.09.2016 तक अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 7 नगरों के लिए 222.34 करोड़ रु. की मंजूरी दी गई है।

(ग) आईएचएसडीपी के अंतर्गत, 20.09.2016 तक अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 138 नगरों के लिए 2171.53 करोड़ रु. की मंजूरी दी गई है।

(घ) बी. एस. यू. पी. के अंतर्गत, 20.09.2016 तक 24 नगरों के लिए 5894.89 करोड़ रु. की मंजूरी दी गई है।

(ii) आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी और केरल राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड परिसंपत्तियों पर किराया नियंत्रण अधिनियम से छूट दी गई है, जबकि असम, गुजरात, हरियाणा, मेघालय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने बताया है कि मामला विचाराधीन है। अरूणाचल प्रदेश, दमन दीव, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड राज्यों ने सूचित किया है कि उनके राज्य में वक्फ संपत्ति नहीं है। ओडिशा, मणिपुर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ने स्पष्ट किया गया है कि कोई किराया नियंत्रण अधिनियम नहीं है।

22.10 श्रम और रोजगार मंत्रालयः

असंगठित क्षेत्र में, जिसमें अन्य के साथ–साथ गृह आधारित कामगार शामिल हैं, को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया है।

22.11 संस्कृति मंत्रालयः

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाली वक्फ संपत्तियों की सूची की समीक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परिमंडलों की राज्य वक्फ बोर्डों के साथ बैठकें आयोजित की गयी हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा वक्फ़ संपत्तियां, जो केंद्र द्वारा संरक्षित हैं, की सूची तैयार की गई है और इसे संबंधित प्राधिकारियों को अपने–अपने राज्य वक्फ़ बोर्डों के साथ बैठकें आयोजित करने के निर्देश देते हुए परिचालित किया गया है। संस्कृति मंत्रालय एएसआई के अंतर्गत, वक्फ़ों की सूची की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय वक्फ़ परिषद के साथ नियमित बैठक कर रहा है।

22.12 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय :

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रचार–प्रसार क्षेत्रीय भाषाओं में किया जा रहा है।

22.13 पंचायती राज मंत्रालय एवं भाहरी विकास मंत्रालय :

शहरी विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि निम्ननिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैंः आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, हरियाणा, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन ने सूचित किया है कि द्वीप समूह में किसी भी समुदाय को धार्मिक अथवा भाषा के आध ाार पर अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में घोषित नहीं किया गया है। तथापि, मौजूदा परिषद में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखने वाले सदस्य शामिल हैं, जिन्हें निगम चुनाव की सामान्य प्रक्रिया के तहत चुना गया है। अरूणाचल प्रदेश ने कहा कि पूरे राज्य में विभिन्न जनजातीय समूहों का वास है, जिनकी अलग पहचान एवं संस्कृति है। वे अनुसूचित जनजाति की विशेष सुविधाओं और सामाजिक अधिकारों का लाभ उठाते हैं। अतः इसने अभी तक शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) गठित नहीं किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार मामले पर विचार कर रही है। गोवा में यूएलबी में अल्पसंख्यकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। हिमाचल

प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं है।

पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल के आधार पर स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति में सुधार लाने के लिए अपेक्षित एडवाइजरी जारी की है। दस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए संगत अधिनियम में उपयुक्त प्रावधान मौजूद हैं अथवा ग्रामीण स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों का समुचित प्रतिनिधित्व है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्य/संघ राज्य क्षेत्र IX राज्य का हिस्सा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दमन एवं दीव ने सूचित किया है कि अल्पसंख्यकों के अलग प्रतिनिधित्व के लिए या तो कोई प्रावधान मौजूद नहीं है अथवा ऐसा प्रावधान करना संभव नहीं है।

22.14 सूचना और प्रसारण मंत्रालय :

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विज्ञापन, फिल्म चित्र जारी किए जाते रहे हैं, जिनमें छात्रवृत्ति योजनाओं तथा सच्चर समिति रिपोर्ट के अनुसरण में की गई पहलों से संबंधित जानकारी शामिल की गई है।

अध्याय–23

हज प्रभाग

23.1 हज समिति अधिनियम, 2002 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संचालन सहित हज यात्रा के प्रबंधन से संबंधित कार्य 01 अक्तूबर, 2016 से विदेश मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है। तद्नुसार, हज संबंधी मामलों की देख–रेख में मंत्रालय में संयुक्त सचिव (हज) की अध्यक्षता में एक पृथक प्रभाग स्थापित किया गया है। हज प्रभाग में कार्मिकों की क्षमता को पूरित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर 24 पद भी अनुमोदित किए गए हैं।

23.2 मंत्रालय विदेश मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय हज समिति (एचसीओआई) तथा भारत के प्रधान कौंसलावास (सीजीआई), जेद्दा, सऊदी अरब राष्ट्र के साथ तालमेल स्थापित करके हज संबंधी कार्यों का प्रबंध करता है। यह मंत्रालय भारतीय हज समिति, जो हज समिति अधिनियम, 2002 के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय है, से संबंधित मामलों की देख–रेख भी करता है, सीजीआई जेद्दा के हज संबंधी प्रस्तावों को आवश्यक अनुमोदन प्रदान करता है, सीजीआई, जेद्दा में अल्पकालिक प्रतिनियुक्ति पर प्रशासनिक एवं चिकित्सा/परा चिकित्सा अधिकारियों का चयन, निजी टूर ऑप्रेटरों (पीटीओ) का पंजीकरण तथा पीटीओ को हज कोटे के आबंटन आदि से संबंधित कार्य भी देखता है।

23.3 हज भारत सरकार द्वारा भारत की सीमाओं के बाहर संचालित किया जाने वाला सबसे बड़ा विदेशी क्रियाकलाप है। यद्यपि, यह केवल पांच दिवसीय धार्मिक समागम होता है, वास्तव में यह एक वर्ष का लम्बा प्रबंधकीय अभ्यास है। भारतीय हज यात्री हज करने वाले तीसरे विशालतम राष्ट्रीय समूह हैं। हज 2016 में, कुल 1,35,903 तीर्थ यात्रियों ने हज यात्रा की।

23.4 हज 2016 हेतु, भारत सरकार ने 539 अधिकारियों (समन्वयकों, सहायक हज अधिकारी, हज सहायक, चिकित्सकों एवं परा चिकित्सा स्टाफ) को नियुक्त किया तथा भारत के प्रधान कौंसलावास, जेद्दा को 1.38 करोड़ रु. के मूल्य की दवाइयां एवं चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति की। भारत के प्रधान कौंसलावास, जेद्दा ने मक्का और मदीना में मुख्य कार्यालय की स्थापना की, मक्का में 13 शाखा कार्यालय, मदीना में 3 शाखा कार्यालय, जेद्दा और मदीना हज टर्मिनलों पर औषधालयों वाले कार्यलय, मक्का में 40 बिस्तरों वाला अस्पताल, मक्का के अजीजिया क्षेत्र में 40 बिस्तरों वाला अस्पताल, मक्का में 13 शाखा औषधालय, मदीना में 10 बिस्तरों वाले मुख्य औषधालय तथा मदीना में 3 शाखा औषधालयों की स्थापना की।

23.5 भारत सरकार हज यात्रा को उच्च प्राथमिकता देती है। सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि हज यात्रा से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाए तथा हज यात्रियों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए। हज यात्रियों कों बेहतर सुविधायें एवं सेवायें उपलब्ध कराने के लिए, कई पहलें की गई हैं। इनमें भारतीय हज समिति को हज आवेदन का फार्म ऑनलाईन प्रस्तुत करने, तथा हज यात्रियों को ई–भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने; मक्का और मदीना के भवनों में हज यात्रियों हेतु सुविधाओं में सुधार; अजीजिया में ठहराएं गए हाजियों के लिए परिवहन व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने; हज यात्रियों हेतु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने; उड़ानों के समय पर पहुंचने एवं रवानगी के कारगर प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुए हाजियों के लिए हवाई यात्रा के प्रबंधों को सुप्रवाही बनाना; तीव्र एवं कारगर ऑनलाइन शिकायत प्रबंध प्रणाली; भारतीय हज यात्रियों के लिए सूचना वाले मोबाईल फोन एप्लीकेशन ''इंडियन हाज़ीज इंफोर्मेशन सिस्टम'' का प्रयोग; 24X7 हेल्पलाइन, समय पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु टॉल फ्री नंबर तथा वॉटस ऐप तथा एसएमएस का उपयोग; वैकल्पिक आधार पर इस्लामिक डेवलेपमेंट बैंक के माध्यम से अज़ही कूपन; भारतीय हज समिति के माध्यम से जा रहे हज यात्रियों के लिए मशाइर क्षेत्र में मेट्रो ट्रेन द्वारा यात्रा की व्यवस्था शामिल हैं।

भारतीय हज समिति के साथ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की हज समितियों के अध्यक्षों एवं कार्यपालक अधिकारियों की बैठक।

23.6 मंत्रालय एवं अन्य संबंधित एजेंसियों/संगठनों द्वारा हज 2017 की तैयारियां पहले से ही आरंभ कर दी गई है। हज 2016 के लिए किए गए प्रबंधों की विदेश मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय हज समिति, भारत के प्रधान कौंसलावास, जेद्दा, एयर इंडिया एवं अन्यों के प्रतिनिधियों के साथ 07 नवंबर, 2016 को आयोजित बैठक में व्यापक रूप से समीक्षा की गई। संपूर्ण समीक्षा के उपरांत हज 2017 के लिए विभिन्न एजेंसियों हेतु अधिदेश को अंतिम रूप दिया गया। मंत्रालय ने भारतीय हज समिति से साथ–साथ 4 निजी टूर ऑप्रेटरों के हज प्रचालनों के लिए यथासमय रीति से सभी प्रमुख क्रियाकलापों की योजना एवं निष्पादन का कार्य संपन्न करने के लिए कदम उठाएं हैं। मंत्रालय ने 20 दिसंबर, 2016 को हज के लिए एक नई वेबसाइट अर्थात् www.haj.gov.in का भी शुभारंभ किया है। भारतीय हज समिति ने दिनांक 02.01.2017 को एंड्राइड बेस्ड मोबाइल एप्लिकेशन की शुरूआत की है। हज के लिए आवेदन एवं भुगतान सीधे ऐप पर भी किया जा सकता है। दिशा–निर्देश, आवेदन एवं ई–भुगतान मॉड्यूल ऐप पर उपलब्ध है। यह गूगल प्लेस्टोर पर उपलब्ध है।

माननीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नक़वी 20 दिसंबर, 2016 को नई दिल्ली में हज प्रभाग की वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए।

23.7 माननीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मुख्तार अब्बास नक़वी के नेतष्त्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने वर्ष 1438एच (2017) हेतु भारतीय हज यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं एवं अपेक्षाओं पर चर्चा करने के लिए सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 11 जनवरी, 2017 को आयोजित द्विपक्षीय बैठक के लिए सऊदी अरब का दौरा किया। बैठक के दौरान भारत एवं सऊदी अरब के बीच हज 2017 का वार्षिक द्विपक्षीय हज करार हस्ताक्षरित किया गया। करार के अनुसार, सऊदी अरब सरकार ने हज 2017 के लिए भारतीय हज यात्रियों का कोटा 1,36,020 से 1, 70,025 कर दिया है।

जेद्दा में सऊदी अरब के हज मंत्री एच. ई. डॉ. मोहम्मद सालेह बेन्तेन के साथ भारत–सऊदी अरब के बीच हज 2017 के लिए द्विपक्षीय करार।

अध्याय –24

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

24.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(ख) के उपबंधों के अनुसार, इस मंत्रालय ने सभी संगत सूचना अर्थात् मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य और कर्त्तव्य, मंत्रालय में उपलब्ध अभिलेख और दस्तावेज आदि को आम जनता की सूचना और मार्गदर्शन के लिए मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर अपलोड किया है। इसमें, मंत्रालय और इसके विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी सूचना उपलब्ध करायी गई है।

24.2 बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के तहत प्राप्त उपलब्धियों के आंकड़े तथा इन योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को मंत्रालय की वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रदर्शित कर दिया जाता है और अद्यतित किया जाता है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत, राज्य सरकारें छात्रवृत्ति प्रदत्त छात्रों के नामों की सूचियां अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती हैं जिसके लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर हाइपर लिंक उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त, बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अपेक्षित होता है कि पूर्ण हुए और चल रहे कार्यों के फोटोग्राफ प्रस्तुत करें, जिन्हें मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है। मंत्रालय की अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित लाभार्थियों की शंकाओं के समाधान और सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन भी है।

24.3 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इस अधिनियम के अंतर्गत बारह केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों और छह प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को पदनामित किया है। वर्ष 2016–17 में (31 दिसंबर, 2016 तक) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 815 आरटीआई आवेदन और 103 अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुईं थीं।

अध्याय –25

सरकारी लेखा–परीक्षा

25.1 इस मंत्रालय के वर्ष 2015–16 के लेखों की लेखा–परीक्षा के दौरान कार्यालय लेखा–परीक्षा महानिदेशक, केंद्रीय व्यय, नई दिल्ली ने ''बजट के व्यपगत से बचने के लिए 937.00 करोड़ रु. की निधियों के निर्धारण'' के संबंध में एक प्रारूप पैरे का प्रस्ताव किया है। इस मंत्रालय के छात्रवृत्ति प्रभाग ने लेखा–परीक्षा कार्यालय को उनकी ओर से आगे की समीक्षा हेतु अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी है।

अध्याय –26

स्वच्छ भारत मिशन

26.1 भारत को 2 अक्तूबर, 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच से मुक्त बनाने के उद्देश्य से, माननीय प्रधानमंत्री ने इच्छा व्यक्त की है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय को कैलेंडर वर्ष में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित करना चाहिए।

26.2 स्वच्छता पखवाड़े की रीतियों पर चर्चा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों में स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारियों की बैठक पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 01.02.2016 को सम्मेलन कक्ष, चतुर्थ तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस मंत्रालय में 16 नवंबर, 2016 से 30 नवंबर, 2016 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया।

26.3 पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलाप आयोजित किए गए:–

स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ श्री अमेयजिंग लुईखम, सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 16 दिसंबर, 2016 को प्रातः 7:30 बजे पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ परिसर में किया गया। अधिकारियों को कार्यालय ब्लॉक के आस–पास के विभिन्न क्षेत्रों की सफाई का कार्य करने के लिए अलग–अलग टीमों में बांटा गया। सचिव ने अधिकारियों को संबोधित भी किया और पखवाड़े के उपरांत भी स्वच्छता मुहिम को जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया।

श्री एस.के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव के नेतृत्व में मंत्रालय की टीम ने 19 दिसंबर, 2016 को प्रातः 8:00 बजे गुरूद्वारा रकाबगंज का दौरा किया और प्रबंधन के सदस्यों एवं अन्यों के साथ गुरूद्वारे के आस–पास के क्षेत्र को साफ करने का कार्य आरंभ किया। एनडीएमसी के स्टाफ को भी इस प्रयोजनार्थ नियोजित किया गया। मंत्रालय की टीम ने बाद में गुरूद्वारे के अधिकारियों के साथ संपर्क किया जिन्होंने इस पहल की सराहना की और आगे भी इस प्रकार के अभियान चलाने का अनुरोध किया। मंत्रालय ने गुरूद्वारे को चार कचरादान भी सौंपें।

मंत्रालय द्वारा 19 दिसंबर को स्कोप कॉम्पलेक्स में कार्यक्रम के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्वच्छता के संबंध में आधे दिन की कार्यशाला आयोजित की गई। मंत्रालय तथा मंत्रालय के संबद्ध कार्यालयों के अधिकारियों ने बौद्ध मठ तथा रकाबगंज गुरूद्वारे से आए विशेष आमंत्रितों के साथ कार्यशाला में प्रतिभाग किया। प्रोफेसर वारसी, पूर्व–सीएलएम तथा इस समय मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर के वीसी ने भी भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री लुईखम, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य द्वारा किया गया। वक्ताओं ने रोजाना के जीवन में स्वच्छता के महत्व और उसके आम सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के 28 अधिकारियों की टीम और स्टाफ ने मंत्रालय में मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत 20 दिसंबर, 2016 को लक्ष्मीनारायण मंदिर (बिरला मंदिर), मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में स्वच्छता अभियान का संचालन किया। टीम प्रातः 7:45 बजे मंदिर के प्रांगण में पहुंची और लगभग 2 घंटों में धूल और अन्य कचरा साफ करते हुए पूरे मंदिर प्रांगण को पूरी तरह साफ कर दिया। इस प्रयास में नई दिल्ली नगर निगम की टीम ने भी आवश्यक सहायता की।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के 30 अधिकारियों की टीम और स्टाफ ने मंत्रालय में मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत 21 दिसंबर, 2016 को बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली स्थित हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान का संचालन किया। टीम प्रातः 7:45 बजे मंदिर के प्रांगण में पहुंची और लगभग 2 घंटों में धूल और अन्य कचरा साफ करते हुए पूरे मंदिर प्रांगण को पूरी तरह साफ कर दिया। इस प्रयास में नई दिल्ली नगर निगम की टीम ने भी आवश्यक सहायता की।

मंत्रालय द्वारा आयोजित स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 26 प्रतिभागियों ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित पोस्टर ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लिया।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के 24 अधिकारियों की टीम और स्टाफ ने मंत्रालय में मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत 26 दिसंबर, 2016 को श्री दिगम्बर जैन लाल मंदिर, चांदनी चौक, लाल किले के सामने, नई दिल्ली में स्वच्छता अभियान का संचालन किया। टीम प्रातः 7:45 बजे मंदिर के प्रांगण में पहुंची और लगभग 2 घंटों में धूल और अन्य कचरा साफ करते हुए पूरे मंदिर प्रांगण को पूरी तरह साफ कर दिया। इस प्रयास में दिल्ली नगर निगम की टीम ने भी आवश्यक सहायता की।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के 28 अधिकारियों की टीम और स्टाफ ने मंत्रालय में मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत 26 दिसंबर, 2016 को बौद्ध मंदिर मठ (लद्दाख बौद्ध विहार), बेला रोड, आईएसबीटी, कश्मीरी गेट, रेलवे कॉलोनी, सिविल लाइन्ज़, नई दिल्ली में स्वच्छता अभियान का संचालन किया। टीम प्रातः 7:45 बजे मंदिर के प्रांगण में पहुंची और लगभग 2 घंटों में धूल और अन्य कचरा साफ करते हुए पूरे मंदिर प्रांगण को पूरी तरह साफ कर दिया। इस प्रयास में नई दिल्ली नगर निगम की टीम ने भी अवश्यक सहायता की।

26.4 इस मंत्रालय के अधीन कार्यरत सभी अधीनस्थ/संबद्ध संगठनों, सांविधिक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों आदि ने भी स्वच्छता पखवाड़े में प्रतिभाग किया।

26.5 यह मंत्रालय अपने कर्म एवं भावना में माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को लक्ष्य तारीख के भीतर सफल एवं यथार्थ में दृष्टिमान बनाने और भविष्य में यही वातावरण बनाए रखने के लिए समर्पित एवं प्रतिबद्ध है।

अध्याय –27

नागरिक/सेवार्थियों का चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र

27.1 मंत्रालय के वर्ष 2013–14 के नागरिक/सेवार्थियों का चार्टर जो सेवोत्तम अनुपालक हैं तथा एक अनिवार्य अपेक्षा है, तैयार किया गया था और मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर दिनांक 29 मई, 2014 को अपलोड कर दिया गया था।

27.2 मंत्रिमंडल सचिवालय के निष्पादन प्रबंधन प्रभाग के शिकायत निपटान तंत्र हेतु सीपीग्राम्स लिंक को दर्शाने वाला स्क्रीन शॉट मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

अनुलग्नक–I

25.01.2016 के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का पदधारिता विवरण (हज पदों को शामिल करके)

क्र. सं.	पद/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन/ग्रुप	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	सचिव/जी.पी. 80,000/- रु. निर्धारित/ ग्रुप 'ए'	01	01	00
2.	संयुक्त सचिव/जी.पी. 10,000/- रु./ ग्रुप 'ए'	04	04	00
3.	उप महानिदेशक (आईएसएस कैडर)	01	01	00
4.	निदेशक/उप सचिव/ग्रे.वे. 8700/-/7600/ ग्रुप 'ए'	08	05	03
5.	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)/ग्रे.वे. 7600/-	01	00	01
6.	अवर सचिव/ग्रे.वे. 6600/- ग्रुप 'ए'	15	14	01
7.	एसटीएस अधिकारी (उप निदेशक) (आईएसएस संवर्ग)	01	01	00
8.	सहायक निदेशक/ग्रे.वे. 5400/-/ ग्रुप 'ए'	03	01	02
9.	अनुसंधान अधिकारी/ग्रे.वे. 5400/-/ ग्रुप 'ए'	01	00	01
10.	सहायक निदेशक (राजभाषा)/ग्रे.वे. 5400/-/ ग्रुप 'ए'	01	01	00
11.	अनुभाग अधिकारी/ग्रे.वे. 4,800/-/ ग्रुप 'बी'	10	06	04
12.	पीएसओ	01	01	00
13.	प्रधान निजी सचिव ग्रे.वे. 6600/-	04	03	01
14.	सहायक अनुभाग अधिकारी/ग्रे.वे. 4600/-/ ग्रुप 'बी' (अ.रा.)	14	10	04
15.	वरिष्ठ अनुसंधान अन्वेषक/ग्रे.वे. 4200/-/ ग्रुप 'बी' (अ.रा.)	04	02	02
16.	वरिष्ठ अन्वेषक/ग्रे.वे. 4200/-/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	04	00	04
17.	लेखाकार/ग्रे.वे. 4200/-/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	01	00	01
18.	निजी सचिव/ग्रे.वे. 4800/-/ ग्रुप 'बी'	05	04	01
19.	आशुलिपिक ग्रेड 'सी'/पीए ग्रे.वे. 4600/-/ ग्रुप 'बी' (अ.रा.)	10	07	03
20.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक/ग्रे.वे. 4600/-/ ग्रुप 'बी' (अ.रा.)	01	01	00
21.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक/ग्रे.वे. 4200/-/ ग्रुप 'बी' (अ.रा.)	03	01	02
22.	आशुलिपिक ग्रेड 'डी'/ग्रे.वे. 2400/-/ ग्रुप 'सी'	05	03	02
23.	उच्च श्रेणी लिपिक/ग्रे.वे. 2400/-/ ग्रुप 'सी'	01	00	01
24.	स्टाफ कार चालक/ग्रे.वे. 1900/-/ ग्रुप 'सी'	02	01	01
25.	एमटीएस ग्रेड/ग्रे.वे. 1800/-/ ग्रुप 'डी'	14	08	06
26.	सहायक निदेशक (उर्दू)/ग्रे.वे. 5400/- ग्रुप 'बी'	01	00	01
27.	वरिष्ठ अनुवादक (उर्दू)/ग्रे.वे. 4600/-/ ग्रुप 'बी' (अ.रा.)	01	01	00
28.	टाइपिस्ट (उर्दू)/ग्रे.वे. 1900/–/ ग्रुप 'सी'	01	00	01
योग		118	76	42

अनुलग्नक–II

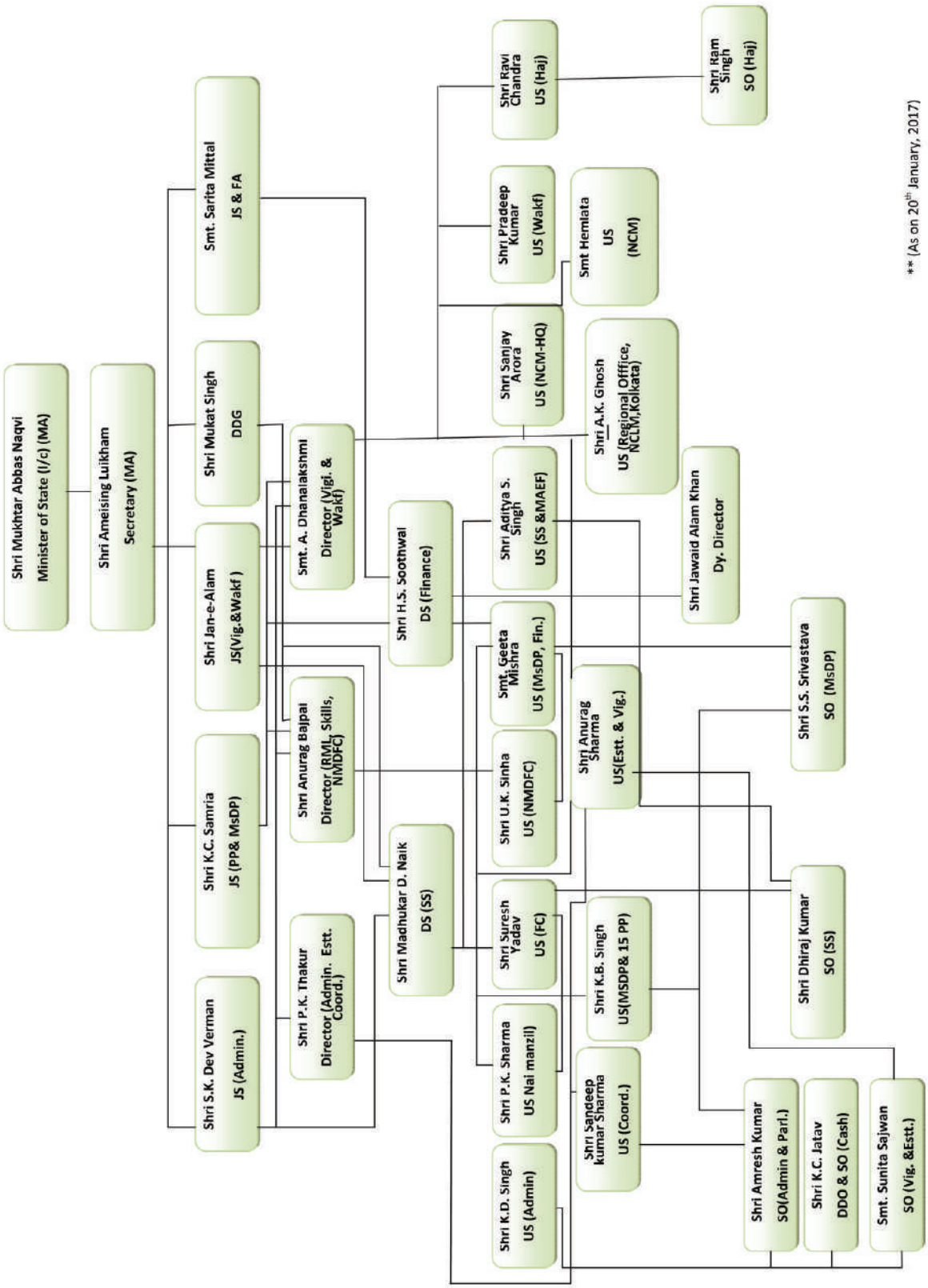
Shri Mukhtar Abbas Naqvi
Minister of State (I/c) (MA)
Shri Ameising Luikham
Secretary (MA)
Smt. Sarita Mittal
JS & FA
Shri Mukat Singh
DDG
Shri Jan-e-Alam
JS(Vig.&Wakf)
Smt. A. Dhanalakshmi
Director (Vigi. & Wakf)
Shri K.C. Samria
JS (PP& MsDP)
Shri Anurag Bajpai
Director (RML Skills, NMDFC)
Shri S.K. Dev Verman
JS (Admin.)
Shri P.K. Thakur
Director (Admin. Estt. Coord.)
Shri H.S. Sootnwal
DS (Finance)
Shri Madhukar D. Naik
DS (SS)
Shri Ravi Chandra
US (Haj)
Shri Ram Singh
SO (Haj)
Shri Pradeep Kumar
US (Wakf)
Smt Hemlata
US
(NCM)
Shri Sanjay Arora
US (NCM-HQ)
Shri A.K. Ghosh
US (Regional Office, NCLM,Kolkata)
Shri Aditya S. Singh
US (SS &MAEF)
Shri Jawaid Alam Khan
Dy. Director
Smt. Geeta Mishra
US (MsDP, Fin.)
Shri U.K. Sinha
US (NMDFC)
Shri Anurag Sharma
US(Estt. & Vig.)
Shri S.S. Srivastava
SO (MsDP)
Shri Suresh Yadav
US (FC)
Shri K.B. Singh
US(MSDP& 15 PP)
Shri Dhiraj Kumar
SO (SS)
Shri P.K. Sharma
US Nai manzil)
Shri Sandeep kumar Sharma
US (Coord.)
Shri K.D. Singh
US (Admin)
Shri Amresh Kumar
SO(Admin & Parl.)
Shri K.C. Jatav
DDO & SO (Cash)
Smt. Sunita Sajwan
SO (Vig. &Estt.)
** (As on 20th January, 2017)

अनुलग्नक-III

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) आबंटन, वर्ष 2016–17 (31.12.2016 तक) के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय के योजना/कार्यक्रम–वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	12वीं योजना आबंटन	बजट अनुमान 2016–17	संशोधित अनुमान 2016–17	31.12.2015 तक व्यय	बजट अनुमान 2017–18
1	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के लिए सहायता–अनुदान	500.00	113.00	114.00	113.00	113.00
2	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	120.00	45.00	40.00	25.49	48.00
3	एनएमडीएफसी की इक्विटी में अंशदान	600.00	140.00	140.00	140.00	170.00
4	अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और विकास योजनाओं का मूल्यांकन	220.00	45.00	50.00	16.69	50.00
5	एनएमडीएफसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता–अनुदान	10.00	2.00	1.63	0.97	2.00
6	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	75.00	15.00	15.00	13.76	15.00
7	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	430.00	80.00	120.00	79.91	100.00
8	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	52.00	13.00	13.00	10.12	13.00
9	विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज में आर्थिक सहायता	10.00	4.00	5.32	4.00	8.00
10	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को रोकने की योजना	10.00	2.00	1.55	0.89	2.00
11	कौशल विकास संबंधी पहलें	60.00	210.00	210.00	54.29	250.00
12	यूपीएससी, एसएससी, एसपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता	18.00	4.00	4.30	2.98	4.00
13	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	1580.00	335.00	395.00	0.09	393.54
14	अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	5788.00	1125.00	1059.00	671.73	1200.00
15	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	5000.00	931.00	931.00	0.00	950.00
16	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2850.00	550.00	550.00	0.00	550.00
17	विकास हेतु कौशलों का उन्नयन तथा पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का प्रशिक्षण (उस्ताद)		20.00	20.00	11.69	22.00
18	हमारी धरोहर		11.00	8.00	5.93	12.00
19	नई मंजिल		155.00	120.00	0.00	175.95
	योग	17323.00	3800.00	3797.80	1151.54	4078.49

गैर–योजना

क्र.सं.	विभाग का नाम/योजना	बजट अनुमान 2016–17	संशोधित अनुमान 2016–17	31.12.2016 तक व्यय	बजट अनुमान 2017–18
1.	सचिवालय (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)	13.59	16.71	11.95	17.66
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	7.66	7.82	5.29	8.41
3.	आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक	2.82	2.12	1.56	2.74
4.	वक्फ को सहायता–अनुदान	3.18	2.80	2.80	3.18
5.	हज पर व्यय	-	-	-	85.00
	योग	27.25	29.45	21.60	116.99
	सकल योग	3827.25	3827.25	1173.14	4195.48

अनुलग्नक–IV

11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) तक वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोटों के अनुसार वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

क्रम सं.	राज्य	कुल अनुमोदन	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जारी राशि	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथासूचित व्यय	जारी राशि के संबंध में खर्च का प्रतिशत
			कुल जारी राशि	कुल व्यय	
1	उत्तर प्रदेश*	100300.85	79012.30	72393.97	91.62
2	पश्चिम बंगाल	68579.68	61139.52	60398.12	98.79
3	असम	69275.35	46892.62	42483.4	90.60
4	बिहार*	52280.58	40563.07	25955.96	63.99
5	मणिपुर	13912.58	12043.01	10665.83	88.56
6	हरियाणा	4919.90	4187.89	2910.29	69.49
7	झारखंड	17997.54	13944.70	11342.24	81.34
8	उत्तराखंड	5227.77	3235.84	2952.3	91.24
9	महाराष्ट्र	5993.93	5671.69	5045.59	88.96
10	कर्नाटक	3914.40	3793.15	3196.36	84.27
11	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	1242.85	68.25	68.25	100.00
12	ओडिशा	3129.92	2562.21	2558.48	99.85
13	मेघालय	3047.65	3047.65	3039.64	99.74
14	केरल	1500.00	1462.92	1452.55	99.29
15	मिजोरम	3895.33	2724.93	2716.68	99.70
16	जम्मू एवं कश्मीर	1506.21	1349.61	1343.79	99.57
17	दिल्ली	2191.15	1099.73	730.98	66.47
18	मध्य प्रदेश	1493.30	1398.30	963.15	68.88
19	सिक्किम	1268.59	1100.02	919.53	83.59
20	अरूणाचल प्रदेश	11711.70	8232.15	8232.15	100.00
	योग	373389.28	293529.56	259369.26	88.36

* 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय हिस्से के साथ 107 करोड़ रु. की बिहार सरकार और 23.53 करोड़ रु. की उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न किस्म की परियोजनाएं राज्यों सरकारों द्वारा छोड़ दी गई हैं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वैकल्पिक प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं/किए जा रहे हैं।

अनुलग्नक-V

अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) – 11वीं योजना हेतु अनुमोदन

वास्तविक प्रगति रिपोर्ट

क्रम सं.	राज्य		शिक्षा						कौशल विकास		स्वास्थ्य	आंगनवाड़ी केंद्र	पेयजल	पक्का आवास	विविध
			स्कूल भवन	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	छात्रावास	प्रयोगशाला उपकरण	स्कूल में पेयजल एवं शौचालय	शिक्षण सहायता	आईटीआई भवन	पोलीटेक्नीक	कुल स्वास्थ्य	आंगनवाड़ी केंद्र	हैंडपम्प / पेयजल सुविधा	इंदिरा आवास योजना	
1	उत्तर प्रदेश	यू.एस.	61	667	12	2	1578	0	32	19	870	9336	12510	84480	0
		यू.सी.	25	512	7	0	826	0	11	1	651	7777	10070	74377	0
		डब्ल्यूआईपी	35	102	5	0	0	0	21	18	41	850	119	2785	0
2	पश्चिम बंगाल	यू.एस.	41	6965	39	60	66	40	6	3	743	7007	6529	37532	0
		यू.सी.	34	6940	38	60	56	40	4	3	740	6910	6529	37526	0
		डब्ल्यूआईपी	7	25	1	0	20	0	2	0	3	71	0	4	0
3	असम	यू.एस.	0	3557	38	50	294	16	15	1	133	2077	11192	89836	0
		यू.सी.	0	345	4	0	144	0	0	0	83	604	4279	53575	0
		डब्ल्यूआईपी	0	774	13	0	4	0	6	0	10	1025	3447	20357	0
4	बिहार	यू.एस.	92	2056	41	53	1360	0	3	2	249	4835	2533	35657	3
		यू.सी.	56	1082	10	37	404	0	0	0	102	1374	1746	14962	0
		डब्ल्यूआईपी	32	473	18	4	75	0	2	2	102	1030	787	16777	0
5	मणिपुर	यू.एस.	375	0	35	0	0	0	1	0	152	75	679	5940	1
		यू.सी.	199	0	1	0	0	0	0	0	70	60	422	5940	0
		डब्ल्यूआईपी	176	0	11	0	0	0	1	0	82	15	224	0	1
6	हरियाणा	यू.एस.	8	183	0	0	0	0	1	0	6	142	0	2000	0
		यू.सी.	6	123	0	0	0	0	0	0	0	90	0	2000	0
		डब्ल्यूआईपी	8	32	0	1	0	0	0	0	6	0	19	0	0
7	झारखंड	यू.एस.	0	28	8	0	0	1	8	2	237	1335	0	9215	0
		यू.सी.	0	3	0	0	0	1	1	0	173	1008	0	8764	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	8	0	0	0	3	1	46	236	0	450	0
8	उत्तराखंड	यू.एस.	2	69	0	0	17	0	1	2	24	455	914	0	0

		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	597	0	0
		डब्ल्यूआईपी	2	68	0	0	17	0	1	2	19	43	11	0	0
9	महाराष्ट्र	यू.एस.	0	0	6	0	0	0	0	0	0	626	0	11670	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	10471	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	4	0	0	0	0	0	0	148	0	1028	0
10	कर्नाटक	यू.एस.	0	50	30	0	0	0	0	0	36	366	0	4400	0
		यू.सी.	0	47	12	0	0	0	0	0	24	277	0	3479	0
		डब्ल्यूआईपी	0	4	18	0	0	0	0	0	15	89	0	237	0
11	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	यू.एस.	0	0	0	0	0	25	1	0	0	35	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	12	0	0	0	11	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	13	0	0	0	15	0	0	0
12	ओडिशा	यू.एस.	0	11	0	0	64	0	2	0	15	151	0	5740	0
		यू.सी.	0	11	0	0	58	0	0	0	15	151	0	5740	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0
13	मेघालय	यू.एस.	1	54	5	0	0	0	0	0	0	81	1301	5000	0
		यू.सी.	1	54	5	0	0	0	0	0	0	81	1301	5000	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	केरल	यू.एस.	0	38	0	0	0	0	0	1	10	0	3	0	0
		यू.सी.	0	38	0	0	0	0	0	1	10	0	3	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	मिजोरम	यू.एस.	17	37	9	0	0	0	0	0	23	221	24	2758	0
		यू.सी.	17	36	5	0	0	0	0	0	16	158	10	2480	0
		डब्ल्यूआईपी	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	14	0	0
16	जम्मू एवं कश्मीर	यू.एस.	0	15	0	0	0	0	1	1	0	40	82	0	0
		यू.सी.	0	10	0	0	0	0	0	0	0	2	21	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	5	0	0	0	0	0	0	0	35	61	0	0
17	दिल्ली	यू.एस.	2	80	0	0	17	0	1	0	5	0	2	0	0

		यू.सी.	2	80	0	0	10	0	0	0	2	0	2	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	यू.एस.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	200	0	1000	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0	622	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	1	0	0	0	0	0	0	39	0	278	0
19	सिक्किम	यू.एस.	6	11	0	0	0	0	0	0	1	56	4	250	0
		यू.सी.	6	9	0	0	0	0	0	0	0	51	0	250	0
		डब्ल्यूआईपी	0	2	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0
20	अरूणाचल प्रदेश	यू.एस.	49	240	107	10	2	10	0	0	33	557	0	5743	0
		यू.सी.	34	195	23	10	2	5	0	0	15	452	0	4359	0
		डब्ल्यूआईपी	14	43	82	0	0	5	0	0	18	105	0	1384	0
	योग	यू.एस.	654	14061	334	175	3398	92	72	31	2537	27595	35773	301221	4
		यू.सी.	380	9485	105	107	1500	58	16	5	1901	19942	24980	229545	0
		डब्ल्यूआईपी	274	1529	161	5	122	18	39	23	346	3706	4682	43300	1

यू.एस.: संस्वीकृत यूनिट, यू.सी.: पूर्ण की गई यूनिट, डब्ल्यूआईपी: कार्य प्रगति पर

आईएवाई=इंदिरा आवास योजना, एडब्ल्यूसी=आंगनवाड़ी केन्द्र, आईटीआई=औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डीडब्ल्यूएस=पेयजल अपूर्ति, एसीआर=अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, पीएचसी=प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीएचसी=समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आईडब्ल्यूडीपी–एकीकृत जल विकास परियोजना, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी), (एप्रोच रोड, कंप्यूटर समान के साथ, लाइब्रेरी, हैड शेड) विविध : (आईडब्ल्यूडीपी)– एकीकृत जल विकास परियोजना, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी), उपागमन सड़क

अनुलग्नक–VI

क्रम सं.	राज्य	12वीं योजना के दौरान	
		अनुमोदित परियोजनाएं	जारी की गई निधि
			लाख रु. में
1	उत्तर प्रदेश	119255.12	99818.68
2	पश्चिम बंगाल	155947.96	128302.20
3	असम	39511.19	35684.90
4	बिहार	55577.08	35738.00
5	मणिपुर	10209.54	9801.67
6	हरियाणा	7237.55	4267.22
7	झारखंड	9233.12	8890.14
8	उत्तराखंड	7715.28	7758.51
9	महाराष्ट्र	10644.52	5135.92
10	कर्नाटक	15747.21	9301.26
11	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	0.00	130.16
12	ओडिशा	6711.19	3948.41
13	मेघालय	2914.69	2598.81
14	केरल	4484.14	3662.33
15	मिजोरम	1396.21	2244.81
16	जम्मू एवं कश्मीर	1564.06	1251.52
17	दिल्ली	235.38	790.18
18	मध्य प्रदेश	1396.78	929.50
19	सिक्किम	2040.63	1606.72
20	अरूणाचल प्रदेश	18970.92	16865.82
21	आंध्र प्रदेश	12721.69	7416.39
22	तेलंगाना	11791.07	5887.72
23	त्रिपुरा	16222.20	11701.47
24	पंजाब	2826.27	2135.81
25	राजस्थान	13953.35	7966.16
26	गुजरात	0.00	0.00
27	छत्तीसगढ़	2009.46	1545.82
	योग	530316.59	415380.09

अनुलग्नक–VII

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त की गई रिपोर्टों के अनुसार वास्तविक प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य		शिक्षा									साइबर ग्राम के अंतर्गत	कौशल विकास			स्वास्थ्य	आंगन वाड़ी केंद्र	पेयजल सुविधा		पक्का मकान	आय सृजक अव संरचना	विविध	आवासीय विद्यालय	सदभाव मण्डप
			डिग्री कॉलेज	स्कूल भवन	अति रिक्त कक्षा – कक्ष	छात्रावास	स्कूल में कम्प्यूटर	प्रयोगशाला उपकरण	स्कूल में पेयजल एवं शौचालय	शिक्षण सहायता	बालिकाओं हेतु निःशुल्क साईकिल	डिजिटल साक्षरता	कौशल विकास	स्वास्थ्य	आंगन वाड़ी केंद्र	पेयजल सुविधा	कौशल विकास	स्वास्थ्य	आंगन वाड़ी केंद्र	पक्का मकान				
1	उत्तर प्रदेश	यू.एस.	9	224	492	23	112	40	399	572	0	173143	35	5	39255	200	1843	8613	158	574	0	19		
		यू.सी.	0	4	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2139	8	399	4109	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	45	204	8	0	0	0	0	0	0	18	4	750	58	287	234	56	0	0	2		
2	पश्चिम बंगाल	यू.एस.	0	67	5195	204	389	0	696	10	0	170005	33	6	63720	346	5034	2933	8100	25280	60	2367		151
		यू.सी.	0	6	2367	68	381	0	382	0	0	61484	7	2	0	82	2349	1565	2677	13785	16	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	52	960	42	8	0	314	0	0	12236	11	4	0	105	1653	1368	3697	8227	34	235		
3	असम	यू.एस.	3	268	4484	77	0	69	83	0	0	0	0	0	0	357	165	3875	571	50	0	66		
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	बिहार	यू.एस.	0	163	1471	26	0	0	26	0	0	0	0	1	0	509	72	0	8	5630	0	1		
		यू.सी.	0	0	168	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0		
5	मणिपुर	यू.एस.	0	145	173	25	0	0	20	0	1668	0	0	0	100	65	32	0	6	910	0	26		

		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	1	0	1	0	0	0	0	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	हरियाणा	यू.एस.	0	1	60	5	0	12	0	0	0	0	1	1	0	20	142	0	178	0	0	1		
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	झारखंड	यू.एस.	0	1	267	13	0	0	0	0	0	0	3	1	0	19	229	0	6	1195	0	0	1	7
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	0	32	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	16	0	0	200	0	0		
8	उत्तराखंड	यू.एस.	3	5	1	2	0	0	0	0	500	0	5	0	0	6	0	576	0	0	0	0		
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
9	महाराष्ट्र	यू.एस.	0	2	384	16	0	0	141	0	0	28000	2	1	0	25	82	0	0	0	0	0		
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	कर्नाटक	यू.एस.	0	38	194	54	0	0	77	0	0	0	0	0	7810	9	0	0	50	1500	0	0	3	
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	8	40	5	0	0	17	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0		
11	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	यू.एस.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	ओडिशा	यू.एस.	0	0	183	5	10	1	0	0	0	0	4	0	2850	18	145	1	34	4297	4	0		

		यू.सी.	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1854	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	मेघालय	यू.एस.	0	1	46	7	0	0	404	0	2154	0	0	0	0	31	21	563	706	1204	0	5		
		यू.सी.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	563	426	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	1	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	154	0	0	0		
14	केरल	यू.एस.	0	28	152	0	0	0	0	0	1807	0	0	0	0	22	0	0	16	0	0	0		
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	4	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
15	मिजोरम	यू.एस.	0	15	43	0	60	0	12	0	0	0	2	0	0	4	17	0	1	0	1	0		
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0		
16	जम्मू एवं कश्मीर	यू.एस.	0	0	29	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	64	50	0	0	0	4		
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	28	0	0	0	0		
17	दिल्ली	यू.एस.	0	0	24	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		यू.सी.	0	0	20	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	मध्य प्रदेश	यू.एस.	0	3	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	4		
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	सिक्किम	यू.एस.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	252	0	2		

		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	195	0	2		
20	अरूणाचल प्रदेश	यू.एस.	0	36	393	110	0	5	48	0	0	0	0	0	0	32	69	0	265	1441	0	1		
		यू.सी.	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	4	140	18	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	11	0	258	430	0	0		
21	आंध्र प्रदेश	यू.एस.	0	11	222	13	0	0	0	0	2700	0	4	0	7125	2	20	0	0	0	0	0	3	3
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	तेलंगाना	यू.एस.	0	4	133	46	0	0	5	27	2896	0	2	0	4225	9	50	0	0	0	0	0	2	
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	त्रिपुरा	यू.एस.	2	60	714	15	90	0	0	0	5470	18109	0	0	5040	59	0	0	425	5630	0	154		
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	1	90	0	0	0	0	0	0	2071	0	0	0	8	0	0	44	165	0	0		
24	पंजाब	यू.एस.	0	0	73	0	19	0	0	4	0	0	0	0	0	10	451	0	0	23	1	0		
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	0	33	0	6	0	0	4	0	0	0	0	0	0	148	0	0	23	1	0		
25	राजस्थान	यू.एस.	2	6	274	7	10	0	0	0	0	10400	6	0	0	58	62	0	0	0	0	0		
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	6	90	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	32	62	0	0	0	0	0		
26	गुजरात	यू.एस.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27		यू.एस.	0	0	257	3	203	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	65	0	0	0		
	छत्तीसगढ़	यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	योग	यू.एस.	19	1081	15268	664	893	127	1914	613	17195	399657	97	16	1E+05	1983	8522	16611	10589	47986	66	2653	9	161
		यू.सी.	0	10	2664	77	381	0	384	0	0	74293	7	2	2139	117	2767	6825	3103	15782	16	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	3	126	2147	98	14	0	373	4	764	14389	38	9	750	242	2230	1630	4209	9240	35	239	0	0
यू.एस.: संस्वीकृत यूनिट, यू.सी.: पूर्ण की गई यूनिट, डब्ल्यूआईपी: कार्य प्रगति पर																								
आईएवाई=इंदिरा आवास योजना, एडब्ल्यूसी=आंगनवाड़ी केन्द्र, आईटीआई=औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डीडब्ल्यूएस=पेयजल अपूर्ति, एसीआर=अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, पीएचसी=प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीएचसी=समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आईडब्ल्यूडीपी–एकीकृत जल विकास परियोजना, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी), (एप्रोच रोड, कंप्यूटर समान के साथ, लाइब्रेरी, हैड शेड)																							

सत्यमेव जयते

ANNUAL REPORT
2016 - 17

Ministry of Minority Affairs
Government of India

Web - site : www.minorityaffairs.gov.in

Contents

Chapter No.	Chapter Title	Page No.
	Executive Summary	1 - 3
1	Introduction	4 - 7
2	Schemes of Multi-Sectoral Development Programme (MsDP)	8 - 11
3	Scholarship Schemes	12 - 13
4	Maulana Azad National Fellowship	14
5	NayaSavera - Free Coaching and Allied Scheme	15
6	NaiUddan	16
7	Pado Pradesh	17
8	Scheme for Leadership Development of Minority women	18 - 19
9	NaiManzil	20
10	Scheme-wise allocation of Budget for implementation of various programmes in North Eastern Region	21
11	Skill Development Initiative for Minorities	22 - 23
12	USTTAD	24 - 25
13	Scheme for containing population declineofparsis in india	26
14	Grant-in-aid Scheme to State Channelising Agencies of National Minorities Development and Finance Corporation	27
15	Commissioner for Linguistic Minorities(CLM)	28 - 29
16	National Commission for Minorities(NCM)	30 - 31
17	Waqf Administration, Central Waqf Council and National Waqf Development Corporation	32 - 41
18	The Durgah khwajaSaheb Ajmer	42 - 45
19	National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC)	46 - 48
20	Maulana Azad Education Foundation	49
21	Prime Minister's New 15-Point Programme for the Welfare of Minorities	50 - 54
22	Sachar Committee Report and Follow up Action	55 - 62
23	Haj Division	63 - 65
24	Right to Information Act, 2005	66
25	Government Audit	67
26	Swachh Bharat Mission	68 - 70
27	Citizen's Client's Charters and Grievance Redressal Mechanism	71
28	Annex I to VII	72 - 84

EXECUTIVE SUMMARY

Achievement of the Ministry of Minority Affairs

- Ministry of Minority Affairs was established on 29th January, 2006.It has been mandated for formulation of policies, schemes and programmes for welfare and socio-economic development of 6 (six) notified minority communities namely, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Parsis and Jains, which constitute more than 19% of India's population. From October 2016, the mandate of the Ministry has been expanded to manage Haj Pilgrimage as well.
- Ministry adopted a multi-pronged strategy for development of minority communities with focus on educational empowerment; infrastructure development; economic empowerment; fulfilling special needs; and strengthening of minority institutions.
- The welfare and development schemes of the Ministry focus on poor and deprived sections of the minorities. Majority of schemes have devised the eligibility criteria on economic basis to ensure that the benefits reach to poor and deprived sections.
- The educational schemes cover scholarships for all levels, fellowships and interest subsidy to promote higher education and support for providing good quality coaching to enable minorities to go for Government and private jobs.
- In tune with "Skill India Mission" and "Make in India Mission", the Ministry has strengthened and expanded its job linked "Seekho aur Kamao" scheme and implemented new schemes namely, USTTAD for preservation of traditional crafts/arts and "Nai Manzil" to integrate education with skills for economic empowerment of minority communities.
- The Multi-sectoral Development Programme (MsDP) has been reoriented to cover large projects for infrastructure development for education, skills, and health. From 2016-17, the programme has also covered assets for strengthening social development by promoting construction of 'Sadbhav Mandaps' (Multi-purpose Community Centers) and also establishment of Residential schools.
- In order to directly reach to the Public and spread awareness about Government's schemes and programmes to obtain feedback/suggestion, 'Progress Panchayats' were organized in various places including Mewat in Haryana & Udham Singh Nagar in Uttarakhand.
- There are special programmes for empowerment of minority women through "Nai Roshni". The other special programmes include "Jiyo Parsi" scheme for containing population decline of Parsi community and "Hamari Dharohar" scheme for preservation of rich heritage and culture of minorities under overall concept of Indian Culture.
- In tune with the Digital India Campaign, Ministry has brought all Scholarship Schemes on National Scholarship Portal in DBT Mode. Moreover, online portals for Seekho aur Kamao, Nai Roshni, Nai Udaan have also been developed and operationalized. In addition, Ministry has also launched a mobile App for HAJ recently. Ministry has also taken action to shift to the e-office mode.
- Ministry has also undertaken multi media campaign for publicity through print and electronic media including Doordarshan Network, All India Radio Network including FM channels,

private FM channels, private TV channels, Websites, all over the country including North East.In addition, outdoor publicity has also been done at India International Trade Fair 2016 by organizing 'Hunar Haat' to promote traditional crafts/arts and strengthen their market linkages.

- Ministry has celebrated "Swachchta Pakhwada" from 16th to 31st December, 2016 and the entire Ministry has participated. Moreover, Ministry has also taken up religious places at Delhi and its surrounding areas like Gurudwara Rakab ganj, Buddhist Monastry, Jain Temple, Hanuman Mandir, etc. for cleanliness drive with the local civic agencies and generated awareness during the Pakhwada.
- Major achievements till 31.12.2016 are as follows:-
  - * During the year 2016 the following prominent projects related to creation of infrastructure in Minority Concentration Blocks/Towns have been approved under Multi-sectoral Development Programme:
    - (a) Construction of Residential Schools for Minority Students: 18 nos., Rs. 278 crore (Central Share Rs.166 crore)
    - (b) Construction of Sadbhav Mandap: 161 nos., Rs.114 crore (Central Share Rs.68.40 crore)
    - (c) Construction of Additional Class Rooms/School Building: 4042
    - (d) Construction of Hostels: 84
  - * Rs.3777.97 crore have been released for awarding 2,68,63,393 scholarships under Pre-Matric Scholarship Scheme during XII Five Year Plan up to financial year 2015-16 (As on 31.10.2016).
  - * Rs.1727.30 crore have been released for awarding 32,13,211 scholarships under Post-Matric Scholarship Scheme during XII Five Year Plan up to financial year 2015-16 (As on 31.10.2016).
  - * Rs.1181.19 crore have been released for awarding 4,40,986 scholarships under Merit –cum-Means Scholarship Scheme during XII Five Year Plan up to financial year 2015-16 (As on 31.10.2016).
  - * During financial year 2016-17, an amount of Rs. 79.85 crore has been released to UGC under the Maulana Azad National Fellowship. Out of this, an amount of Rs. 76.89 crore has been disbursed to the eligible scholars as on 15.12.2016. Fresh selection of 756 students for 2016-17 has also been made for award of fellowship by UGC.
  - * Grants-in-aid amounting to Rs. 13.68 crore (provisional) have been released to 29 NGOs/ institute for imparting of coaching (as on 15.12.2016) under the Free Coaching and Allied Scheme.
  - * During the financial year 2016-17 (as on 15.12.2016), Rs. 2.98 crore have been released for providing financial assistance to 596 candidates under the scheme of Nai Udaan (Support for Minority Students clearing Prelims conducted by Union Public Service Commission, Staff Selection Commission, State Public Service Commission etc.)

* During the year 2016-17, Rs. 4.00 carore was released towards interest subsidy to Nodal Bank (Canara Bank) for 727 Renewal candidates (as on 15.12-2016) under the Padho Pardesh (Scheme of interest Subsidy on Educational Loans for Overseas Studies.)

* Under “Seekho aur Kamao”, during 2016-17, 1,25,000 minorities will be trained with an amount of Rs. 210.00 Crore. Till 31.12.2016, training have been allocated for 89920 minority youths and sanction have been issued for 30540 minority youths with Rs. 54.57 crore.

* During 2016-17, Rs. 13.76 crore has been released upto 31.12.2016 for training of 69,150 women under the “Scheme for Leadership Development of Minority Women” (Nai Roshni) upto 31.12.2016.

* During the current financial 2016-17 (upto 30.11.2016), NMDFC has extended loans amounting to Rs. 184.75 crore to 45084 beneficiaries under ‘term loan’ and ‘micro finance’ by NMDFC.

* This year Haj Quota has been enhanced by more than 34,000 totalling to 1,70,000. New dedicated website www.haj.gov.inand a Mobile App have also been launched for filling Haj-2017 application forms.

* Under the scheme “Jiyo Parsi”, the Central Sector Scheme for containing population decline of Parsis in India, funds to the tune of Rs.1.18 crore released for Medical Assistance and Advocacy & Outreach Programme during 2016-17 (upto 31.12.2016).

* Memorandum of Understanding between Ministry of Minority Affairs and the National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC) was laid in the LokSabha and RajyaSabha.

* Budget Estimates (BE) for 2016-17 is Rs. 3827.25 crores and same has been retained at RE stage. The expenditure up to 31.12.2016 was Rs 1173.14 crores.

******

CHAPTER-1

INTRODUCTION

1.1 The Ministry of Minority Affairs was carved out of Ministry of Social Justice & Empowerment and created on 29th January, 2006 to ensure a more focused approach towards issues relating to the five notified minority communities namely Muslim, Christian, Budhist, Sikhs, and Parsis. Jains have also been included in Minority community vide notification dated 27th January 2014. The mandate of the Ministry includes formulation of overall policy and planning, coordination, evaluation and review of the regulatory and development programmes for the benefit of the minority communities.

VISION AND MISSION

1.2 The vision of this Ministry is empowering the minority communities and creating an enabling environment for strengthening the multi-racial, multi-ethnic, multi-cultural, multi-lingual and multi-religious character of our nation.

1.3 The mission is to improve the socio-economic and educational conditions of the minority communities through affirmative action and inclusive development so that every citizen has equal opportunity to participate actively in building a dynamic nation, to facilitate an equitable share for minority communities in education, employment, economic activities and to ensure their upliftment.

1.4 Shri Mukhtar Abbas Naqvi holds the charge of the Minister of State (Independent Charge) of Minority Affairs. The Secretary of the Ministry is assisted by four Joint Secretaries, a Joint Secretary & Financial Adviser and one Deputy Director General. The Ministry has a sanctioned strength of 118 Officers/Staff and 76 officers/staff are in position. The Incumbency Statement of the Ministry is given at Annexure-I and chart of the Ministry is given at Annexure-II. While many of the multifaceted tasks of the Ministry are undertaken by it directly, it is supported by the officers/organizations under its administrative control.

1.5 There were initially 7 welfare schemes for the minorities. Subsequently, a number of new welfare schemes were launched by the Ministry, and at present 22 schemes are being implemented by the Ministry. This resulted in significant increase of work load. The work load of the Ministry has increased but the shortage of staff continued. To cope up with the increased load of work and to ensure proper implementation of various schemes, the Ministry has engaged on contract, outsourced basis Consultants, Jr. Consultants, Sr. Associates, Jr. Associates, Programme Support Coordinators, Programme Support Assistants, Stenographers, Data Entry Operators and Peons on need basis.

The Naming Ceremony of Paryavaran Bhawan, CGO Complex As Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, In New Delhi On September 20, 2016

ALLOCATION OF BUSINESS

1.6 Subjects allocated to this Ministry as per Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 are:-

i. Overall policy, planning, coordination, evaluation and review of the regulatory and development programmes of the minority communities.
ii. All matters relating to minority communities except matters relating to law and order.
iii. Policy initiatives for protection of minorities and their security in consultation with other Central Government Ministries and State Government.
iv. Matters relating to Linguistic Minorities and of the Office of the Commissioner for Linguistic Minorities.
v. Matters relating to National Commission for Minorities Act.
vi. Work relating to the Evacuee Waqf properties under the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950)(since repealed)
vii. Representation of the Anglo-Indian community.
viii. Protection and preservation of non Muslim shrines in Pakistan and Muslim shrines in India in terms of the Pant-Mirza Agreement of 1955, in consultation with the Ministry of External Affairs.
ix. Questions relating to the minority communities in neighbour countries, in consultation with the Ministry of External Affairs.
x. Charities and charitable institutions, charitable and religious endowments pertaining to subjects dealt with in the Department.
xi. Matters pertaining to the socio-economic, cultural and educational status of minorities, minority organizations, including the Maulana Azad Education Foundation.
xii. The Waqf (Ammended) Act, 2013.
xiii. The Durgah KhawajaSaheb Act, 1955 (36 of 1955).
xiv. Funding of programmes and projects for the welfare of minorities, including the National Minorities Development and Finance Corporation.
xv. Employment opportunities for minorities in the Central and State public sector undertakings, as also in the private sector.
xvi. Formulation of measures relating to the protection of minorities and their security in consultation with other concerned Central Ministries and State Governments.
xvii. National Commission for Socially and Economically Backward Sections among Religious and Linguistic Minorities.
xviii. Prime Minister's new 15-Point Programme for Minorities.
xix. Development of WAQF properties through National Waqf Development Corporation.
xx. Any other issue pertaining to the minority communities.
xxi. Management of Haj Pilgrimage, including administration of the Haj Committee Act, 1959 (51 of 1959) and the rules made thereunder.

Use of Official language

1.7 To ensure the compliance of Government of India's well considered Official Language Policy in The Ministry of Minority Affairs and in the offices of its administrative control, one post each of Joint Director (OL), Assistant Director (OL), Senior Hindi Translator and three posts of Junior Hindi Translators have been sanctioned in the ministry. At present, post of Joint Director (OL), and two posts of Junior Hindi Translator are lying vacant in the Ministry.

1.7.1 All documents referred to in sub-section (3) of section 3 of the Official Language Act 1963 such as resolution, general orders, notification, press releases, administrative reports and the documents to be laid in both the Houses of Parliament were issued bilingually. Letters received in Hindi are replied in Hindi.

1.7.2 Adequate check points have been made for full compliance of Official Language Act and its provisions.

1.7.3 All the schemes of the Ministry for the welfare of minorities like Pre-Matric Scholarship Scheme, Post-Matric Scholarship Scheme, Merit-cum-Means Based Scholarship Scheme, Maulana Azad National Fellowship, Free Coaching and Allied Scheme related to the candidates belonging to minorities, Multi-Sectoral Development Scheme for minorities concentration areas, Learn and Earn, NaiRoshni Scheme for Leadership Development of minority women, PadhoPardesh, HamariDharohar, Ustaad, Prime Ministers 15 point programme NaiManzil, etc. have been published in Hindi.

1.7.4 Under the chairmanship of Hon'ble Minister of State (I/C) for Minority Affairs, Hindi Salahakar Samiti has been reconstituted in the Ministry.

1.7.5 Also to monitor and evaluate the progressive usage of Hindi in the Ministry a Departmental Official Language Implementation Committee is working under the Chairmanship of a Joint Secretary. This Committee regularly reviews the implementation of the Official Language in the Ministry.

1.7.6 Workshop were organized to encourage officials/employees to work in Hindi and to train them effectively for making noting and drafting in Hindi.

1.7.7 Hindi Pakhwada was organized in the Ministry from 01 September 2016 to 15 September 2016 and various competitions were organized in which the officials/employees enthusiastically took part. To encourage use of Hindi in noting and drafting 'Hindi noting and drafting competition' was organized. The winners have been awarded with cash prizes.

1.7.8 The Department of Electronics & Information Technology set up a NIC-CMF team for bilingualization of website of the ministry. With the help of NIC-CMF team the work relating to bilingualization of website has been completed. Bilingual material is available on the website of the ministry.

1.7.9 To simplify and to ease the official work in Hindi the Official Language Division of the Ministry has brought out **"Rajbhasha Digdarshika"** in which English-Hindi vocabulary and English-Hindi phrases to be used in the day to day work have been included along with the important information about the official language policy of the Government of India.

Vigilance Unit

1.8 Shri Jan-e-Alam, Joint Secretary,(Waqf) acted as part-time Chief Vigilance Officer (CVO) of the Ministry and also acted as a link between the Ministry and the Central Vigilance Commission (CVC).

The CVO looks after the vigilance work in addition to his normal duty as Joint Secretary (Haj & Waqf matters) in the Ministry.

1.8.1 The CVO is entrusted with the following tasks:

- All vigilance and disciplinary matters relating to the Ministry.
- Scrutiny of complaints as and when received and taking appropriate action thereon.
- Enquiry/investigation/inspection and follow up action on the same.
- Coordinating with the Central Vigilance Commission.
- Obtaining of advice from CVC as and when required.
- Identification of sensitive areas prone to corruption and transferring of officers in such positions from time to time, thus promoting preventive vigilance.
- Augment integrity, efficiency and transparency in the functioning of the Government.

1.8.2 Vigilance Clearance has been issued to 22 officials during the period under report.

1.8.3 Actions to be undertaken by Vigilance Section:

- To keep surveillance on identified areas of sensitive nature.
- May undertake surprise vigilance inspection in the Ministry.

BUDGET

1.9 An amount of Rs. 17,323 crore was allocated to this Ministry for the various Plan schemes/ programmes for the Twelfth Five Year Plan (2012-17). There was a provision of Rs. 3827.25 croresin the Budget Estimates 2016-17 which has been retained same in the Revised Estimates for 2016-17. A statement showing Budget Estimates, Revised Estimates 2016-17 and actual expenditure upto 31.12.2016is shown in **Annexure – III**.

Meeting with Anglo-Indian community representatives

1.10 A meeting of Anglo-Indian leader and representatives from different states was held under the chairmanship of Hon'ble Minister of State (Independent Charge) of Ministry of Minority Afairs & Parliamentary Affairs on 13.1.2017 in New Delhi. The meeting was attended by both sitting nominated Anglo-Indian Members of Parliament, Ex MP, MLAs of five states apart from other Anglo-Indian community leaders. The Representatives of the Anglo-Indian community praised the initiative of holding this meeting as a historic as this is the first time that a meeting has been held at the level of Minister in Central Government with the leaders of the Anglo-Indian Community to address the community's issues. The representatives highlighted the various problems and issues facing the Anglo-Indian community and urged the Ministry of Minority Affairs to take steps to address them. The Hon'ble Minister listened to their concerns and agreed to look into these issues in an appropriate manner. He also stated that such meetings will be held more regularly now.

The Minister of State For Minority Affairs (Independent Charge) and Parliamentary Affairs, Shri Mukhtar Abbas Naqvi Launching The Revamped Website (bilingual) of The Ministry of Minority Affairs, In New Delhi On August 24, 2016.

CHAPTER-2

SCHEME OF MULTI-SECTORAL DEVELOPMENT PROGRAMME (MSDP)

A. An Overview:

2.1 The Multi-sectoral Development Programme (MsDP) was conceived as an area development programme as a follow up action on the Sachar Committee recommendations. It is a Centrally Sponsored Scheme (CSS) launched in the year 2008-09 in the Minority Concentrations Districts (MCDs). It is an area development initiative to address the development deficits in minority concentration areas by creating socio-economic infrastructure and providing basic amenities.

2.2. Identification of Minority Concentration Districts (MCDs) during 11th Plan:

Religion-specific socio-economic indicators at the district level

(i) literacy rate;
(ii) female literacy rate;
(iii) work participation rate; and
(iv) female work participation rate; and

Basic amenities indicators at the district level –

(i) percentage of households with pucca walls;
(ii) percentage of household with safe drinking water;
(iii) percentage of household with electricity; and
(iv) percentage of households with water closet latrines.

2.3 Minorities: Communities notified as minority communities under Section 2 (c) of the National Commission for Minorities Act, 1992 are being treated as minorities for purpose of MsDP.

B. Restructuring of MsDP in 12th Five Year Plan

2.4 The Government has approved the restructuring of Multi-sectoral Development Programme for its implementation in 12th Five Year Plan. The Programme has been restructured to make it more effective & more focused on the targeted minorities. In the restructured MsDP the unit area of planning has been changed to blocks/towns

instead of district for sharper focus on the minority concentration areas. The programme has now identified 710 Bocks & 66 towns for implementation during 12th Plan. Further, clusters of contiguous minority concentration villages would also be identified, for implementation of MsDP during 12th Plan.

2.5 Identification of Minority Concentration Blocks/Towns (MCBs/MCTs) and Cluster of Villages:

(i) Minority Concentration Blocks (MCBs): Blocks with a minimum of 25% minority population falling in the backward districts selected on the basis of backwardness parameters adopted during 11th Five Year Plan, has been be identified as the backward Minority Concentration Blocks (MCBs). In case of 6 States, where a minority community is in majority, a lower cut-off of 15% of minority population, other than that of the minority community in majority in that State/UT, has been adopted. In selected blocks, the villages having higher minority population would be given priority for creation of the village level infrastructures/assets. A total of 710 such minority concentration blocks falling in 155 backward districts have been identified on the basis of data from Census 2001. However, this would be subject to availability of data of 2011 census and those areas which consequently become eligible even after implementation of the restructured programme will be covered.

(ii) Minority Concentration Towns (MCTs):Towns/cities with a minimum of 25% minority population (in case of 6 States/UTs, 15% of minority population, other than that of the minority community in majority in that State/UT) having both socio-economic and basic amenities parameters below national average, has been identified as Minority Concentration Towns/Cities for the implementation of the programme. A total of 66 minority concentration towns of 53 districts falling outside the MCDs, have been identified for the implementation of the programme. These towns/cities were also identified as more backward towns by a Task Force on Implications of the Geographical Distribution of Minorities in India (headed by Prof. BhalchandraMungekar). This programme intents to intervene only for the promotion of education, including skill and vocational education for empowering the minority in town/cities.

(iii) Cluster of minority concentration villages falling outside the identified minority concentration blocks: Within the blocks of backward districts not selected as MCBs, cluster of contiguous minority concentration villages **(having at least 50% minority population)** would be identified. In case of hilly areas of North Eastern States, such villages having minority's population of 25% may be identified. Cluster of about 500 villages which are falling outside the minority concentration blocks are to be selected.

C. Monitoring mechanism:

2.6 The District and State Level Committees for 15 Point Programme is responsible for monitoring the implementation of this programme at the district and State level respectively. At the Centre, the Empowered Committee also serves as the Oversight Committee to monitor the programme. The progress under this programme is also reviewed by the Committee of Secretaries (COS) along with the review of 15 Point Programme once in six months and then reported to the Cabinet along with the PM's New 15 Point Programme. The progress is also monitored by the PMO on a Quarterly basis.

2.7 The Ministry of Minority Affairs also reviews the progress of this programme through regular conferences of the Secretaries of States/UTs. The Ministry also conducts regional conferences

with the district officials and State level officials to review the progress under the programme. Apart from this, video conferences are held with the district and State officials as a measure of constant follow up the implementing officials. Further, communications have been sent from Minister (MA) and Secretary, MA to the Chief Ministers and Chief Secretaries to sensitise them on the important issues pending with their States.

D. As envisaged in the guidelines of revamped Multi-sectoral Development Programme (MsDP), the projects being taken up under MsDP relate to provision of better infrastructure for education, health, skill development, sanitation, pucca housing, roads, and drinking water besides creating income generating opportunity. Apart from these, a new component namelyCybergram has been launched as an initiative under MsDP since 2014-15 with an aim to impart digital literacy amongst Minority Student of class VI to class X.

The details of financial and physical progress made during 11th five year plan period and 12th five year plan period upto (31.12.2016) are as under:-

I. During 11th Plan:-

(a) Financial progress: Out of the total allocation of Rs. 3780 crore for this programme during 11th Five Year Plan, approval to plans/projects with central share of Rs. 3733.90 crore (99% of allocation) have been given and Rs. 2935.93 crore have been released to the States/ UTs. As per reports received, the State Governments have **utilized Rs.2593.69 crore** for different projects out of the total fund released to them. State wise detail at Annexure-IV.

(b) Physical Progress:

S.No	Name of the Projects	Unit Sanctioned	Unit Completed	Work in Progress
1	IAY	301221	229545	43300
2	Health centres	2537	1901	346
3	Aganwadi centres	27595	19942	3706
4	Drinking water supply	35773	24980	4682
5	Additional class rooms	14061	9485	1529
6	School building	654	380	274
7	Industrial training institute	72	16	39
8	Polytechnic institute	31	5	23
9	Hostels	334	105	161

State wise details is at **Annexure-V**.

II. During 12th Plan:-

(a) Financial progress: Out of the total allocation of Rs. 5775 crore for this programme during 12th Five Year Plan, approval to plans/projects with central share of Rs. 5303.17 crore have been given and Rs. 4153.80 crore have been released to the States/UTs till 31.12.2016. The

State wise detail is at **Annexure-VI.**

(b) Physical Progress: The total number of projects taken up under MsDP during 12th Five Year Plan include IAY houses- 47986, Health centres-1983, aganwadi centres-8522, Hand Pumps-16611, Drinking Water Facility-10589, Additional class rooms-15268, School building-1081, Industrial training institute-97, Polytechnic Institute-16,Hostels-664, Free Bicycle-17195, CyberGram- 399657, Sadbhav Madaps-161 and Skill Training – 130125 The State wise detail is in **Annexure-VII**.

The Minister of State For Minority Affairs (Independent Charge) and Parliamentary Affairs, Shri Mukhtar Abbas Naqvi Addressing At The Progress Panchayat At Village Bichor, In Punhana, Haryana On September 29, 2016

The Minister of State For Minority Affairs (Independent Charge) and Parliamentary Affairs, Shri Mukhtar Abbas Naqvi Addressing At The Progress Panchayat At Rajkiya Kanya Inter College, In Jaspur, Udham Singh Nagar, Uttarakhand On November 05, 2016

CHAPTER-3

This Ministry is implementing following three scholarship schemes for the educational empowerment of students belonging to the notified minority communities:-

(i) **Pre-matric scholarship;**

(ii) **Post-matric scholarship; and**

(iii) **Merit-cum-Means based scholarship**

To improve transparency in scholarship schemes, a new and revamped version of National Scholarship Portal has been launched for various Ministries of Government of India including Ministry of Minority Affairs for extending scholarships during 2016-17. All the above three scholarship schemes of this Ministry are on NSP 2.0 portal. The scholarships are transferred in the bank accounts of students in Direct Benefit Transfer (DBT) mode. Wherever Aadhaar numbers are available, the bank accounts of students are being linked and transferred to such accounts.

(i) PRE-MATRIC SCHOLARSHIP SCHEME

3.1 The Pre-matric scholarship scheme for students belonging to the Minority Communities was approved on 30th January, 2008. It is a Central Sector Scheme with 100% Central funding. The students who secure 50% marks in the previous examination and whose parents'/ guardians' annual income does not exceed Rs. 1.00 lakh, are eligible for award of the Pre-matric scholarship under the scheme. Under the scheme, 30 lakh Fresh scholarships are proposed to be awarded every year in addition to the renewals. 30% of scholarships have been earmarked for girl students.

3.2 An outlay of Rs. 5000 crore has been provided in the XII Five Year Plan to award 414.50 Lakh scholarships fresh and renewals during the Plan period (2012-17). Rs.3777.97 crore have been released for awarding 2,68,63,393 scholarships during XII Five Year Plan up to financial year 2015-16 (As on 31.10.2016) including 52.27% girls (till 31.03.2016). While the disbursal of scholarship continues for 2015-16, disbursement of scholarships for 2016-17 is under process.

(ii) POST-MATRIC SCHOLARSHIP SCHEME

3.3 The scheme of Post-matric scholarship for students belonging to the minority communities was launched in November, 2007. It is a Central Sector Scheme. Post-matric Scholarship is awarded for studies in India in a government higher secondary school/college including residential government higher secondary school/college and eligible private institutes selected and notified in a transparent manner by the State Government/Union Territory Administration concerned.

3.4 Students who secure 50% marks in the previous year's final examination and

whose parents' / guardians' annual income does not exceed Rs. 2.00 lakh are eligible for award of scholarship. Under the scheme, 5 lakh fresh scholarships are proposed to be awarded every year in addition to the renewals. 30% of scholarships have been earmarked for girl students. In case sufficient numbers of girl students are not available, then eligible boy students are given these scholarships.

3.5 An outlay of Rs. 2850.00 crore has been provided in the 12th Five Year Plan to award

37.02 lakh Fresh scholarships and Renewals during the Plan period (2012-17). Rs.1727.30 crore have been released for awarding 32,13,211 scholarships during XII Five Year Plan up to financial year 2015-16 (As on 31.10.2016). Till the year 2015-16 (up to 31.03.2016), 59.09% scholarships have been awarded to girl students. While the disbursal of scholarship continues for 2015-16, and scholarships for 2016-17 is under process.

(iii) MERIT-CUM-MEANS BASED SCHOLARSHIP SCHEME

3.6 The Merit-cum Means based Scholarship Scheme is a Central Sector Scheme launched in 2007. 100% scholarship expenditure is being borne by the Central Government. Scholarships are awarded for pursuing professional and technical courses, at under-graduate and post-graduate levels, in institutions recognized by appropriate authority. Under the scheme, 60,000 Fresh scholarships are proposed to be awarded every year in addition to the renewals. 30% of these scholarships are earmarked for girl students, which may be utilized by eligible boy students, if adequate numbers of eligible girl students are not available.

3.7 85 institutes for professional and technical courses have been listed in the scheme. Eligible students from the minority communities admitted to these institutions are reimbursed full course fee. A course fee of Rs.20,000/- per annum is reimbursed to students studying in other institutions. Besides, a student is also eligible for maintenance allowance of up to Rs. 10,000/- p.a.

3.8 To be eligible, a student should have secured admission in any technical or professional institution, recognized by an appropriate authority. In case of students admitted without a competitive examination, students should have secured not less than 50% marks. The annual income of the family from all sources should not exceed Rs.2.50 lakh.

3.9 An outlay of Rs. 1580 crore has been provided in the XII Five Year Plan to award 4.91 Lakh scholarships fresh and renewals during the plan period (2012-17). Rs.1181.19 crore have been released for awarding 4,40,986 scholarships during XII Five Year Plan up to financial year 2015-16 (as on 31.10.2016). During the year 2015-16 (up to 31.03.2016), 28.39% scholarships have been awarded to girl students.

CHAPTER-4

MAULANA AZAD NATIONAL FELLOWSHIP

4.1 The Maulana Azad National Fellowship (MANF) for Minority Students was launched on 11th April, 2009 as a Central Sector Scheme (CSS). The Scheme is implemented through University Grants Commission (UGC). 100% Central Assistance is provided under the Scheme. The objective of the Maulana Azad National Fellowship is to provide five year fellowships in the form of financial assistance to students from notified minority communities, as notified by the Central Government to pursue higher studies such as M.Phil and Ph.D. The Fellowship covers all Universities/Institutions recognized by the University Grants Commission (UGC). The Fellowship under the Maulana Azad National Fellowship for minority students is on the pattern of University Grants Commission (UGC) and awarded to research students pursuing regular and full time M.Phil and Ph.D. courses. In order to qualify for the award of JRF/SRF, the UGC norms would be applicable at pre-M.Phil and pre-Ph.D stage, respectively, including the minimum score of 50% at post graduate level. The income ceiling of the parents/guardian of the candidate for Maulana Azad National Fellowship for minority students is Rs. 2.5 lakh per annum. Under the scheme, 756 fresh fellowships are proposed to be awarded every year in addition to the renewals of previous year. 30% of fellowships have been earmarked for girl students.

4.2 An outlay of Rs. 430 Crores has been provided in the XII Five Year Plan to award 3780 fresh fellowships during the plan period (2012-17). Rs.251.54 crore have been released for awarding 3778 Fresh fellowships (besides renewals) during XII Five Year Plan up to financial year 2016-17 (As on 15.12.2016).

4.3 During financial year 2016-17, an amount of Rs.79.85 crore has been released to UGC which has further disbursed an amount of Rs.76.89 crore to the eligible scholars as on 15.12.2016. Fresh selection of 756 students for 2016-17 has also been made for award of scholarships by UGC.

CHAPTER-5

NAYA SAVERA - FREE COACHING AND ALLIED SCHEME

5.1 The "Free Coaching and Allied Scheme for the candidates belonging to minority communities" was launched by this Ministry w.e.f. 17.7.2007.

5.2 The objective of the scheme is to enhance skills and knowledge of students and candidates from minority communities to get employment in Government Sector/ Public Sector Undertaking, jobs in private sector, and admission in reputed institutions in technical and professional courses at under-graduate and post-graduate levels.

5.3 Under the Scheme, financial assistance is provided for free coaching in selected reputed Coaching Institutions to prepare minority students for competitive examinations for Professional Courses and Government jobs.

- Beneficiaries' annual Family income should not exceed Rs. 3.00 lakh per annum.
- Admissible Coaching fee (paid to NGOs):
  - Group 'A' services : Maximum Rs.20,000/-
  - Group 'B' services : Maximum Rs. 20,000/-
  - Group 'C' services : Maximum Rs.15,000/-
  - Entrance examination for Technical/ Professional courses : Maximum Rs.20,000/-
- For student, Stipend @ Rs.3000/ for outstation candidates and @ Rs.1500/- for local candidates.

5.4 A new component under Free Coaching & Allied Scheme has been added from 2013-14 for focused preparation of Minority Students at classes XI & XII with Science subject (Physics, Chemistry, Biology and/or Mathematics). This component was launched on pilot basis in 10 States/UT, viz Uttar Pradesh, Bihar, Assam, West Bengal, Maharashtra, Karnataka, Tamilnadu, Kerala & Andhra Pradesh and Delhi. More States/UTs shall be covered in later years as per scheme guidelines and availability of funds. This component of the scheme is implemented through Schools/Colleges /Institutes having the facility of Hostel accommodation separately for Boys and Girls and running regular classes of XIth and XIIth with Science and affiliated with the CBSE/ICSE or State Education Boards. Financial assistance@ 2 Lakh (maximum) per student is paid to the School/College/Institute.

5.5 An outlay of Rs. 120 Crores were provided in the XII Five Year Plan during the plan period (2012-17). Rs.127.68 crore have been released to coaching institutions for imparting free coaching to 44,758 students during XII Five Year Plan up to financial year 2016-17 (as on 15.12.2016). Grants-in-aid amounting to Rs.13.68 crore (provisional) have been released to 29 NGOs/Institutes for imparting of coaching under the scheme during 2016-17 (as on 15.12-2016).

CHAPTER-6

NAI UDAAN

The scheme of Nai Udaan support for Minority Students clearing Prelims conducted by Union Public Service Commission, Staff Selection Commission, State Public Service Commissions etc. was launched in 2013-14.

6.1 The objective of the Scheme is to provide financial support to the minority candidates clearing prelims conducted by Union Public Service Commission, Staff Selection Commission and State Public Service Commissions to adequately equip them to compete for appointment to Civil Services in the Union and the State Governments and to increase the representation of the minority in the Civil Services by giving direct financial support to candidates clearing Preliminary Examination of Group A and B (Gazetted and non-Gazetted) posts of Union Public Service Commission (UPSC); State Public Service Commissions (SPSCs) and Staff Selection Commission (SSC) etc.

6.2. To be eligible, total family income of the candidates from all sources should not exceed Rs. 4.5 lakh per annum. The financial support can be availed by a candidate only once. The candidate will not be eligible to benefit from any other similar Scheme of the Central or State Governments /UT Administrations.

6.3. Every year up to a maximum of 800 candidates are given financial support under the scheme throughout the country on fulfilling the eligibility criteria. The rate of financial assistance will be maximum Rs. Fifty thousand only(Rs. 50,000/- for Gazetted Post and Rs 25,000/- for Non- Gazetted Post) as support to the minority candidates who have cleared the Prelims conducted by Union Public Service Commissions; Staff Selection Commissions or State Public Service Commissionsetc for Group 'A' and 'B' Civil Services.

6.4. An outlay of Rs. 20 Crores has been provided in the XII Five Year Plan for providing financial assistance to 4000 candidates who cleared Prelims conducted by UPSC/SSC and States Public Service Commission during the plan period (2012-17). Rs.11.86 crore have been released for awarding 2936 candidates during XII Five Year Plan up to financial year 2016-17 (As on 15.12.2016).

6.5 During the financial year 2016-17 (as on 15.12.2016), Rs.2.98 crore have been released to 596 candidates.

CHAPTER-7

PADHO PARDESH

PADHO PARDESH - SCHEME OF INTEREST SUBSIDY ON EDUCATIONAL LOANS FOR OVERSEAS STUDIES FOR THE STUDENTS BELONGING TO THE MINORITY COMMUNITIES

7.1 The objective of the Scheme is to award interest subsidy to meritorious students belonging to economically weaker sections of notified minority communities so as to provide them better opportunities for higher education abroad and enhance their employability. The interest subsidy under the scheme is available to the eligible students only once, either for Masters or Ph.D levels. The student should have secured admission in the approved courses at Masters, M.Phil or Ph.D levels abroad for the courses. To be eligible, total income from all sources of the employed candidate or his/ her parents/ guardians in case of unemployed candidate shall not exceed Rs. 6.00 lakh per annum. One beneficiary from a family is eligible and one time award is given.

7.2. Interest payable by the students availing of the education loans from the banks for the period of moratorium (i.e. course period, plus one year or six months after getting job, whichever is earlier) as prescribed under the Education Loan Scheme of the IBA, shall be borne by the Government of India. After the period of moratorium is over, the interest on the outstanding loan amount shall be paid by the student, in accordance with the existing Educational Loan Scheme of bank as may be amended from time to time. The Candidate bears the Principal installments and interest beyond moratorium period.

7.3. An outlay of Rs. 15.50 Crores has been provided in the XII Five Year Plan for awarding interest subsidy to 1250 students for pursuing higher studies abroad during the plan period (2012-17). During the year 2016-17, Rs. 4.00 crore was released towards interest subsidy to Nodal Bank (Canara Bank) for 727 Renewal candidates (As on 15.12.2016).

CHAPTER-8

"Nai Roshni"

Scheme for Leadership Development of Minority Women

8.1 Ministry implements an exclusive scheme **"Nai Roshni"** for Leadership Development of Minority Women with an aim to empower and instill confidence in minority women by providing knowledge, tools and techniques for interacting with Government systems, banks and intermediaries at all levels.

8.2 The leadership training modules cover issues and rights of women, relating to education, employment, livelihood etc. under the Constitution and various Acts; opportunities, facilities and services available under schemes and programmes of the Central Government and State Government, Health and Hygiene, Legal rights of women, Financial Literacy, Digital Literacy, Swachch Bharat, Life Skills and Advocacy for Social and Behavioural change.

8.3 The scheme is implemented through Non-Governmental Organizations.

8.4 During 2012-13, Ministry has supported training of 36950 women in 12 States with an amount of Rs.10.45 Crore.

8.5 During 2013-14, Ministry has supported 60875 women with an amount of Rs. 11.95 crore in 25 States.

8.6 During 2014-15, Ministry trained 71075 minority women with an amount of Rs. 13.78 crore in 26 States.

8.7 During 2015-16, 58725 women have been trained with an amount of Rs. 14.81 crore.

8.8 During 2016-17, Rs. 13.76 crore has been released upto 31.12.2016 for training of 69150 women.

8.9 The details of Budget Estimates (B.E.), Revised Estimates (R.E.) and funds released upto 15.12.2016 during 2016-17 are as follows:

(Rs. in crore)

Financial Year	B.E.	R.E.	Expenditure (as on 31-12-2016)
2016-17	15.00	15.00	13.76

8.10 Ministry has also launched an Online Application Management System (OAMS) http://nairoshni-moma.gov.in on 08.08.2015 to bring in transparency, simplified online application procedure, curtail delays and online issue of sanctions. The OAMS provides Management Information System (MIS) of all trainees, training locations, training schedule and community-wise details, etc. in public domain.

8.11 During 2015-16, the evaluation of the scheme was conducted by NITI Aayog and the findings of this evaluation study say that the scheme has benefitted minority women. The study recommended for continuation of the scheme.

8.12 The scheme has been received by the minority communities with great enthusiasm and there is huge demand of it from all States/ Union Territories.

Nai Roshni Programme organised at Dehradun (Uttarakhand)

CHAPTER-9

Nai Manzil

An integrated Education and Livelihood Initiative for the Minority Communities

9.1 Nai Manzil is a new initiative of the present Government. It was launched on 8th August, 2015 at Patna, Bihar. The scheme aims to benefit the minority youths who do not have a formal school leaving certificate, *i.e.,* those in the category of school-dropouts or educated in the community education institutions like the *Madarsas*, in order to provide them formal education and skills, and enable them to seek better employment in the organized sector and thus to equip them for better lives.

9.2 Scheme has been approved with the cost of Rs. 650.00 Crore for five years. 50% funding has to come from the World Bank. The World Bank has approved the funding of US$ 50 million.

9.3 This is for the first time in the history of minority welfare programmes when World Bank has agreed to support such programme. This scheme is also significant as it combines the education as well as skills for school dropouts which will significantly enhance their employability.

9.4 Rs. 155.00 Crore has been earmarked for 2016-17 for implementation of programme for training of tentatively 70,000 minority youth. The scheme is being rolled out from current financial year.

9.5 In order to have professional and competent monitoring of the projects under the scheme, Ministry of Minority Affairs in consultation with World Bank has laid down elaborate guidelines for identifying and selecting a professional Project Management Unit (PMU). The process of selection of PMU has been completed as per procedure laid down by the World Bank.

9.6 Further, in order to ensure that only good Project Implementing Agencies (PIAs) who can deliver at the ground level, detailed guidelines for their empanelment during current year were worked out in consultation with World Bank.

9.7 Following the Laid down procedure, ministry shortlisted 43 (Forty three) PIAs covering 22 States including NE States.

9.8 From these shortlisted PIAs, as per procedure of World Bank, project proposals were invited. After evaluation of proposals, 38 proposals have qualified for sanction as per World Bank norms. The action has been taken by Ministry to issue sanctions which would follow NOC from World Bank.

9.9 To supervise the implementation of “Nai Manzil” scheme, a Steering Committee has already been constituted under Chairpersonship of Secretary (MA), which also consists of members from Industrial Associations like CII, FICCI and ASSOCHAM.

9.10 A Technical Advisory Committee has also being constituted for support and guidance to implement the scheme.

CHAPTER-10

Scheme-wise allocation of Budget for implementation of various programmes in North Eastern Region for the year 2016-17 & 2017-18.

(Rs. in crores)

S.No.	Name of the Scheme	BE 2016-17	RE 2016-17	BE 2017-18
1.	Merit-cum-Means scholarship for professional and technical courses for minorities	20.00	20.00	20.00
2.	Pre-Matric Scholarship for Minorities	41.50	41.50	41.50
3.	Post-Matric Scholarship for Minorities	30.00	30.00	30.00
4.	Grant-in-Aid to State Channelizing Agencies (SCAs) engaged for implementation in NMDFC programmes	0.20	0.07	0.20
5.	Scheme for Leadership Development of Minority Women	1.50	1.50	1.50
6.	Computerization of records of State Waqf Boards	0.30	0.30	0.30
7.	Strengthening of State Waqf Boards	0.50	0.50	0.50
8.	National Fellowship for Students from Minority Communities	5.00	9.00	8.00
9.	Skill Development Initiatives	15.00	15.00	25.00
10.	Investment in Public Enterprises, NMDFC	14.00	14.00	15.00
11.	Multi-sectoral Development Programme for Minorities (MsDP)	115.25	111.73	124.91
12.	Support for students clearing Prelims conducted by UPSC, SSC etc.	0.40	0.40	0.40
13.	Free Coaching & Allied Scheme for Minorities	-	-	3.00
	Grant Total	**243.65**	**244.00**	**270.31**

CHAPTER-11

Skill Development Initiative for Minorities "Seekho aur Kamao" (Learn & Earn)

11.1 Ministry has launched "Seekho aur Kamao (Learn & Earn)", a placement linked Skill Development scheme for Minorities in 2013. The scheme aims to upgrade the skills of minority youth in various modern/traditional skills depending upon their qualification, present economic trends and market potential, which can earn them suitable employment or make them suitably skilled to go for self-employment.

11.2 The scheme is implemented through Selected Project Implementing Agencies (PIAs)

11.3 Under the scheme, Modular Employable Skills (MES) approved by National Council of Vocational Training (NCVT) are taken up. In addition, traditional skills being practiced by the minority communities are also taken up for up-gradation and market linkages.

11.4 The scheme ensures placements of minimum 75% trainees, out of which at least 50% placement is in organized sector.

11.5 Post placement tracking of trainees is mandatory for PIAs for one year. During the post placement tracking, particularly for those who are engaged in organized sector, PIAs are required to maintain information bank account number of the placed candidates, salary slips etc.

11.6 Post placement support to trained minority youths for 1 (one) year is mandatory for project implementing agencies.

11.7 Minimum 33% seats are earmarked for minority girls/ women under the scheme.

11.8 During 2013-14, Rs.17.00 Crore was released for skill development training of 20,164 minority youths. Out of them 19524 candidates were trained and 15,247 candidates were placed.

11.9 During 2014-15, Rs. 46.21 crore was released for skill training of 20,720 minority youth. Out of them, 20,686 minority youth were trained and 15694 trainees have been placed.

11.10 During 2015-16, Rs. 191.96 crore was released for skill training of 1,23,330minorityyouths. As per reports received till 31.12.2016, training of 81820 minority youths have been completed and out of them 43182 trainees have been placed.

11.11 During 2016-17, 1,25,000 minorities will be trained with an amount of Rs. 210.00 Crore. Till 31.12.2016, training of 89,920 minority youth has already been allocated. Sanction has already been issued for Rs. 54.57 Crore for 30,540 trainees.

11.12 Ministry has also launched an Online portal of Seekho aur Kamao i.e. www.seekhoaurkamao-moma.gov.in. for Management Information System (MIS) with details of Project Implementing Agencies (PIAs), trainees, trainers, location of projects etc. Important information about Project Implementing Agencies, training centres, locations, trainees, sector of training etc., for the information of general public as well as employers.

Skill Training under "Seekho aur Kamao" at Bhopal (MP)

Skill Training under "Seekho aur Kamao" at Jaipur (Rajasthan)

CHAPTER-12

Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts/ Crafts for Development (USTTAD)

12.1 "USTTAD (Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts/ Crafts for Development)" a new initiative as announced in the Budget Speech 2014-15, was formally launched on 14th May, 2015 at Varanasi (U.P.).

12.2 The scheme aims at capacity building and updating the traditional skills of master craftsmen/artisans; documentation of identified traditional arts/crafts of minorities; set standards for traditional skills; training of minority youths in various identified traditional arts/crafts through master craftsmen; and develop national and international market linkages.

12.3 The Ministry has engaged the institutions of national repute namely, National Institute of Fashion Technology (NIFT), National Institute of Design (NID) and Indian Institute of Packaging (IIP) to work in various craft clusters for design intervention; product range development; packaging; exhibitions, tying up with e-marketing portals to enhance sales; and brand building.

12.4 Out of earmarked Budget of Rs. 17.01 crore for 2015-16, Rs. 16.90 crorewas utilized.

12.5 Ministry has signed a MoU with an E-commerce portal shopclues.com for facilitating market linkages of crafts and training of minority craftsmen in E-commerce.

12.6 The National Minorities Development and Finance Corporation has organised 7(seven) exhibitions of products made by minority craftsmen/artisans in States of West Bengal, Gujarat, Delhi, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh and Haryana.

12.7 The Ministry of Minority Affairs organized the "Hunar Haat" an exhibition to promote the traditional crafts/arts being practiced by minority communities under the brand USTTAD through National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC), at India International Trade Fair (IITF) – 2016 from 14th -27th November, 2016. The theme of this exhibition was "Hunar Ko Hausla".For this purpose, Hall No.14 of Pragati Maidan, India Trade Promotion Organization (ITPO), New Delhi was booked for 100 stalls. Over 170 craftsmen/artisans, including the National/ State awardees belonging to the Minority communities from different parts of the country were invited to showcase their traditional skills and promote their crafts/arts and sell their products.

Inauguration of The Hunar Haat, During the 36th India International Trade Fair (IITF 2016), at Pragati Maidan, In New Delhi On November 15, 2016.

12.8 Rs 20.00 Crore have been earmarked for training in traditional crafts in 2016-17. Till 31.12.2016, 16200 trainees have been allocated in 11 States and Rs. 12.02 crore have been released to 27 PIAs.

SHOPCL

CHAPTER-13

Jiyo Parsi - SCHEME FOR CONTAINING POPULATION

DECLINE OF PARSIS IN INDIA

13.1 The population of Parsis in India has declined from 1,14,000 in 1941 to 57264, in 2011 as per Census population data. Some of the important causes for the decline in Parsi population are late and non-marriages, fertility decline, emigration, out-marriages and separation/divorces.

13.2 There was a demand from the members of Parsi community for Government intervention to arrest the declining trend. Accordingly, a new scheme for containing the population decline of the notified minority community, Parsis, in India, "JiyoParsi" was launched by the Ministry of Minority Affairs in 2013. The objective of the scheme is to reverse the declining trend of Parsi population by adopting a scientific protocol and structured interventions, stabilize their population and increase the population of Parsis in India.

13.3 The scheme is a Central Sector Scheme with 100% central funding as grants-in-aid. There is an outlay of Rs.10 crore for the scheme, (i.e., Rs.2 crore for each year)for the 12th Plan period. The scheme is implemented through the Parzor Foundation and Bombay ParsiPanchayet in consultation with the local Anjumans.

13.4 During 2016-17 (as on 31-12-2016) under the 'JiyoParsi' scheme, an amount of Rs. 0.89 crore has been released for Medical Assistance and Advocacy & Outreach programme. 77 babies have been born since inception of the scheme so far through the assistance provided under Medical and Outreach & Advocacy component of the scheme.

CHAPTER-14

GRANTS IN AID SCHEMES TO STATE CHANNELISING AGENCIES OF NATIONAL MINORITIES DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION (NMDFC)

14.1 The National Minorities Development and Finance Corporation implements its schemes primarily through the State Channelising Agencies (SCAs) nominated by the respective State Governments. The SCAs identify beneficiaries, channelize the lending and make recoveries from the beneficiaries. However, the most of the State Channelising Agencies have a very weak infrastructure leading to a weak delivery system. Consequently, the performance and the ambit of coverage of NMDFC may not improve unless the infrastructure of these agencies is improved.

14.2 During 2007-08 the Ministry launched a scheme of Grants-in-Aid for improving the infrastructure of the SCAs. Under the scheme, 100% assistance is provided by the Central Govt. to the SCAs through NMDFC. The 10% State share which was earlier a requisite of the scheme has been dispensed with from 2013 onwards. Moreover, the scheme has been simplified by removing the ceiling of expenditure on various components of the scheme giving the SCAs liberty to utilize funds as per their need. The details of amount allocated and released by the Ministry for this scheme is as under:-

(Rs. in crore)

Year	BE	RE	Amount Released by the Ministry
2007-2008	10.00	10.00	10.00
2008-2009	5.00	2.30	0.00
2009-2010	2.00	2.00	2.00
2010-2011	4.00	4.00	3.83
2011-12	2.00	2.00	1.35
2012-13	2.00	0.60	0.00
2013-14	2.00	2.00	2.00
2014-15	2.00	2.00	2.00
2015-16	2.00	2.00	2.00
2016-17	2.00	2.00	0.97 (till 31.12.2016)

CHAPTER-15

COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES

15.1 The Office of the Commissioner for Linguistic Minorities (CLM) was established in July, 1957, in pursuance of the provision of Article 350-B of the Constitution, which came into existence as a result of the Constitution (7thAmendment) Act. 1956 consequent upon the recommendation of the States Reorganization Commission. Article 350-B envisages investigation by CLM of all matters relating to the safeguards provided for the linguistic minorities in India under the Constitution and reporting to the President upon these matters at such intervals as the President may direct and the President causes all such reports to be laid before each House of the Parliament and sent to the Government/Administrations of States/UTs concerned. The CLM Organization has its headquarters at Delhi with three Zonal Offices at Belgaum, Chennai and Kolkata. The CLM interacts with States/UTs on all the matters pertaining to the issues concerning implementation of the Constitutional and Nationally agreed Safeguards provided to linguistic minorities. The 52nd Report of the Commissioner for Linguistic Minorities covering the period from July, 2014 to June, 2015, was laid on the table of the RajyaSabha and LokSabha on 03rd May, 2016 and 04th May, 2016 respectively.

CONSTITUTIONAL SAFEGUARDS FOR LINGUISTIC MINORITIES

15.2 Under the Constitution of India, certain Safeguards have been granted to the religious and linguistic minorities. Article 29 and 30 of the Constitution seek to protect the interests of minorities and recognize their right to conserve their distinct language, script or culture and to establish and administer educational institutions of their choice. Article 347 makes provision for presidential direction for official recognition of any language spoken by a substantial proportion to the population of a State or any part thereof for such purpose at the President may specify. Article 350 gives the right to submit representation for redressal of grievances to any authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union/States. Article 350A provides for instruction in the mother tongue at the Primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups. Article 350B provides for a Special Officer designated as Commissioner for Linguistic Minorities to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under the Constitution.

FUNCTIONS AND ACTIVITIES OF THE CLM ORGANIZATION

15.3 The CLM Organization takes up all matters relating to safeguards for linguistic minorities brought to their notice by linguistic minorities-individuals/groups/associations/organization. The CLM personally visits linguistic minority areas and educational institutions for an on-the-spot assessment of the status of implementation of the scheme of safeguards. In this connection the Commissioner holds discussions, when required, with the Chief Ministers, Governors and Lt. Governors of the States, Union Territories. The CLM also holds discussions at the highest levels of administration viz. Chief Secretary, Principal Secretary, (Education) and Principal Secretaries of the Departments entrusted with the monitoring of the implementation of the scheme of Safeguards for linguistic minorities.

RESULTS OF RECRUITMENT DRIVE

15.4 After encaderment of the post of Assistant Commissioner for Linguistic Minorities (ACLM) with Central Secretariat Service (CCS), 1 post of ACLM has been filled up in the HQ Office of the Commissioner for Linguistic Minorities (CLM) in Delhi and 1 post of ACLM filled up in the Eastern Zonal Office at Kolkata.

CHAPTER-16

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES

16.1 In January, 1978, Government of India, vide an executive order, set up a "Minorities Commission" to safeguard the interests of minorities. With the enactment of the National Commission for Minorities Act, 1992, the Minorities Commission became a statutory body and was renamed as the "National Commission for Minorities".

16.2 The first statutory commission was constituted on 17th May, 1993. The Government of India vide Notification dated 23rd October, 1993 notified five religious communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis) as minority communities under Section 2 (c) of the NCM Act, 1992, vide Government of India notification dated 27 January 2014. Jains have been notified as minority community under Section 2(c)of the National Commission for Minorities Act, 1992.

16.3 In terms of Section 3(2) of NCM Act, 1992, the Commission shall consist of a Chairperson, a Vice Chairperson and five members to be nominated by the Central Government from amongst persons of eminence, ability and integrity. Five members including the Chairperson are from amongst the minority communities. In accordance with Section 4 (1) of the NCM Act, 1992, each member including the Chairperson holds office for a period of three years from the date of assumption of office.

16.4 The main functions of the Commission are to evaluate the progress of the development of minorities, monitor the working of the safeguards provided in the Constitution and in laws enacted by the Central Government/State Governments, for the protection of the interests of minorities and look into specific complaints regarding deprivation of the rights of minorities. It also causes studies, research and analysis to be undertaken on the issues relating to socio economic and educational development of minorities and make recommendations for the effective implementation of the safeguards for the protection of the interests of minorities.

16.5 As on 31.01.2017, the Commission consists of the following persons:-

1. Shri Naseem Ahmad — Chairperson
2. Shri Dadi E Mistry — Member

As on 31.01.2017, Posts of five Members in the Commission are vacant.

16.6 The National Commission for Minorities, in accordance with Section 12 of the National Commission for Minorities Act, 1992, prepares and submits its Annual Report to the Ministry. In accordance with Section 13 of the NCM Act, 1992, the Annual Report of the Commission, together with a Memorandum of Action Taken on the recommendations contained therein, in so far as they relate to the Central Government, and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such recommendation, is to be laid before each House of Parliament. Recommendations pertaining to various State Governments/UT Administrations are forwarded to them by NCM to take necessary action in accordance with Section 9(3) of the NCM Act, 1992.

16.7 Till date, fourteen (14) Annual Report of erstwhile Minorities Commission for the period 1978-79 to 1992-93 and eighteen (18) Reports of the Statutory Commission for the year 1993-94 to 2010-11 have been laid in the Parliament. The first three Annual Reports of the National

Commission for Minorities, along with the Action taken Memoranda, were laid in both Houses of Parliament before this Ministry was created. After the creation of this Ministry the eighteen Annual Reports of the Commission along with Action Taken Memoranda on recommendations contained therein were tabled in the Parliament.

16.8 State Governments of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chattisgarh, National Capital Region of Delhi, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Manipur, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttaranchal, Tamil Nadu and West Bengal have set up statutory State Minorities Commissions. The State Governments of Punjab and Kerala have set up non-statutory Commissions.

The Inaugration of The Annual Conference of State Minorities Commission, Organised By The National Commission For Minorities, In New Delhi on January 17, 2017.

CHAPTER-17

WAQF ADMINISTRATION, CENTRAL WAQF COUNCIL AND NATIONAL WAQF DEVELOPMENT CORPORATION

17.1 Ministry of Minority Affairs is responsible for implementation of the Waqf Act, 1995, which came into force with effect from 1st Janurary, 1996. The Act was last amended in 2013. The Act extends to whole of India except the State of Jammu & Kashmir. Thirty two States/UTs have constituted Waqf Boards under this Act, excluding J & K, which has its own Act.

Framing of Model Waqf Rules

17.2 In order to assist State/UT Waqf Boards to frame Waqf Rules under Section 109 of Waqf Act, 1995 as amended, this Ministry formulated Model Waqf Rules 2016 in consultation with Ministry of Law and Justice. These Rules have been circulated among all State/UT Waqf Boards.

Study of restructuring of Central Waqf Council (CWC)

17.3 National Institute of Labour Economics Research and Development (an organization under NITI Aayog) has been awarded the work of Study of restructuring of Central Waqf Council. The Agency has submitted its Draft Report which is being analysed.

Appointment of organization heads made in various bodies

i. Shri Ashok Pai (IFOs 83-UK) appointed as Chief Executive Officer in National Waqf Development Corporation Ltd. (NAWADCO) in the rank and pay of Addl. Secretary.
ii. Shri B. M. Jamal appointed as Secretary, Central Waqf Council.
iii. Lt. Col. Shri Mansur Ali Khan, appointed as Nazim, Durgah Khwaja Saheb, Ajmer.
iv. In pursuance of provisions contained in Section 9(5) of Waqf Act, 1995 as amended, Justice M.Y. Iqbal, Retired Judge of the Hon'ble Supreme Court of India has been appointed as Presiding Officer of the Board of Adjudication vide notification dated 20.01.2017.

The Waqf Division is implementing the following three schemes:

(i). Scheme for computerization of the records of the State Waqf Boards

The waqf properties are spread out all over the country. In order to streamline record keeping of the waqf lands, introduce transparency and social audit and to computerize various functions/processes of the Waqf Boards and to develop a single web based centralized application, computerization of the records of State Waqf Boards with the help of Central financial assistance to these Boards, including that of J&K, a Plan Scheme for computerization of records of SWBs is in operation since December, 2009.

The main objectives of the scheme are to streamline record keeping, introduce transparency and to computerise the functions /processes of the Waqf Boards. A Web-based software application for Waqf Management System of India (WAMSI) consisting of the following modules has been functioning.

a) Properties Registration Management
b) Muttawalli Returns Management

c) Leasing of Properties Management

d) Litigations Tracking Management

The scheme is applicable across all the 32 State Waqf Boards as well as to the Waqf Board of J&K.

Funds have been released to 32 State/UT Waqf Boards and Centralized Computing Facility (CCF) have been setup in all Boards till date. As on date, data entry of 5,54,662 immovable waqf properties have been entered in WAMSI on-line Registration Module.

(ii). Strengthening of State Waqf Boards (SWBs):

The JPC in its Ninth Report had recommended that the State Waqf Boards should be given central financial assistance as the present level of assistance provided by the State Governments is not only inadequate but also uneven. Accordingly, the Plan scheme for strengthening of SWBs has been formulated to strengthen the Waqf Boards resulting in a more transparent and accountable administration and management of their waqf properties and allow improvement in income generation and attaining self-sufficiency NAWADCO has been made the Implementing Agency for the scheme. The Central assistance is being provided by the Ministry to NAWADCO which in turn releases the funds to the SWBs for strengthening the legal & accounting section as well as for training & administrative cost of SWBs. The assistance is also to be provided to strengthening the mechanism for removing illegal encroachment of waqf properties. During 2016-17, an amount of Rs.6.78 crore has been released to NAWADCO under the scheme.

Scheme for the Development of Urban Waqf Properties

Auqaf are permanent dedications of movable or immovable properties for the purpose recognized by the Muslim law as pious, religious or charitable. Apart from their religious aspects, the auqaf are also instruments for social welfare as the benefits accrue to the needy in social and educational fields. However, majority of the auqaf in the country have a limited and almost static income. The result is that generally the Mutawallis (Managers of the auqaf) find it difficult to adequately fulfill the intention of waqf or the purposes for which theseAuqaf are created. Most of the urban waqf lands have potential for development but the Mutawallis and even the Waqf Boards are not in a position to muster enough resources or construction of modern functional buildings on these lands.

With a view to improve the financial position of auqaf and the auqaf Boards and to enable them to enlarge the area of their welfare activity, the Central Government provides grant-in-aid to the Central Waqf Council for the specific purpose of advancing financial assistance to Waqf Boards/Waqf Institutions in the country for the development of their Urban Waqf properties.

The Central Waqf Council extends loan to SWBs / Waqf Institutions for specific economically / commercially viable development projects approved by the Council. These projects include construction or reconstruction of commercially viable buildings on waqf lands. The augmented income is utilized to enable the Waqf Boards/waqf to strengthen their financial position and to widen their welfare and charitable activities.

The Government of India has released grant-in-aid amounting to Rs.279.70 lakh to CWC during 2016-17.

CENTRAL WAQF COUNCIL

Background

Central Waqf Council, a statutory body under the administrative control of the Ministry of Minority Affairs was set up in 1964 as per the provision given in the Waqf Act, 1954 as Advisory Body to the Central Government on matters concerning the working of the Waqf Boards and the due administration of Auqaf in the country. The role of the Council under the provision as stipulated in the Waqf Act, 1995 as amended has considerably expanded. Now, the Council has been empowered to advise the Central Government, State Governments and State Waqf Boards. In addition to the expanded role of advice, it has now been issuing directives to the Boards to furnish information to the Council on the performance of the Board particularly on their financial performance, survey, revenue records, encroachment of Waqf properties and Annual and Audit report etc.

The Council consists of Chairperson, who is the Union Minister In charge of Waqf and such other members, not exceeding 20 in number, as may be appointed by the Government of India. Presently, Shri Mukhtar Abbas Naqvi, Minister of State (Independent Charge) of Minority Affairs is the ex-officio Chairman of the Central Waqf Council. The 11th Council was reconstituted on 23rd November 2015 as per provision given in Sub Section (1) and (2) of Section 9 of the Waqf Act, 1995 for a period of three years. The office of the Central Waqf Council is located at Central Waqf Bhawan, Sector 6, PushpVihar, Opposite Family Court Saket, New Delhi-110017.

Vision

Protection, Retrieval & E-monitoring of Auqaf under the provision of Waqf Act 1995, as amended by Waqf (Amendment) Act, 2013.

Mission

Proactive role in protection development of Auqaf & to work closely with the State Waqf Boards to improve their functioning.

Major Function

- To advice Central Government, State Governments, State Waqf Boards on matters concerning the working of the Boards and due administration of Auqaf.
- To Monitor the implementation of the provisions of Waqf (Amendment) Act, 2013 in States and UTs.
- To Render Legal Advices on protection and retrieval of the Waqf Properties and for removal of encroachment etc.
- To Implement the Scheme for Development of Urban Waqf Properties & Identification of potential Waqf land for development by National Waqf Development Corporation Ltd.
- To Implement Educational and Women Welfare Schemes for skill development and to empower the poor, specially Women.
- To Implement the Scheme of Computerization of the Records of State Waqf Boards, a Central Sector Scheme of Ministry of Minority Affairs.
- To seek necessary information from the State Government/Boards on the performance of the State Waqf Boards as per the provision given in the Waqf (Amendment) Act, 2013.
- To take up the Waqf matters with various departments of Central and State Governments such as ASI, Railways, Revenue and Forest etc.
- To undertake awareness programmes to promote the interest of the Council and to sensitize

the Waqf institutions about their new role and functions.

Significant provisions of the Waqf (Amendment) Act, 2013

1. Under the definition of encroacher, public & private institutions and the person whose tenancy, lease or license has expired or been terminated have been included to expand the power of the Waqf Board and Tribunal to get rid of the menace of encroachment upon the Waqf Properties.

2. Now, the Waqf may be created under the amended Act by a person having faith other than Islam.

3. The State Government has been obliged to maintain list of Auquaf and to complete survey of the Waqf mandatorily within a period of one year from 01.11.2013. In case the Survey Commissioner of Auquaf has not been appointed, he shall be appointed within three months. The cost of publication of survey shall be borne by the State Government. Earlier there was no such statutory obligation and it caused non-completion of survey of the Waqf in most of the States till date from 1995 onwards. Moreover, the Waqf property already surveyed or registered shall not be reviewed under the Amendment Act of 2013. It has been provided that the Revenue Authority, while updating their land record shall be obliged to refer the record of the Waqf, which would certainly reduce the possibility of error in Revenue Records.

4. The Tribunal has been given power for assessing damages from the unauthorised occupants of the Waqf and to recover it as arrears of land revenue through collector consequently the unauthorized occupants shall be liable to pay damages to the Waqf Institutions or the Waqf Board.

5. The Central Waqf Council has been empowered to issue directive to the State Waqf Boards on their financial performance, survey, maintenance of Waqf deeds, revenue record, encroachment of Waqf properties, annual report and audit report. The Council has got the power to call for information *suomotu*, however, the disputes arising out of direction of Central Waqf Council may be referred to Board of Adjudication presided by a Retd. Judge of the Supreme Court or Retd. Chief Justice of High Court.

6. Provision has been made that in case there is no Muslim member of the Bar Council of a State or Union Territory, the State Government may nominate any Senior Muslim Advocate from that State while Constituting the State Waqf Board. Moreover, Muslim having professional experience in certain field and scholar of Shia and Sunni Islamic Theology as well as a Joint Secretary rank officer of the State Government shall be made member of the State Waqf Board. There shall be a full time Chief Executive Officers who is a Muslim and not below the rank of Deputy Secretary.

7. The District Magistrate or ADM or SDM shall be obliged to implement the decision of the Board conveyed through CEO of the Board. The provision is intended to further empower the Waqf Board in getting its decision implemented through the administration.

8. The Waqf properties may be leased for a period of 30 years instead of 3 years for commercial, educational or residential purposes to generate income efficiently. The Central Government has framed Rules for leasing of the Waqf Properties, which are to be followed by the Waqf Board. Mosque, Dargah, Khanqah, Graveyard or Imambada shall not be leased.

9. The acquisition of the Waqf Properties under the Land Acquisition Act shall be made in

consultation with the Waqf Board. Moreover, the acquisition shall not be made in contravention of the Places of Public worship (Special Provisions) Act, 1991 and in the circumstances where alternative land is available. Moreover, the land if any, acquired, a suitable land in lieu of acquired property or compensation at prevailing market value shall be paid.

10. A penal provision has been introduced as Section 52 A under which any person alienating or purchasing or taking permanently any Waqf property without the prior sanction of the Board shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to two years and such offence shall be cognizable and non-bailable. In addition to that the property so transferred shall be vested in the Waqf Board. The provisions for *suomoto,* vesting will substantially help the Waqf Board in retrieval of unauthorized alienated Waqf Properties.

11. The Chief Executive Officer may make an application to the Tribunal for grant of order of eviction U/s 54.

12. Payment of maintenance to Muslim women as per order by a court of competent jurisdiction under the Muslim Women (Protection of Right on Divorce) Act, 1986 has been included in Section 77 for the purposes of application of Waqf fund enabling the women facing vagrancy to have maintenance from Waqf Board.

13. Waqf Tribunal under the new Act shall consists of a Chairman and two Members. Now, it will be a multi member Tribunal. The Chairman of the Tribunal shall be a District/Session Judge or a Civil Judge Class I, one Member be from amongst the person who is an expert in Muslim Law and jurisprudence and another member shall be an officer of the Government not below the rank of ADM.

Progress of the Scheme of Development of Urban Waqf Properties during the year under Report

During the period under report, a meeting of the Waqf Development Committee was held on 29.06.2016 and the committee made the following recommendation for release of second and final installment of loan to the following projects:

S.No	Name of Project	Amount Rs. In Lakhs)
1.	Development Project of Yateem Khana Islamiya, Anjuman Islamiya, Dhamtari(Chhattisgarh)	33.00
2.	Development Project of Dargah Hazrat Khaja Banda Nawaz, Gulbarga, II Project (Karnataka)	67.50
3.	Development Project of Pallikulam Jamath Anwariya Madarsa Committee Thrissue (Kerala)	40.00
4.	Development Project of Rif-athul Islam Madrassa, South Kalmassery,Distt. Ernakulam (Kerala)	86.00
5.	Hydria Masjid Mahallu Committee, Ottapallam Distt. Palakkad (Kerala)	25.00
6.	Development project of Hidayathul Muslimeen Yateemkhana, Malapuram (Kerala)	28.20
	Total	279.70

The Chairman, Central Waqf Council has approved the recommendation of the Waqf Development Committee (WDC) for release of the loan to the above Auqaf.

The Ministry of Minority Affairs, Govt. of India has accordingly released Grant-in-Aid amounting to Rs. 279.70 lakhs to CWC under the above scheme for the current financial year. The Council office has initiated action for release of the loan to the above beneficiary Auqaf.

Minor Projects funded out of the Revolving Fund

The principal amount repaid by the loanee Auqaf under the scheme for the Development of Urban Waqf Properties forms the "Revolving Fund" of the Council which is again utilized for advancing loans to minor projects upto the limit of Rs. 75.00 lakhs.

Under the Minor Project scheme, the Council has extended total loans amounting to Rs. 639.11 lakhs to 95 Minor Projects out of which 70 projects have been completed.

Specific Initiative of the Central Waqf Council during the period under report:

Central Sector Scheme of "Computerization of the records of State Waqf Boards:

Central Waqf Council is the implementing agency under the Central Sector Scheme of "Computerization of the records of State Waqf Boards" launched by the Ministry of Minority Affairs, Government of India during the 11th FYP, which is continued in 12th FYP also. The scheme is implemented with a view to streamline record keeping, introduce transparency and to computerize the various functions/processes of the Waqf Boards and to develop a single computer based centralized application. The Ministry has so far released a total sum of Rs.8.80 crores for this specific work. The computerization work has been outsourced to the National Small Industries Corporation Ltd. Raipur Branch *(A Govt. of India Enterprise)*. The scheme is progressing well and the registration of the Waqf properties have almost been completed in all States. The Council is also organizing training to the employees of the Waqf Boards on WAMSI Online System through empanelled agency of NICSI. So far employees of 5 Boards have been provided training on the above System. The progress reports are available on the website www.waqf.gov.in.

Regional and National Conferences organized by Central Waqf Council

The Central Waqf Council organized Regional and National Conferences on Protection, Development and to sensitize the provisions of the Waqf (Amendment) Act, 2013. The State Waqf Boards covered under the programme have been requested to fix the date in consultation of the respective State Government to hold the Regional Conferences. Accordingly, Conferences in association of the respective State Waqf Boards were organized in the following States and a National Conference by Central Waqf Council at New Delhi:-

S.No.	Place of Conference	Date of Conference	Representative of CWC
1.	Eastern Regional Waqf Conference at Cuttack (Odisha)	20.02.2016	Shri Ali Ahmed Khan, Secretary, CWC
2.	Regional Waqf Conference at Patna (Bihar)	15.03.2016	Shri Ali Ahmed Khan, Secretary, CWC
3.	Southern Regional Waqf Conference at Ernakulam (Kerala)	21.03.2016	Shri Ali Ahmed Khan, Secretary, CWC
4.	National Waqf Conference, New Delhi	30.03.2016	Shri Ali Ahmed Khan, Secretary, CWC

The main objective of organizing the Conferences was to make the people aware of the role of the Auqaf for the Socio-economic development of the community and to enhance the income of the Auqaf to support the institutions such as School, Hospital and other welfare activities for the benefit of the community. The Waqf Act, 1995 as amended have defined the role of the State Waqf Boards, Waqf institution and other Government bodies. The Conferences organized in various States have made the impact to create awareness about the provisions for protection and retrieval of the Waqf properties. In fact, the Conferences have renewed the enthusiasm, have improved the understanding and have also enhanced the quality of learning and building up the community.

National Waqf Development Corporation Ltd. (NAWADCO)

Background:

India has the largest Waqf land in the world. As per estimation by Sachar Committee Report, 2006 there are about 4.9 lakh registered Waqf properties comprising of about 6 lakh acres of land, approximate market value of these properties is Rs. 1.20 lakh crore. Most of these properties are situated at urban locations, they have the potential of generating an annual income of Rs. 12,000 crore p.a. (as per data available in 2006**)** i.e. at 10% return on market value, if the properties are developed and managed properly. The surplus annual income from these properties would be used for welfare of the people in the Community.

To facilitate development of Waqf Properties, National Waqf Development Corporation Limited (NAWADCO), was established with an authorized capital of Rs. 500 crore and paid up share capital of Rs.19.74 crore. This Corporation is under the aegis of the Ministry of Minority Affairs (MoMA) under the Companies Act, 1956. The mandate is to develop invaluable Waqf properties across India and to enhance the income of State Waqf Boards/ Waqf Institutions for socio-economic empowerment of minorities. The shareholding pattern of the Corporation is as under:

	Name of the Organisation	Percentage (%)
1.	National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC)	49
2.	Central Waqf Council (CWC)	09
3.	Retail Segment(Waqf Institutions & Public including bodies corporate)	42
	Total	**100**

II Identification of Waqf properties:-

In this process, NAWADCO has been able to identify more than 100 (One Hundred) Waqf properties across India, against which willingness of Waqf Institutions have been received for development of 35 Waqf Properties through NAWADCO.

While pursuing other properties of Delhi a meeting was held on 28.11.2016 with the Lt. General, Delhi to seek help in expediting the response of Delhi Waqf Board for development of Dhaula Peer, M.B. Road property etc. Lt. General has assured to convey the message to the concerned officials.

Number of Waqf properties identified for development through NAWADCO and receipt of willingness (Expression of Interest) from the Waqf Institutions/ State Waqf Boards is as under:-

State	No. of properties identified	Expression of Interest received
Karnataka	*17*	*7*
NCT Delhi	*17*	*8*
Rajasthan	*1*	*1*
Bihar	*8*	*5*
Tamil Nadu	*9*	*6*
Uttarakhand	*5*	*1*
Uttar Pradesh	*5*	*2*
Chandigarh	*1*	*1*
Haryana	*2*	*2*
Maharashtra	*16*	*2*
Madhya Pradesh	*6*	*0*
Gujarat	*6*	*0*
Telangana	*5*	*0*
Himachal Pradesh	*2*	*0*
Total	***100***	***35***

III. Agreements with State Waqf Boards:-

NAWADCO signed agreement with Karnataka State Board of Waqfs to develop 3 (three) Waqf properties in Bengaluru. However, three Projects are stuck-up due to non-receipt of clearances from State Government by the State Waqf Board.

Efforts are continuing to take up projects in the other states such as Haryana, Bihar, Rajasthan and Delhi etc.An attempt is being made to execute General MoUs with Haryana, Rajasthan and Tamil Nadu State Waqf Boards to open up new avenues.

IV. Appointment of CEO:-

· Pursuance to communication No. 36/02/2016-EO(SM-I) Government of India, Secretariat of the Appointment of Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, dated 23.09.2016, Shri Ashok Pai, IFS (UK:1983) (Additional Secretary Rank Officer) joined NAWADCO as the Chief Executive Officer(CEO) on 29.09.2016.

· During the period, extensive efforts have been made to create awareness about the objectives of NAWADCO and to identify the potential Waqf properties. Various interactive seminars were organised on 'Protection and development of Waqf properties' in the states like Meghalaya, Bihar, Gujarat and Chhattisgarh for this purpose.

V. Finance:-

- The Statutory audit and CAG audit is being conducted successfully and the Balance Sheets were published on time. 3rd AGM was held on 27.09.2016.
- Application for registering trademark of NAWADCO was filed which is under process with the Trademark Registry Authority for issuance of certificate.

VI. Website:-

Consequent upon completion of designing and development part of NAWADCO's website by developer the Company has engaged another agency for conducting security audit which is under process for completion. Meanwhile the Company and developer are in co-ordination with the National Informatics Centre (NIC) for requisite credentials for up-loading NAWADCO's newly designed and developed website at NIC Server (indigenous Govt. server).

VII. Strengthening of State Waqf Board Scheme:-

Scheme for 'Strengthening of State Waqf Boards' launched by the Government of India, Ministry of Minority Affairs has been entrusted to NAWADCO for implementation for the financial year 2014-15, 2015-16 and 2016-17 in order to strengthen State Waqf Boards across India. In this regard NAWADCO had taken various steps progressively to implement the scheme successfully, which are as under:-

(i) In the financial year 2014-15, NAWADCO has utilized Rs.3.90 crores (Rupees Three Crore Ninety Lakh Only) while disbursement of component-wise Grants-in-Aid to all the eligible State Waqf Boards across India for strengthening the Waqf Boards.

(ii) In the financial year 2015-16, NAWADCO has utilized Rs.4.62 crores (Rupees Four Crore Sixty Two Lakh only) while disbursement of component-wise Grants-in-Aid to all the eligible State Waqf Boards across India for strengthening the Waqf Boards.

(iii) In the financial year 2016-2017, NAWADCO has received Rs. 6.78 crores (Rupees Six Crore Seventy Eight Lakh Only).

All India Conference of Chairpersons and Chief Executive Officers of State Waqf Boards held on 7th January, 2017. Hon'ble Minister of State(IC) inaugurated the conference. It Was Also Attended by CEOs, Chairpersons & Other Officials of State Waqf Boards.

CHAPTER-18

THE DURGAH KHWAJA SAHEB, AJMER

Durgah Committee,Durgah Khwaja Saheb (R.A.), Ajmer for the year 2016-2017 (as on 27.01.2017)

The Durgah of the great Sufi Saint Moinuddin Chishty Khwaja Saheb Gharib Nawaz (R.A.), popularly known as Khwaja Gharib Nawaz is located in Ajmer, Rajasthan. It is the only Durgah Sharief, the management of which is governed by a special Act of Parliament known as Durgah Khwaja Saheb, Act 1955. An account of the important activities relating to Durgah Committee, Durgah Khwaja Saheb, Ajmer is given in following paras:-

1. The Management:

The following are the Members of the Durgah Committee appointed by the Government of India, vide Gazette Notification No. S.O.950 (E) dated 12.04.2013, S.O. 1225(E) dated 16.05.2013 & S.O. 1867(E) dated 27.06.2013:

a)	ShaikhAlim	- President
b)	Javed Abdul Majeed Parekh	- Vice President
c)	Mohammed Obaidullah Sharief	- Member
d)	Ahmed Khan	- Member
e)	Maulana Abdul Wadood “Peer Ashraf”	- Member
f)	Chishty Ziauddin Khwaja Moinuddin	- Member
g)	Shah Ammar Ahmed Urf Nayyar Miyan	- Member
h)	Chaudhary Wahaj Akhtar	- Member
i)	Khan Mohammed Saeed	- Member

Lt. Col. Mansur Ali Khan has joined as Nazim, Durgah Committee on 17.10.2016.

2. Management of Durgah Sharief :

The mandate of the Durgah Committee is to provide services to the Pilgrims through development of infrastructure as per the provisions of Durgah Khwaja Saheb Act, 1955 and its Bye-Laws 1958.

3. A brief regarding services rendered by Durgah Committee during 2016-17

- Management of Annual Urs of Hazrat Khwaja Gharib Nawaz (R.A.).
- Daily Langar for poor with special Sehri / Iftar arrangement during holy month of Ramzan.
- Running of Dar-ul-Uloom Moinia Usmaniya Durgah Sharief by providing the knowledge of Theology.
- Running of Khwaja Model Secondary School, (an English Medium School) recognized by CBSE up to class XII standard. It is imparting education along with basic knowledge of Theology and Moral education.
- Management of Gharib Nawaz Computer Center.

- Stipend to widows and needy persons.
- Maintenance of two separate dispensaries viz. Unani and Homoeopathic.
- Scholarships to needy and meritorious students undergoing Medical, Engineering and other Technical courses.
- Maintenance of Eidgah and Financial assistance to various mosques.
- Burial of unclaimed dead bodies.
- Arrangement of filtered drinking water in Durgah.
- Payment of Huqooq (Honorarium) to hereditary staff.
- Programme on National Integration.
- Programme for legal literacy among the weaker section of the society.
- Provision has been meant for infrastructure and supervision of the examinations conducted by the Rajasthan Public Service Commission and Revenue Department.
- Protection & periodical maintenance and development of properties and endowment.

4. Major Achievements during the Year:

Amenities:

- Development of Vishram Sthali (now Gharib Nawaz Mehmankhana) for one Lakh Zaireen with parking facility of 1500 buses.
- Jhalra water project, a unique project for the supply of pure drinking water @ 4 lakh ltr per day.

Development of Properties:

- Sustainable strategy for protection of Durgah Properties.
- 99% success in Legal Matters.
- Legal action against the unauthorized occupants.

Educational and other Academic Activities:

- Development of academic infrastructure for Khwaja Model Secondary School, Computer Centre & Dar-ul-Uloom.
- Seminar / Conference on National Integration
- Financial assistance to Minority Status Schools
- Educational Trips for students and teachers

Finance:

- Investment in FDR 7.84 crore

Publicity:

- Publicity about the Durgah Committee affairs through website / booklets / media

Security:

- Provision of Security Infrastructure viz. CCTV, security guards etc
- Installation of flood lights
- Fire safety measures

5. Welfare & Charities:

- Services to Aazmeen-e-Haj
- Financial aid to needy and academically brilliant students
- Medical services through three dispensaries
- Pension to widows
- Providing food for about 650 poor people during the month of Ramzan

6. Management of Urs and other Congregations:

The 804th Annual Urs of Khwaja Gharib Nawaz (R.A.) was held in April 2016 in which around 5.0 lacs pilgrims visited the Shrine. **The Urs was incident free with full infrastructure of amenities provided to the pilgrims**. These arrangements were appreciated at National level. Various dignitaries also visited the Shrine to pay homage to the Great Sufi Saint.

7. Khwaja Model Senior Secondary School :

Khwaja Model Senior Secondary School, Ajmer was founded on 14th July, 1994 under the auspices of Durgah Committee, Durgah Khwaja Saheb Ajmer. As an English Medium Day School, it started with 35 students, whereas today its strength is over 1700. It offers education through distinctive co-curricular programme. The School is open for all (irrespective of caste, class, creed, community or religion) with co-education. The School building is also used as a centre by the Central/State Govt. for conducting Competitive Examinations. Construction of basement, lift and 24 additional rooms are in progress.

8. Durgah Committee Meetings:

The Durgah Committee conducted nine meetings during the year, in connection with development and management of the affairs of Durgah Sharief.

9. Visit of V.V.I.Ps. :

The following dignitaries, amongst others visited the Durgah Sharief:

S.No.	Name	Appointment / Portfolio	Date of Visit
1.	Smt. Vasundhra Raje Sindhia	Hon'ble Chief Minister, Government of Rajasthan	15.08.2016
2.	Ms. Mehbooba Mufti	Hon'ble Chief Minister, Government of Jammu & Kashmir	27.11.2016

Hon'ble Prime Minister handing over the Chader to Hon'ble MoS(IC) to be offered on Durgah

Hon'ble Minister of State (IC) offering the Chader at Durgah on behalf of PM.

CHAPTER-19

National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC)

19.1 The National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) was incorporated on 30th September 1994 as a non-profit company under Section 25 of the Companies' Act, 1956 (now section 8 of Companies Act, 2013). NMDFC provides concessional loans for self-employment and income generating ventures for the socio-economic development of the 'backward sections' amongst the notified minorities.

19.2 The schemes of NMDFC are implemented through the State Channelising Agencies (SCAs) nominated by the respective State Governments/UT Administrations.

19.3 For availing assistance under NMDFC schemes, the annual family income eligibility criterion is Rs.81,000 for rural areas and Rs.1.03 lakh for urban areas. In order to ensure wider outreach, NMDFC has recently introduced higher annual family income eligibility criterion of upto Rs.6.00 lakh for providing higher quantum of loans at slightly higher interest rates.

19.4 The Government has increased the Authorized Share Capital of NMDFC from Rs. 1500.00 crore to Rs. 3000.00 crore in 2015 and has also revised the share holding pattern to 73:26:1 from 65:26:9 for Central Government, State Governments/UT Administrations and Institutions/Individuals respectively. The Govt. of India has contributed Rs. 1265crore as central equity to NMDFC till 31.12.2016(including Rs. 140 crore equity during 2016-17) whereas States have contributed Rs. 274.82 crore.

19.5 In addition to loaning activity, NMDFC assist the target group in skill up-gradation and marketing assistance. The Corporation is also implementing schemes of Vocational Training and Educational Loan through the SCAs for capacity building of the target groups for self as well as wage employment.

19.6 Achievements:

- Since its inception in 1994 till 15.12.2015, NMDFC has disbursed loans amounting to 3678.66 crore to 1221514 beneficiaries.
- During 2015-16, an amount of Rs.473.29 was disbursed to 86103 beneficiaries.
- During the current financial 2016-17 (upto 30.11.2016), NMDFC has extended loans amounting to Rs. 184.75 crore to 45084 beneficiaries.
- In pursuance of the decision taken by the Cabinet in its meeting held on 10.2.2015, the NMDFC has engaged M/s IL&FS Trust Company Ltd. as consultancy organizations to assist NMDFC, in restructuring of its business model.

19.7 SCHEMES AND PROGRAMMES OF NMDFC – The existing concessional credit line of NMDFC has been bifurcated into two

streams:-

Credit Line 1:- This is the existing stream of concessional credit, being disbursed on the basis of income limits of Rs.81,000 per annum for rural areas and Rs.1.03 lakh per annum in urban areas, at the concessional interest rate.

Credit Line 2 :- Concessional credit is provided to the section of Minority population with annual family income of up to Rs.6.00 lakh, defined on the basis of "Creamy Layer" criterion of OBC by Government of India. It will get concessional credit at a rate of interest which is higher than credit line 1.

i. Term Loan Scheme

This scheme is for individual beneficiaries and is implemented through the SCAs. Under the Term Loan Scheme, projects costing up to Rs. 20.00 Lakhs (up to Rs. 30.00 Lakh for credit line-2) are considered for financing. NMDFC provides loan to the extent of 90% of the project cost. The remaining cost of project is met by the SCA and the beneficiary. However the beneficiary has to contribute minimum of 5% of the project cost. The rate of interest charged from the beneficiary is 6% per annum. For credit line-2, up to Rs. 30.00 Lakh is given at the interest rate of 8% per annum for male beneficiaries and 6% per annum for women beneficiaries.

Assistance under Term Loan Scheme is available for any commercially viable and technically feasible venture, which for the purpose of convenience, are classified into the following sectors.

a) Agriculture & allied
b) Technical trades
c) Small business
d) Artisan and traditional occupations, and
e) Transport and services sector

ii. Educational Loan Scheme

This scheme is also for the individual beneficiaries and is implemented through the SCAs. The NMDFC extends educational loans with an objective to facilitate job oriented education for the eligible persons belonging to Minorities. Under this scheme, loan of up to Rs. 15.00 Lakh (Rs. 20.00 lakh for credit line -2) is available for 'technical and professional courses' of durations not exceeding five years. Further, for courses abroad, maximum amount of Rs.20.00 lakhs is available (Rs.30.00 lakhs for credit line-2) for a course duration of maximum 5 years. Funds for this purpose are made available to the SCAs at an interest rate of 1 % per annum for on-lending to the beneficiaries at 3% interest per annum. Under credit line -2, funds are made available to the SCAs at an interest rate of 2% per annum for on-lending to the beneficiaries at 8% interest per annum for male beneficiaries and at 5% per annum for women beneficiaries. The loan is payable in maximum five years after completion of the course.

iii. Micro Financing Scheme

Under the Micro Financing Scheme, micro-credit is extended to the members of the Self Help Groups (SHGs), through SCAs/NGOs. Under this scheme, small loans up to a maximum of Rs. 1.00 lakh per member of SHG are provided. Funds are given to the NGOs /SCAs at an interest rate of 1%, which further on-lend to the SHGs, at an interest rate not more than 7% per

annum. Under credit line-2, Rs.1.50 lakh per member of SHG is given at an interest rate not more than 10% per annum for male beneficiaries and 8% per annum for women beneficiaries. The repayment period under the scheme is maximum of 36 months.

iv. Mahila Samridhi Yojana

It is a unique scheme linking micro-credit with the training to the women members to be formed in to SHGs, in the trades such as tailoring, cutting and embroidery, etc. It is being implemented by NMDFC, through the State Channelising Agencies of NMDFC as well as NGOs. Under the MahilaSamridhiYojana, training is given to a group of around 20 women in any suitable women friendly craft activity. The group is formed into Self Help Group during the training itself and after the training, micro-credit is provided to the members of the SHG so formed. The maximum duration of the training is of six months with maximum training expenses of Rs. 1,500 p.m. per trainee. During the training a stipend of Rs. 1,000 p.m. is also paid to the trainees. The training cost and stipend is met by NMDFC as grant. After the training, need based micro credit subject to a maximum of Rs. 1.00 lakh is made available to each member of SHG at an interest rate of 7% p.a.

19.8 Promotional Schemes of NMDFC

i. Vocational Training Scheme - The Vocational Training Scheme of NMDFC aims at imparting skills to the targeted individual beneficiaries leading to self/wage employment. The scheme is implemented through the State Channelising Agencies, which organize need based vocational training programmes in their States with the help of local Government owned / recognized training institutes in trades having potential for self/wage employment. The cost of the training programme is uptoRs. 2000 per candidate per month for courses of maximum duration of 6 months. Stipend @ Rs.1000 per month per trainee is also offered during the training. The SCAs/ Training Institute have to ensure placement of at least 80% trainees in wage employment/self-employment with placement of 50% trainees in formal sector. Handholding support of 1 year is also given to trainees after the training program.

ii. Marketing Assistance Scheme- The Marketing Assistance Scheme is meant for individual crafts-persons, beneficiaries of NMDFC as well as SHGs and is implemented through both SCAs as well as NGOs. With a view to support the crafts-persons to promote marketing and sale of their products at remunerative prices, NMDFC assists the SCAs and NGOs in organizing State /District level exhibitions at selected locations. In these exhibitions, handloom /handicraft products of Minority crafts-persons are exhibited and sold. Such exhibitions also serve the purpose of “buyer seller meet”, which is considered very useful for product development and market promotion, for domestic market as well as for exports. NMDFC provides grants for organizing exhibitions, as per the specific guidelines of the scheme, after due appraisal of the proposals.

CHAPTER-20

GRANT-IN-AID TO MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION

20.1 Maulana Azad Education Foundation is a voluntary non-profit makingsocial service organization established to promote education amongst the educationally backward minorities. It is registered as a Society under the Societies Registration Act, 1860 in July 1989. The aim of the Foundation is to formulate and implement educationalschemes and plans for benefit of the educationally backward minorities in particular and weaker section in general.

20.2 Constitution of MAEF**:** The Hon'ble Minister of Minority Affairs is the Ex-Officio President of MAEF. There are 15 members in the General Body of MAEF which includes 06 Ex-Officio Members and 09 members nominated by the President, MAEF. The management of its affairs is entrusted with its Governing Body which consists of 06 members including President, MAEF, Vice President, MAEF, Treasurer, MAEF and 3 members elected from amongst the General Body.

20.3 The only source of its income is interest earned from investment ofthe Corpus Fund of MAEF. Upto 2016-17 (As on 15.12.2016), MAEF has received a total Corpus Fund of Rs. 1249.00 crorefrom the Govt. of India which is kept in fixed deposit with banks. The interest earned thereon is utilized for implementation of educational schemes of MAEF.

20.4 Maulana Azad Education Foundation (MAEF) implements the following two schemes:

20.4.1 **Grants-in-aid to Non-Governmental Organizations (NGOs) for infrastructure development of educational institutions:-**FinancialAssistance, as Grant-in-Aid, is provided for:

- Construction / Expansion of schools / B.Ed. College / VTC / ITI/ Polytechnic and Hostel buildings.
- Purchase of Science / Computer lab equipments / furniture.
- NGOs running for at least three years & managing recognized educational institutions with more than 50% minorities student can apply.
- Maximum ceiling/limit is Rs.30 lakh for one NGO.

20.4.2 **Begum Hazrat Mahal National Scholarship for Meritorious Girls Belonging to Minorities:**

Scholarship is given @ 12,000/- per student (in two installments of Rs.6,000/- each per year) to the girl students belonging to minorities based on the following criterion:

- Passed 10th class with minimum 55% marks.
- Confirmed admission to Class 11.
- Having parents income less than Rupees one Lakh per annum.
- Selection is made on merit basis based on State-wise quota.
- During XII Plan as on 15.12.2016, 1,53,741 scholarships have been awarded to girl

CHAPTER-21

PRIME MINISTER'S NEW 15 POINT PROGRAMME FOR THE WELFARE OF MINORITIES (PM's New 15-PP)

21.1 The PM's New 15-PP was announced in June, 2006. It provides programme specific interventions, with definite goals which are to be achieved in a specific time frame. The objectives of the programme are: (a) Enhancing opportunities for education; (b) Ensuring an equitable share for minorities in economic activities and employment, through existing and new schemes, enhanced credit support for self-employment, and recruitment to State and Central Government jobs; (c) Improving the conditions of living of minorities by ensuring an appropriate share for the minorities in infrastructure development schemes; and (d) Prevention and control of communal disharmony and violence.

21.2 An important aim of the new programme under the programme is to ensure that the benefits of various government schemes for the under privileged reach the disadvantaged sections of the minority communities. In order to ensure that the benefits of the schemes flow equitably to the minorities, the new programme envisages location of a certain proportion of development projects in minority concentration areas. It also provides that, wherever possible, 15% of targets and outlays under various schemes should be earmarked for the minorities.

21.3 The target group of the programme consists of the eligible sections among the minorities notified under Section 2(c) of the National Commission for Minorities Act, 1992, viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Zoroastrians and Jains. In States, where one of the minority communities notified under Section 2(c) of the National Commission for Minorities Act, 1992 is, in a majority, the earmarking of physical/financial targets under different schemes will be only for the other notified minorities. These States/UTs are Jammu &Kashmir, Punjab, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Lakshadweep.

21.4 The progress of implementation of this programme is monitored by each of the Ministries / Departments concerned on monthly basis. At the Central level, Ministry of Minority Affairs monitors and reviews the overall progress on quarterly basis with the Nodal officers of all implementing Ministries. The progress is also reviewed once in six months by the Committee of Secretaries, and thereafter, a report is submitted to the Union Cabinet. As envisaged in the guidelines, the States/UTs are required to constitute the State Level Committees to monitor the progress at State/UT level. Similar mechanism has also been stipulated at the district level.

Review

Meeting With Hon'ble Ministers
and Secretaries In Charge of Minority Affairs of Southren States

A. Progress under schemes amenable toearmarking of 15% during 2016-17 is as under:

I. Physical:

S. N.	Scheme / Programme / Initiative Achievement	(Numbers)
1.	SarvaShikshaAbhiyan (SSA) {implemented by Department of Higher Education} **(As on 30.06.2016)**	
(i)	No. of Primary Schools constructed	41
(ii)	No. of upper primary schools constructed	25
(iii)	No. of Additional Classrooms constructed.	497
2. Below Poverty Line (BPL) families assisted under PradhanMantriAwaasYojana (Gramin), PMAY-G (earlier Indira AwaasYojana) {implemented by Department of Rural Development} – **(As on 30.06.2016)**		3,06,439
3. Beneficiaries assisted under DeenDayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM) (earlier SGSY / Aajeevika) {implemented by Departmentof Rural Development} – (**As on 30.6.2016)**		
(i)	Number of beneficiaries assisted under Social Mobilization	7,179
(ii)	Number of Self Help Groups (SHGs) assisted under Revolving Fund 1,557	
(iii)	Number of SHGs assisted under Community Investment Support Fund (CIF)	1,587
4. Beneficiaries assisted under Deendayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) {implemented by Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation}		
(i)	No. of beneficiaries to be skill trained Targets were not fixed hence,	not reported.
(ii)	No. of beneficiaries assisted for setting up of micro-enterprises (individual and group)	-do-
(iii)	No. of beneficiaries covered under self-help groups (SHGs) formed	-do-
(iv)	No. of beneficiaries in SHGs covered under SHG-Bank Linkages	-do-
5. Operationalisation of Anganwadi Centres under Integrated Child Development Services (ICDS) scheme for providing services through Anganwadi Centres {implemented by Ministry of Women & Child Development} As the scheme has been saturated, no targets were fixed.		

II. Financial:

S. N.	Scheme / Programme / Initiative	Achievement (Rs. in crore)
1	PMAY-G	-Nil-
2	DAY-NULM	No targets have been fixed.
3	PSL	2,89,632.62 (cumulative figures outstanding as on 30.06.2016
4	DAY-NRLM	(Amount disbursed as Revolving Fund) 2.20
5	DAY-NRLM	(Amount disbursed as CIF 5.81
6	Upgradation of ITIs into Centres of Excellence {implemented by Ministry of Skill Development & Entrepreneurship}	60 ITIs out of 400 ITIs, have been taken up for upgradation. Funds more than the project target have been released. During 2016-17 Rs. 47.20 Lakhshave been releasedupto 30.09.2016.

Progress under schemes included in the programme and implemented by M/o Minority Affairs

(schemes meant exclusively for minorities) during 2016-17 is as under

Sl. No.	Scheme	Physical (Nos.) 2016-17		Financial (Rs. in crore) 2016-17	
		Target	Achievement	Target	Achievement
1	Pre-Matric Scholarship Scheme	30,00,000	Nil	931.00	0.00 (Processes for DBT releases throughNSP–II are going on)
2	Post-Matric Scholarship Scheme	5,00,000	Nil	550.00	0.00 (Processes for DBT releases throughNSP–II are going on)
3	Merit-cum-Means Based Scheme	60,000	Nil	335.00	0.09(Processes for DBT releases throughNSP–II are going on)
4	Post Graduate Fellowship/ Maulana Azad National Fellowship	756	756	80.00	79.90
5	Loan schemes of National Minorities Development & Finance Corporation for economic activities	No physical target	45,084 (Upto 30.11.2016)	467.50	184.75 (Upto 30.11.2016)
	(i) Grants-in-aid (GIA) to NGOs for infrastructure development of educational institutions	Not decided yet.	In process	30.00	In process
	(ii) Scholarships for meritorious minority girl students in Class XI and XII	50,000	In process	60.00	In process

Sl. No.	Scheme	Physical (Nos.) 2016-17		Financial (Rs. in crore) 2016-17	
		Target	Achievement	Target	Achievement
	girl student in class XI and XII				
7	Free Coaching & Allied Scheme	7,000	4750	45.00	25.49

C. The achievements under the schemes included as special initiatives for minority institutions / schools during 2016-17 are as under: (**As on 20.09.2016)**

S. N.	Scheme / Programme / Initiative	Achievement
1.	Scheme for Providing Quality Education in Madarsas (SPQEM) {implemented by Department of School Education & Literacy}	Rs. 83.30 crore released covering 1,557 teachers in 6,256 Madarsas.
2.	Infrastructure Development in Minority Institutions (IDMI) {implemented by Department of School Education & Literacy}	Rs. 20.60 crore released for 13 Institutions.
3.	Greater Resources for teaching Urdu {implemented by Department of School Education & Literacy}	Nil

D. The achievements under schemes, included in the PM's New 15-PP, where the flow of funds / benefits to development projects in minority concentration areas is monitored in 2015-16, are as under:

S. N.	Scheme / Programme / Initiative	Achievement (Project cost sanctioned and number of cities / towns covered having a substantial minority population)
1	Basic Services for Urban Poor (cumulative achievement up to 16.10.2015) { Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation} **(As on 16.10.2015)**	Rs. 5,894.89 crore (24cities)
2	Integrated Housing & Slum Development Programme (cumulative achievement up to 16.10.2015) {implemented by Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation} **(As on 16.10.2015)**	Rs. 2,171.53 crore (138 cities)
3	Urban Infrastructure & Governance (cumulative achievement up to 2014-15) {implemented by Ministry of Urban Development} **(As on 20.09.2016)**	Rs. 2477.73 crore (12 cities) No. of projects: 23
4	Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (cumulative achievement up to 2014-15) {implemented by Ministry of Urban Development} **(As on 20.09.2016)**	Rs. 222.34 crore (7 cities) No. of projects: 7
5	National Rural Drinking Water Programme {implemented by Ministry of Drinking Water & Sanitation **(As on 30.09.2016)**	Released Rs. 300.03 crore (14.80% of total) for 2,814 habitations (10.36% of total).

E. Recruitment of minorities in Government Departments/Organizations (information given by Department of Personnel & Training):

The status of recruitment of minorities in Central Government, public sector undertakings, banks, etc. from 2011-12 to 2014-15 is given below (figures in bracket indicate the %age of minorities recruited to total recruitment):

Organization	2013-14	2014-15
Ministries / Departments, Sub / attached offices	5,814 (8.21)	*5,161 (8.92)
Public Sector Banks & Fin. Institutions	10,504 (10.83)	5,572 (8.58)
Para Military Forces	2,576 (8.55)	2,303 (8.44)
Posts	710 (14.66)	777 (8.50)
Railways	5,598 (7.00)	4,176 (8.68)
Public Sector Undertakings (PSUs)	1,03,762 (7.69) for 234 CPSEs#	833 (6.61)
Total	1,28,964 (7.89)	**18,822 (8.56)

*Data received from 74 Ministries/Departments
**Data received from 79 Ministries/Departments
#CPSEs: Central Public Sector Enterprises

F. Guidelines on Communal Harmony (information given by Ministry of Home Affairs):

Ministry of Home Affairs has issued revised guidelines to the States and Union Territories in June, 2008 to promote communal harmony. A Bill titled "The Communal Violence (Prevention, Control and Rehabilitation of Victims) Bill, 2005" which was introduced and pending in the Rajya Sabha was withdrawn and the Bill titled "The Prevention of Communal Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2013" was prepared and the said Bill was approved by the Cabinet on 16.12.2013. Notice for introduction of the Bill in the RajyaSabha was sent on 17.12.2013 but could not be introduced. Notice was again given on 20.01.2014 for introduction of the said Bill titled "Prevention of Communal Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2014". However, the House after a discussion in the Rajya Sabha on 05.02.2014 deferred its introduction.

CHAPTER-22

SACHAR COMMITTEE REPORT & FOLLOW UP ACTION

22.1 A High Level Committee, constituted under the Chairmanship of Justice (Retd.) Rajinder Sachar to gather date/information for preparation of a comprehensive report on the social, economic and educational status of the the Muslim community of India submitted its report on 17th November, 2006. The Government took several decisions on the recommendations of the Sachar Committee and the status of implementation of the decisions taken by the various Ministries/Departments concerned is as under.

22.2 Department of Financial Services:

(i) All public sector banks have been directed to open more branches in districts having a substantial minority population. During 2016-17 (up to 30.06.2016), 94 new bank branches have been opened. As on 30.06.2015, a total of 20,944 bank branches are operating in minority concentration districts (MCDs).

(ii) RBI revised its Master Circular on 1st July, 2016 on priority sector lending (PSL) for improving credit facilities to minority communities. As on 30.09.2016, Rs. 2,97,944.12crore, which is 15.56.% of total PSL, was outstanding against minorities.

(iii) District Consultative Committees (DCCs) of lead banks are regularly monitoring the disposal and rejection of loan applications in respect of minorities.

(iv) To promote micro-finance among women, 5,27,880accounts have been opened for minority women with Rs. 5,930crore as micro-credit (Outstanding as on 30.06.2016).

(v) All public sector banks are organizing awareness campaigns in blocks/districts/towns with substantial minority population. During 2016-17 (up to 30.06.2016), 5,211 awareness campaigns were organized in such areas.

(vi) Lead Banks have organized 2,046 entrepreneurial development programme in blocks/districts/towns with substantial minority population during 2016-17 (up to 30.06. 2016) and the number of beneficiaries was33,132 and an amount of Rs.98.87crore was financed to 12856 beneficiaries.

22.3 Ministry of Human Resource Development:

A multi-pronged strategy to address the educational backwardness of the Muslim community, as brought out by the Sachar Committee, has been adopted, as given below:-

a) Under the Kasturba Gandhi BalikaVidyalaya (KGBV) scheme, criteria of educationally backward blocks has been revised with effect from 1st April 2008 to cover blocks with less than 30% rural female literacy and in urban areas with less than national average of female literacy. So far, all the 555 KGBVs, sanctioned in MCDs, have been operationalized.

b) Scheme for universalization of access to quality education at secondary stage- called RashtriyaMadhyamikShikshaAbhiyan (RMSA) has been approved. The scheme stipulates preference to minority concentration areas in opening of Government schools. State Governments have been advised to accord priority to setting up of new/upgraded schools in minority concentration areas while appraising proposals under this scheme. Since inception

of RMSA in 2009-10 and up to 30.03.2016, out of a total of 12,394 New Secondary schools sanctioned in the country with an amount of Rs.8154.76 crore, 1,370 (11.26%) have been sanctioned in MCDs with an amount of Rs.889.83 crore..

c) Under the scheme of Sub-mission on Polytechnics, at the national level 291 districts are targeted for financial assistance, out of which 55 Districts (18.90% of total) are Minority Concentration Districts (MCDs). Cumulatively, from 2009 up to 2015-16, Rs. 2,442.44crore was released for 295 polytechnics at the national level, out of which Rs. 413.78crore) was released for 55 polytechnics in the MCDs.

d) Preference is given by the University Grants Commission for provision of girls' hostels in universities and colleges in the areas where there is concentration of minorities especially Muslims. Since inception of the programme up to 2015-16, out of 850 Women's hostels sanctioned with an amount of Rs. 265.80crore at national level, 177 have been approved /sanctioned in MCDs with an amount of Rs. 36.91 crore. During 2016-17, there has not been any fresh induction under the scheme.

e) The Area Intensive &Madarsa Modernisation Programme has been revised and bifurcated into two schemes. A Scheme for Providing Quality Education in Madarsas (SPQEM) had been launched in the Eleventh Five-Year Plan. It contains attractive provisions for better teachers' salary, increased assistance for books, teaching aids and computers and introduction of vocational subjects, etc. The other scheme, which provides financial assistance for Infrastructural Development of Private aided/ unaided Minority Institutes During 2016-17, a budget provision of Rs.120 crore has been made for SPQEM and IDMI schemes. The two schemes are demand driven and funds of Rs. 103.60 crore have been released up to 30.9.2016.

f) For subsequent access to higher education, the Certificates issued by the State MadarsaBoards, whose Certificates and qualifications have been granted equivalence by the corresponding State Boards, would be considered equivalent by the Central Board of Secondary Education (CBSE), Council of Board of School Education in India (COBSE) or/and by any other school examination board. From 2005 to 01.03.2015, the National Commission for Minority Educational Institutions (NCMEI) has issued 10,687 Certificates granting minority educational institutions.

g) Under the revised scheme, financial assistance is given for appointment of Urdu teachers in a Government school in any locality where more than 25% of the population is from Urdu speaking community. The financial assistance would be based on the prevailing salary structure of Urdu teachers employed with schools of the State Government. Honorarium is also admissible to part-time Urdu teachers. During 2014-15, an amount of Rs. 1.18 crore was sanctioned to the Government of Punjab for the salary of 42 Urdu Teachers. The scheme has been further revised as per which the Government of India would provide financial assistance for appointment of Urdu teachers, where 15 or more students in a class opt for it. During 2016-17, no targets for sanctioning of Urdu Teachers have been fixed.

h) 'Saakshar Bharat', the new variant of the National Literacy Mission, was launched on 08.09.2009 for implementation during the 11th Plan with an objective to make 70 million non-literate adults literate by the end of the Plan. The scheme has special focus on women, belonging to Minorities. It proposes to cover 12 million Muslim (10 million women and 2 million men) under the programme. Saakshar Bharat is being implemented in 395 districts out of 410 eligible districts where adult female literacy is 50% or below as per 2001 Census. Besides, Maulana

Azad Taleem-e-Balighan, a target focused approach under overall umbrella of Saakshar Bharat Programme has been launched in February 2014 to improve literacy in Muslims, especially in women.

A Mass Mobilization Campaign has been designed keeping all forms of media (print and electronic), folk, cultural and religious events, popular in the Muslim community, to be utilized for generating demand for literacy and propagating its benefits. Under this campaign, State Resource Centres (SRCs) have been set up in 11 States comprising of 61 MCDs have been covered under Saakshar Bharat. MHRD has informed that a suitable budget provision has been kept in the annual action plans of SRCs approved by NLMA (National Literacy Mission Authority) for 2014-15. Since the first assessment conducted by the National Literacy Mission Authority in collaboration with the National Institute of Open Schooling in August 2010 to August 2014, 3.13 crore adults have been certified as literates, out of which, 24 lakh (8% of total) are reported certified learners from minority community. During 2016-17, the Saakshar Bharat Programme continues to be implemented in the districts including the Saakshar Bharat eligibility districts of the minority concentration districts.

i) Jan ShikshanSansthans (JSSs) are imparting vocational training in 33 out of the 88 Muslim dominated districts in the country. Action for covering additional districts with substantial minority population is under process. The coverage under this programme during 2012-13 was 12.2%. In the year 2013-14 (upto October, 2013) out of 2,48,757 beneficiaries, 30,629 (12.31%) belong to minorities. No new JSS was set up for the during 2015-16 and in the first quarter of 2016-17. MHRD has proposed to set up 10 new JSSs in Muslim Concentrated Districts under Maulana Azad Taleem-e-Balighan initiative.

j) The MDM scheme was extended to all areas in the country from the year 2007-08 onwards and also covers upper primary schools. Blocks with concentration of Muslim population are covered under this scheme. Children in Madarsas are also covered under the programme. The erstwhile Planning Commission (NITI Aayog) has approved the extension of the scheme to students studying in privately managed unaided schools located in SC, ST and Minority Concentrated Districts; benefitting approximately 60.37 lakh children in 29,116 schools in MCDs and special focused districts.

k) All State Governments/UT administrations have been advised for using existing school buildings and community buildings as study centres for school children.

l) National Council of Educational Research and Training (NCERT) has prepared text books for all classes in the light of the National Curriculum Framework-2005 (NCF). 23 States have revised their curriculum as per the NCF 2005. 10 States/UTs are following NCERT syllabus while 3 UTs have adopted textbooks of neighboring States or NCERT textbooks.

m) Thirty five universities have started centersfor studying social exclusion and inclusive policy for minorities and scheduled castes and scheduled tribes. UGC has established 2328 Centres of Equal Opportunity for Minorities SC/ST/OBCs in 23 Central Universities, 114 State Universities, 12 Deemed Universities and 2179 Colleges and Rs. 46.07 crore released during the 11th Five Year Plan.

n) The Centrally Sponsored Scheme in the XII Plan inter-alia envisages establishment of Block Institutes of Teachers Education in 196 SC/ST/MCDs, depending upon the criterion for which the district has been identified for setting up the BITE. The scheme has covered 15 States/ UTs. Up to 2015-16, 30 BITES have been approved in 9 States.

22.4 Ministry of Minority Affairs:

An expert group, constituted to study and recommend the structure and functions of an Equal Opportunity Commission (EOC), submitted its report on 13th March, 2008, the concept of diversity index has been subsumed in the EOC. The draft Bill for EOC, formulated in consultation with the Ministry of Law & Justice, was also approved by the Cabinet in its meeting held on 20.02.2014. However, before the Bill could be introduced in the Parliament, General Elections were held and a new Government was formed. As such, as per the extant Guidelines, the proposal for setting up of EOC was re-circulated for inter-ministerial consultations, before its reconsideration by the Cabinet. The Ministry has received divergent views from various Ministries/Departments on the draft Cabinet Note and the matter is under further examination in the Ministry with various stakeholders.

Waqf (Amendment) Bill, 2013 has been passed by both the Houses of Parliament and the Waqf Amendment Act, 2013 has come into force.

The Government has incorporated National Waqf Development Corporation (NAWADCO) with an authorized capital of Rs. 500 crore and paid up capital of Rs.100 crore to finance the development of waqf properties for public purpose in the country.. The contribution of NMDFC in the authorized share capital will be 49%, Central Waqf Council 9% and 42% by individual Waqf institutions and the public.

The Government has accorded 'in-principle' approval for restructuring of National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC). In pursuance of the decision taken by the Cabinet in its meeting held on 10.02.2015, the Ministry has constituted a High Level Committee on 22.06.2015 to facilitate restructuring of NMDFC. The proposal of the Ministry to increase the authorized share Capital of NMDFC from Rs. 1,500 crore to Rs. 3,000 crore has also been approved by the Cabinet. The Cabinet has also approved the restructuring of NMDFC on the lines proposed by the Ministry. A High level committee has been set up oversee restructuring of NMDFC.

An inter-ministerial Task Force constituted to devise an appropriate strategy and action plan for developing 338 identified towns having substantial minority population, submitted its report on 8th November, 2007. The concerned Ministries/Departments have been advised to give priority to these 338 towns in the implementation of their schemes. The following were the broad recommendations of the Inter-ministerial Task Force:

The identified deficiencies in educational and health infrastructure are to be attended by Min. of Women & Child Development, Deptt. of School Education & Literacy, Deptt. of Higher Education, Min. of Skill Development & Entrepreneurship (erstwhile Min. of Labour & Employment) and Min. of Health & Family Welfare. The identified deficiencies in basic civic amenities are to be attended on priority by Min. of Urban Development and M/o of Housing & Urban Poverty Alleviation.

(a) Three scholarship schemes for minority communities namely, Pre-matric scholarship scheme for classes-I to X, Post-matric scholarship scheme for classes XI to PhD and Merit-cum-means based scholarship scheme for technical and professional courses at under-graduate and post-graduate levels are under implementation. Further, a fellowship scheme called Maulana Azad National Fellowship scheme for M.Phil and Ph.D. scholars is also under implementation, through University Grants Commission.

(b) The Government has also undertaken to increase the corpus of Maulana Azad Education Foundation (MAEF) so that it can provide grants-in-aid for infrastructure development of

educational institutions and NGOs and scholarships to meritorious girl students. The present Corpus of MAEF is Rs. 1,136 crore.

(c) A revised Coaching and Allied scheme was launched in 2006-07 so that more and more minorities qualify in entrance examinations of technical education as well as in Government and other jobs.

(d) Multi-sectoral Development Programme (MsDP) was launched in 90 identified minority concentration districts in 2008-09. Later, the Government restructured Multi-sectoral Development Programme for implementation during 12th Plan. The unit of planning has been changed from districts to blocks/towns/cluster of villages. 710 blocks and 66 towns have been identified for implementation during the 12th Five Year Plan.

22.5 Ministry of Statistics and Programme Implementation:

A National Data Bank, to compile data on the various socio-economic and basic amenities parameters for socio-religious communities, has been set up in the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI). Around 200 tables on population (Census 2001 and Census 2011) have been uploaded on the website of the MoSPI (up to 30.09.2016).

22.6 NITI Aayog (erstwhile Planning Commission):

(a) An autonomous Assessment & Monitoring Authority (AMA), to analyze data collected for taking appropriate and corrective policy decisions, was set up in the Planning Commission. After the end of term of the AMA on 15th January, 2011, the Planning Commission reconstituted the AMA and the newly reconstituted AMA formed three Working Groups. All the three Working Groups submitted their report to Planning Commission on 12.05.2014. The AMA, *inter alia*, recommended for having a regular institution of AMA with its own Secretariat to periodically monitor and review the efficacy of programmes and to suggest policy measures. The NITI Aayog (erstwhile Planning Commission) has advised that the AMA may be located in the M/o Minority Affairs. The issue regarding location of AMA is under consideration. Meanwhile, the report of the AMA has been circulated to all the States/UTs and the Ministries/Departments of the Central Government for necessary action.

(b) A three-tier institutional structure for skill development was functioning till May, 2013 at the Central level involving the Prime Minister's National Council on Skill Development (PMNCSD), National Skill Development Co-Ordination Board (NSDCB) under the Planning Commission and the National Skill Development Corporation (NSDC). However, as per a decision of the Union Cabinet the PMNCSD, NSDCB and O/o Adviser to PM on Skill Development has been subsumed in the National Skill Development Agency (NSDA). The NSDA is an autonomous body under the M/o Skill Development and Entrepreneurship and has been set up, *inter alia*, to coordinate and harmonize the Skill Development efforts of the Government and the Private Sector to achieve the skilling targets of the 12th Plan and beyond and endeavor to bridge the Social, Regional, Gender and Economic Divide.

22.7 Department of Personnel and Training:

(a) Department of Personnel & Training has developed training modules for sensitization of government officials for the welfare of minorities. These modules have been sent to the Central/

State TrainingInstitutesfortraining.

(b) State Governments and Union Territory Administrations have been advised by Department of Personnel &Training for posting of Muslim police personnel in Thanas and Muslim health personnel and teachers in Muslim concentration areas.

DoPT has issued instructions to Ministries of HRD, Home Affairs and Health & Family Welfare for issuing necessary guidelines regarding posting of Muslim police personnel in Thanas and Muslim health personnel and teachers in Muslim concentration areas. In response, suitable circulars have been issued by MHA, Ministry of Health and Ministry of Family Welfare and M/o HRD in this regard. Department of Personnel and Training has reported that during 2014-15, 79 Ministries/Departments, Central Public Sector enterprises (CPSEs), Public Sector Banks, Financial institutions, etc. have recruited 18,822 minority candidates, which works out to 8.56% of the total recruitments made (figures provisional).

22.8 Ministry of Home Affairs:

(a) A High Level Committee, set up to review the Delimitation Act, has considered the concerns expressed in the Sachar Committee report regarding anomalies with respect to reserved constituencies under the delimitation schemes and submitted its Report. The Delimitation Act as suggested by the High level Committee was considered by a Group of Ministers and the same was placed before the Cabinet. On the basis of the decision of the Cabinet, the Delimitation (Amendment) Ordinance 2008 was promulgated which was later replaced by the Delimitation Act, 2008.

(b) A Working Group in the National Advisory Council (NAC) drafted a Bill titled “Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice & Reparations) Bill, 2011”. The NAC sent the Bill to Ministry of Home Affairs on 25.07.2011. The same was examined and subsequently a new Bill titled “The Prevention of Communal Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2013” was prepared, which was approved by the Cabinet on 16.12.2013. Notice was given in the RajyaSabha on 20.01.2014 for introduction of the Bill titled “The Prevention of Communal Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2014” in the winter session of Parliament. However, the House, after discussion in the RajyaSabha on 05.02.2014, deferred its introduction. The Bill titled “The Communal Violence (Prevention, Control and Rehabilitation of Victims) Bill, 2005” which was pending in the RajyaSabha was withdrawn on 05.02.2014.

22.9 Ministry of Urban Development and Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation:

(i) For facilitating the flow of funds under the Jawarharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM), four schemes e.g. Urban Infrastructure & Governance (UIG), Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT), Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP) and Basic Services for Urban Poor (BSUP) are under implementation in towns and cities, having a substantial concentration of minority population. Necessary steps have been taken to ensure that Detailed Project Reports (DPRs) for such towns and cities include adequate provisions for minorities.

(a) Under UIG, Rs. 2,477.73crore has been sanctioned for 18 cities having substantial minority population upto 20.09.2016..

(b) Under UIDSSMT, Rs. 222.34crore has been sanctioned for 7 towns having substantial minority population up to 20.09.2016.

(c) Under IHSDP, projects costing Rs. 2,171.53 crore, for 138 towns having substantial minority population, have been sanctioned up to 20.09.2016.

(d) Under BSUP, Rs. 5,894.89 crore has been sanctioned for 24 towns, up to 20.09.2016.

(ii) Governments of Andhra Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Karnataka, Punjab, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Lakshadweep, Chandigarh, Puducherry and Kerala have given exemption to Waqf Board properties from Rent Control Act, while Assam, Gujarat, Haryana, Meghalaya and NCT of Delhi have stated that the matter is under consideration. Arunachal Pradesh, Daman & Diu, Mizoram, Sikkim and Nagaland have informed that no Waqf property exists in these States. Odisha, Manipur and Andaman & Nicobar Islands have clarified that there are no Rent Control Acts.

22.10 Ministry of Labour and Employment:

An Act has been passed by the Parliament for providing social security to workers in the un-organized sector, which, inter-alia, includes home based workers.

22.11 Ministry of Culture:

Meetings of circles of Archeological Survey of India have been held with State Waqf Boards to review the list of Waqf properties which are under the Archeological Survey of India(ASI). The list of Waqf properties which are centrally protected has been prepared by ASI and circulated to the concerned authorities with the direction to hold meetings with respective State Waqf Boards. The Ministry of Culture is holding regular meeting viz., Central Waqf Council to review the list of Waqfs under the ASI.

22.12 Ministry of Health and Family Welfare:

Dissemination of information regarding health and family welfare schemes is being undertaken in regional languages in minority concentration areas.

22.13 Ministry of Panchayati Raj & Ministry of Urban Development:

Ministry of Urban Development have informed that the following States/UTs have taken action for improving the representation of minorities in local bodies- Andhra Pradesh, Chandigarh, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Daman & Diu, Haryana, Tamil Nadu, Odisha and West Bengal. Andaman Nicobar Islands Administration informed that no community has been declared as minority community in Islands either on religious or linguistic grounds. However, the present council consists of member belonging to minority communities who has been elected in normal course of municipal election. Arunachal Pradesh has stated that 'the whole State is inhabited by various ethnic Tribal Groups having distinct identities and culture. They enjoy the privileges and social rights as Scheduled Tribe. Thus, it has not constituted Urban Local Bodies (ULBs) so far. The Government of Chhattisgarh is considering the matter. There is no representation of minorities in ULBs in Goa. In Himachal Pradesh there is no provision in HP municipal Acts for representation of minorities in ULB.

M/o Panchayati Raj has issued requisite advisory letter to all the State Governments for improving representation of minorities in local bodies on the lines of the initiative taken by the Andhra Pradesh government. Ten States/UTs have informed that suitable provisions exist in the relevant Act for providing representation of minorities or there is adequate representation of minorities in

Rural Local Bodies. States/UTs of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Tripura, Uttarakhand, West Bengal, Andaman & Nicobar, Lakshadweep, Goa, Meghalaya, Mizoram and Nagaland are non-Part of IX State. Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Chandigarh and Daman & Diu have informed that either no provision exists for separate representation of minorities or it is not feasible to make such provision.

22.14 Ministry of Information & Broadcasting:

The Ministry of Minority Affairs and Ministry of Information & Broadcasting has been regularly releasing advertisements, features of various themes associated with minority welfare covering issues such as scholarship schemes and initiatives taken in pursuance of the Sachar Committee Report.

CHAPTER-23

HAJ DIVISION

23.1 The work related to management of Haj pilgrimage including administration of the Haj Committee Act, 2002 and Rules made there under has been transferred from the Ministry of External Affairs to the Ministry of Minority Affairs from 1st October, 2016. Accordingly, a separate Division in the Ministry headed by Joint Secretary (Haj) has been set up to look after the Haj affairs. 24 posts at different levels have also been approved for manning the Haj Division.

23.2 The Ministry manages the Haj work in coordination with Ministry of External Affairs, Ministry of Civil Aviation, Ministry of Health, Haj Committee of India (HCOI) and Consulate General of India (CGI), Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. The Ministry also looks after all the matters related to Haj Committee of India, a Statutory body established under the Haj Committee Act, 2002, accord necessary approval to the Haj related proposals of CGI, Jeddah, selection of administrative and medical/ paramedical officials on short term deputation to CGI, Jeddah, registration of Private Tour Operators (PTOs) and allocation of Haj Quota to PTOs' etc.

23.3 Haj is the largest overseas activity undertaken by Government of India outside Indian borders. Although it is only a five day long religious congregation, it virtually is a yearlong managerial exercise. Indian pilgrims constitute the third largest national group performing the Haj. In Haj 2016, a total of 1,35,903 pilgrims undertook the Haj pilgrimage.

23.4 For Haj 2016, Government of India deputed 539 officials (Coordinators, Assistant Haj Officer, Haj Assistants, Doctors and Paramedical staff) and supplied medicines and medical equipment worth Rs 1.38 Crore to Consulate General of India, Jeddah. Consulate General of India, Jeddah established main office in Makkah and Madinah, 13 branch offices in Makkah, 3 branch offices in Madinah, offices with dispensaries at Jeddah and Madinah Haj Terminals, a 40-bedded hospital in Makkah, a 40-bedded hospital in Azizia region of Makkah, 13 branch dispensaries in Makkah, a 10-bedded main dispensary in Madinah and 3 branch dispensaries in Madinah.

23.5 Government of India attaches high priority to Haj pilgrimage. It has been the constant endeavor of Government to address issues related to Haj pilgrimage and to make improvements in the arrangements for the Haj pilgrims. To provide better facilities and amenities for Haj pilgrims, several initiatives have been undertaken. These include Online submission of Haj Application form to Haj Committee of India and providing e-payment option to pilgrims; Improvement of amenities for Haj pilgrims in buildings in Makkah and Madinah; Strengthening of transport arrangements for Hajis accommodated in Azizia; Strengthening of medical services for Haj pilgrims; Streamlining of air travel arrangements for Hajis by ensuring effective management of timely arrival and departure of flights; Speedy and effective online complaint management system; Use of Mobile Phone Application "Indian Hajis Information system" with information for Indian pilgrims; 24x7 helpline, toll free number and use of Whatsapp and SMS for providing timely information; Procurement of Adahi coupons through Islamic Development Bank on optional basis; Provision of travel by metro train in Mashaer region for pilgrims going through Haj Committee of India;

Meeting of Chairpersons and Executive Officers of all State/ UTs Haj Committees with the Haj Committee of India

23.6 Preparations for Haj 2017 have already been initiated by the Ministry and other related agencies/ organizations. The arrangements made for Haj 2016 were intensively reviewed on 7th November, 2016 in a meeting with representatives of Ministry of External Affairs, Ministry of Civil Aviation, Haj Committee of India, Consulate General of India, Jeddah, Air India and others. After a thorough review, the mandate for different agencies for Haj 2017 was finalized. The Ministry has taken steps to complete planning and execution of all major activities in a timely fashion both for Haj operations of HCoI as well as for private tour operators. The Ministry has also launched a new website for Haj namely www.haj.gov.in on 20th December, 2016. Haj Committee of India has launched an android based mobile application on 02.01.2017. Application for Haj can be made and payment can also be made directly on the app. The Guidelines, Application and E-payment modules are available on the app. It is available on Google Playstore.

Launch of Haj Division Website by Hon'ble Minister ShriMukhtar Abbas Naqvi on December 20, 2016 at New Delhi.

23.7 A High Level Delegation led by Shri Mukhtar Abbas Naqvi, Minister of State (Independent

Charge) for Minority Affairs visited Saudi Arabia for the bilateral meeting held on 11th January, 2017 with the officials of the Saudi Arabian Ministry of Haj and Umra to discuss the arrangements and requirements of the Indian pilgrims for the year 1438H (2017). The Annual Bilateral Haj Agreement for Haj 2017 between India and Saudi Arabia was signed during the meeting. As per the Agreement, the Government of Saudi Arabia has increased the quota of Indian Pilgrims from 1,36.020 to 1,70,025 pilgrims for Haj 2017.

Bilateral Agreement For Haj 2017 Between India Saudi Arabia With Haj Minister of Saudi Arabia H.E. Dr Mohammad Saleh Benten At Jeddah

CHAPTER-24

RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

24.1 In accordance with the provisions of Section 4(1)(b) of the Right to information Act,2005 this Ministry has uploaded all the relevant information viz the Ministry's organizational set-up, functions and duties of its officers and employees, records and documents available in the Ministry, etc. in the Ministry's website www.minorityaffairs.gov.in. for information and guidance of the general public. This also provides information about the schemes, projects and programmes being implemented by the Ministry and its various organizations.

24.2 To promote greater transparency and accountability, all the details, Frequently Asked Questions (FAQ), statistics of achievements under each Scheme/Programme implemented by the Ministry are hosted on the website of the Ministry and updated regularly. Under the various scholarship schemes, the State Governments display the lists of the names of students awarded scholarships on their websites to which a hyper link is provided in the website of the Ministry. Further, under the MsDP, the States/UTs submit photographs of the ongoing and completed works which are also hosted on the Ministry's website. The Ministry also has a dedicated helpline to provide information and address the doubts of beneficiaries about the schemes/programmes in the Ministry.

24.3 The Ministry of Minority Affairs has designated twelve CPIOs and six First Appellate Authorities under this Act. In 2016-17 (upto 31st December, 2016), 815 RTI applications and 103 Appeals online under the RTI Act were received.

CHAPTER-25

GOVERNMENT AUDIT

25.1 During the audit of accounts of this Ministry for the year 2015-16 office of the Director General of Audit, Central Expenditure, New Delhi have proposed a draft para on “Parking of funds of Rs. 937.00 crores to avoid lapse of Budget”.Scholarship Division of the Ministry have furnished their comments to audit office for further review at their end.

CHAPTER-26

SWACHH BHARAT MISSION

26.1 With the aim to make India clean and Open Defecation Free by 2nd October, 2019, Hon'ble Prime Minister has desired that all Central Government Ministries should observe swachhtaPakhwada in a calendar year.

26.2 A meeting of Nodal Officers of Swachh Bharat Mission in the Central Government Ministries chaired by Addl. Secretary. Ministry of Drinking Water and Sanitation was held in the conference Hall, 4th Floor, ParyavaranBhavan, CGO Complex, New Delhi on 01.02.2016 to discuss and finalize the modalities of the SwachhtaPakhwada. SwachhtaPakhwadawas observed by this Ministry from 16th November, 2016 to 30th November, 2016.

26.3 The following activities were taken during the Pakhwada :-

The Swachhta Pakhwada was kick started by Shri Ameising Luikham, Secretary, Ministry of Minority Affairs(MoMA) at 7.30 am on 16 December 2016 at the Pt. Deen Dayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex. The officials were divided into different teams which took up the cleaning of different areas surrounding the Office Block. The Secretary also addressed the officials and encouraged them to continue the cleanliness drive after the Pakhwada also.

The Ministry team lead by Shri S K Dev Verman, Joint Secretary, visited the Gurudwara Rakab Ganj at 8am on 19 December 2016 and along with the Management members and others took up the cleaning of the areas around the Gurudwara. NDMC staff was also roped in for the purpose. The Ministry team later interacted with the Gurudwara officials who appreciated the initiative and requested that more such campaigns may be taken up.The Ministry also handed over four Trash bins to the Gurudwara.

A half Day workshop on Swachhta was organised by the Ministry on 19 December at Scope Complex to create awareness on the program. Officials from the Ministry and from the attached offices of the Ministry attended the Workshop along with special invitees from Buddhist Monastery and Rakab Ganj Gurudwara. Professor Warsi, ex-CLM and presently VC of Maulana Azad University Jodhpur also attended the same which was inaugurated by Shri Luikham, Secretary, Minority Affairs. The speakers highlighted the importance of cleanliness in everyday life and its general positive effect.

A team of 28 officials and staff of the Ministry of Minority Affairs conducted Cleanliness Drive at Lakshmi Narayan Mandir (Birla Mandir), Mandir Marg, New Delhi yesterday morning on 20th December 2016 under the Swachhta Pakhwada being observed in the Ministry. The team reached at mandir premises early in the morning at 7:45 AM and in about two hours completely cleaned the Mandir premises removing all the dust and other rubbish. A team from New Delhi Municipal Corporation has also rendered necessary help in this endeavor.

A team of 30 officials and staff of the Ministry of Minority Affairs conducted Cleanliness Drive at Hanuman Mandir at Baba Kharak Singh Marg, New Delhi today morning on 21st December 2016 under the Swachhta Pakhwada being observed in the Ministry. The team reached at Mandir premises early in the morning at 7.45 AM and in about two hours completely cleaned the Mandir premises removing all the dust and other rubbish. A team from New Delhi Municipal Corporation has also rendered necessary help in this endeavor.

26 participants took part in the Slogan writing competition organised by the Ministry. 26 participants took part in the Slogan POSTER DRAWING competition organised by the Ministry of Minority Affairs

A team of 24 officials and staff of the Ministry of Minority Affairs conducted Cleanliness Drive at Sri Digambar Jain Lal Mandir, Chandni Chowk, Opposite Red, Fort, New Delhi on 26th December 2016 under the Swachhta Pakhwada being observed in the Ministry. The team reached at mandir premises early in the morning at 7:45 AM and in about two hours completely cleaned the Mandir premises removing all the dust and other rubbish. A team from Municipal Corporation of Delhi has also rendered necessary help in this endeavor.

A team of 24 officials and staff of the Ministry of Minority Affairs conducted Cleanliness Drive at Sri Digambar Jain Lal Mandir, Chandni Chowk, Opposite Red, Fort, New Delhi on 26th December 2016 under the Swachhta Pakhwada being observed in the Ministry. The team reached at mandir premises early in the morning at 7:45 AM and in about two hours completely cleaned the Mandir premises removing all the dust and other rubbish. A team from Municipal Corporation of Delhi has also rendered necessary help in this endeavor.

A team of 28 officials and staff of the Ministry of Minority Affairs conducted Cleanliness Drive at Monastery Buddha temple (Ladakh Buddhist Vihara), Bela Road, ISBT Kashmere Gate, Railway Colony, Civil Lines, New Delhi on 26th December 2016 under the Swachhta Pakhwada being observed in the Ministry. The team reached at temple premises early in the morning at 7:45 AM and in about two hours completely cleaned the temple premises removing all the dust and other rubbish. A team from New Delhi Municipal Corporation has also rendered necessary help in this endeavor.

26.4 All the subordinate/ attached organizations, Statutory Bodies, PSUs etc working under this Ministry also participated in the SwachhtaPakhwada .

26.5 This Ministry is dedicated and committed to make the Swachh Bharat Mission of Ho'ble Prime Minister successful and visible on ground in letter and spirit within target date and to continue the same atmosphere in future.

CHAPTER-27

CITIZEN's CLIENT's CHARTERS AND GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

27.1 The Citizen's/Clients Charter of the Ministry for the year 2013-2014 which is Sevottam compliant and a mandatory requirement was prepared and uploaded on the Cabinet Secretariat's website on 29th May 2014.

27.2 A screen shot showing the CPGRAMS link for grievance redressal mechanism of the Performance Management Division of the Cabinet Secretariat has been uploaded on the Ministry's website.

Annexure-I

Sl No.	Post / Pay Band / Grade Pay / Group	Sanctioned Strength	Working Strength	Vacancy
1.	SECRETARY/ Rs.80,000/- Fixed/ Gr. 'A'	01	01	00
2.	JOINT SECRETARY/ G.P. 10000/- / Gr. 'A'	04	04	00
3.	Dy. Director General (ISS Cadre)	01	01	00
4.	DIRECTOR/ DEPUTY SECRETARY/ G.P. 8700/- / 7600/- Gr. 'A'	08	05	03
5.	JOINT DIRECTOR (OL) GP: 7600/-	01	00	01
6.	UNDER SECRETARY/ G.P. 6600/-/ Gr. 'A'	15	14	01
7.	STS Officer (Dy. Director) (ISS Cadre)	01	01	00
8.	ASSISTANT DIRECTOR/ G.P. 5400/- / Gr. 'A'	03	01	02
9.	RESEARCH OFFICER/ 5400/- / Gr. 'A'	01	00	01
10.	ASSISTANT DIRECTOR (OFFICIAL LANGUAGE)/ G.P. 5400/- /Gr. 'B'	01	01	00
11.	SECTION OFFICER/ G.P. 4800/- / Gr. 'B'	10	06	04
12.	PSO	01	01	00
13.	PPS GP Rs.6600/-	04	03	01
14.	ASSISTANT SECTION OFFICER / G.P. 4600/- / Gr. 'B' (NG)	14	10	04
15.	SR. RESEARCH INVESTIGATOR/ G.P. 4200/- / Gr. 'B' (NG)	04	02	02
16.	SENIOR INVESTIGATORS/ G.P. 4200/- / Gr. 'B' (NG)	04	00	04
17.	ACCOUNTANT/ G.P. 4200/- / Gr. 'B' (NG)	01	00	01
18.	PRIVATE SECRETARIES/ G.P. 4800/- / Gr. 'B'	05	04	01
19.	STENO GRADE 'C'/PA G.P. 4600/- / Gr. 'B' (NG)	10	07	03
20.	SENIOR HINDI TRANSLATOR/ G.P. 4600/- /Gr. 'B' (NG)	01	01	00
21.	JUNIOR HINDI TRANSLATOR Rs.4200/-	03	01	02
22.	STENO GRADE 'D'/ G.P. 2400/- Gr. 'C'	05	03	02
23.	UDC. /G.P. 2400/ Gr. 'C'	01	00	01
24.	STAFF CAR DRIVER G.P. 1900/- / Gr. 'C'	02	01	01
25.	MTS/ G.P. 1800/- / Gr. 'D'	14	08	06
26.	ASSISTANT DIRECTOR (URDU) G.P. 5400/- / Gr. 'B'	01	00	01
27.	Sr. TRANSLATOR (URDU) G.P. 4600/- / Gr. 'B' (NG)	01	01	00
28.	TYPIST (URDU) G.P. 1900/- / Gr. 'C'	01	00	01
Total		**118**	**76**	**42**

Annexure-II

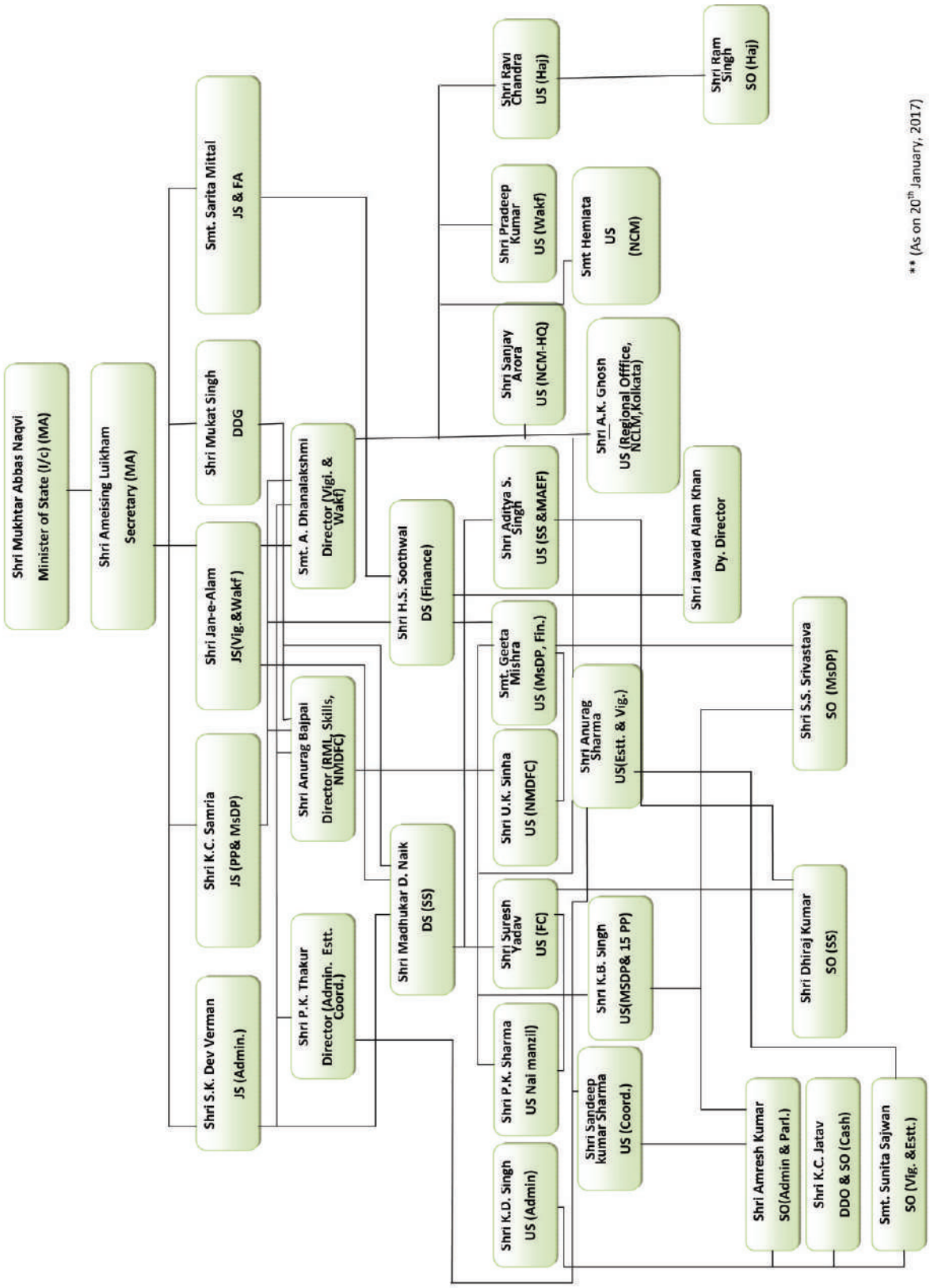

** (As on 20th January, 2017)

Annexure-III

Statement showing Scheme/Programme-wise Twelth Five Year Plan (2012-2017) Allocation, Budget Estimates, Revised Estimates 2016-17 Actual Expenditure (upto 31.12.2016) and Budget Estimates 2017-18

(Rs.incrore)

S.No.	Name of the Scheme	Twelth Plan Allocation	Budget Estimates 2016-17	Revised Estimates 2016-17	Expenditure upto 31.12.2016	Budget Estimates 2017-18
1	Grants-in-aid to Maulana Azad Education Foundation	500.00	113.00	114.00	113.00	113.00
2	Free Coaching & Allied Scheme for Minorities	120.00	45.00	40.00	25.49	48.00
3	Contribution of Equity of NMDFC	600.00	140.00	140.00	140.00	170.00
4	Research/studies, monitoring & evaluation of development schemes for Minorities including publicity	220.00	45.00	50.00	16.69	50.00
5	Grants-in-Aids to State Channelizing Agencies (SCAs) engaged for implementation of NMDFC programmes	10.00	2.00	1.63	0.97	2.00
6	Scheme for Leadership Development of Minority Women	75.00	15.00	15.00	13.76	15.00
7	Maulana Azad National Fellowship for Minority Students	430.00	80.00	120.00	79.91	100.00
8	Computerization of records and strengthening of Waqf Boards	52.00	13.00	13.00	10.12	13.00
9	Interest subsidy on Educational loans for Overseas Studies	10.00	4.00	5.32	4.00	8.00
10	Scheme for containing population decline of small minorities	10.00	2.00	1.55	0.89	2.00
11	Skill Development Initative	60.00	210.00	210.00	54.29	250.00
12	Support for Students clearing Prelims conducted by UPSC, SSC, State Public Service Commission	18.00	4.00	4.30	2.98	4.00
13	Merit-cum-Means based scholarship for professional and technical courses for undergraduate and post graduates	1580.00	335.00	395.00	0.09	393.54
14	Muti-sectoral Development Programme for Minorities	5788.00	1125.00	1059.00	671.73	1200.00
15	Pre-matric Scholarship for Minorities	5000.00	931.00	931.00	0.00	950.00
16	Post-matric Scholarship for Minorities	2850.00	550.00	550.00	0.00	550.00
17	Upgrading Skill and Training in Traditional Arts/Crafts for Development (USTAAD)		20.00	20.00	11.69	22.00
18	HamariDharohar		11.00	8.00	5.93	12.00
19	NaiManzil		155.00	120.00	0.00	175.95
	Total	**17323.00**	**3800.00**	**3797.80**	**1151.54**	**4078.49**

Non-Plan

S. No.	Name of Deptt./Scheme	BE 2016-17	RE 2016-17	Expenditure upto 31.12.2016	BE 2017-18
1.	Sectt./Ministry of Minority Affairs	13.59	16.71	11.95	17.66
2.	National Commission for Minorities	7.66	7.82	5.29	8.41
3.	Commission of Linguistic Minorities	2.82	2.12	1.56	2.74
4.	Grants-in-aid to Waqf	3.18	2.80	2.80	3.18
5.	Expenditure on Haj	-	-	-	85.00
	Total	**27.25**	**29.45**	**21.60**	**116.99**

Annexure-IV

Multi sectoral Development Programme (MsDP) for Minority Concentration Districts (MCDs)- Approval for 11th Five Year Plan

Financial Progress Report as per reports receievd from States/UTs

Sl. No.	State	Total approvals	Amount released by MoMA	Expenditure as reported by the States/UTs	**Percentage Expenditure w.r.t. releases**
			Total amount released	Total Expenditure	
1	Uttar Pradesh*	100300.85	79012.30	72393.97	91.62
2	West Bengal	68579.68	61139.52	60398.12	98.79
3	Assam	69275.35	46892.62	42483.4	90.60
4	Bihar*	52280.58	40563.07	25955.96	63.99
5	Manipur	13912.58	12043.01	10665.83	88.56
6	Haryana	4919.90	4187.89	2910.29	69.49
7	Jharkhand	17997.54	13944.70	11342.24	81.34
8	Uttrakhand	5227.77	3235.84	2952.3	91.24
9	Maharashtra	5993.93	5671.69	5045.59	88.96
10	Karnataka	3914.40	3793.15	3196.36	84.27
11	Andaman & Nicobar Island	1242.85	68.25	68.25	100.00
12	Odisha	3129.92	2562.21	2558.48	99.85
13	Meghalaya	3047.65	3047.65	3039.64	99.74
14	Kerala	1500.00	1462.92	1452.55	99.29
15	Mizoram	3895.33	2724.93	2716.68	99.70
16	Jammu & Kashmir	1506.21	1349.61	1343.79	99.57
17	Delhi	2191.15	1099.73	730.98	66.47
18	Madhya Pradesh	1493.30	1398.30	963.15	68.88
19	Sikkim	1268.59	1100.02	919.53	83.59
20	Arunachal Pradesh	11711.70	8232.15	8232.15	100.00
	Total	**373389.28**	**293529.56**	**259369.26**	**88.36**

* Various types of projects with central share of Rs. 107 crore of State Govt. of Bihar and Rs. 23.53 crore of State Govt. of Uttar Pradesh approved during 11th Five Year Plan have been dropped by the State Governments and alternate proposals have been/are being approved during 12th Five Year Plan.

Annexure-V

Multi sectoral Development Programme (MsDP) for Minority Concentration Blocks/Towns (MCBs/MCTs) for 11th Five Year Plan

Physical Progress Report

S.No	State		Education						Skill Development		Health	Aganwadi Centre	Drinking Water	Pucca Housing	Misc.
			School building	Additional class rooms	Hostels	Lab equip.	Toilet & DW in School	Teaching aid	ITI Building	Polytechnic	Total of Health	AWC	Hand pumps/ DWS	IAY	
1	Uttar Pradesh	U.S.	61	667	12	2	1578	0	32	19	870	9336	12510	84480	0
		U.C	25	512	7	0	826	0	11	1	651	7777	10070	74377	0
		WIP	35	102	5	0	0	0	21	18	41	850	119	2785	0
2	West Bengal	U.S.	41	6965	39	60	66	40	6	3	743	7007	6529	37532	0
		U.C	34	6940	38	60	56	40	4	3	740	6910	6529	37526	0
		WIP	7	25	1	0	20	0	2	0	3	71	0	4	0
3	Assam	U.S.	0	3557	38	50	294	16	15	1	133	2077	11192	89836	0
		U.C	0	345	4	0	144	0	0	0	83	604	4279	53575	0
		WIP	0	774	13	0	4	0	6	0	10	1025	3447	20357	0
4	Bihar	U.S.	92	2056	41	53	1360	0	3	2	249	4835	2533	35657	3
		U.C	56	1082	10	37	404	0	0	0	102	1374	1746	14962	0
		WIP	32	473	18	4	75	0	2	2	102	1030	787	16777	0
5	Manipur	U.S.	375	0	35	0	0	0	1	0	152	75	679	5940	1
		U.C	199	0	1	0	0	0	0	0	70	60	422	5940	0
		WIP	176	0	11	0	0	0	1	0	82	15	224	0	1
6	Haryana	U.S.	8	183	0	0	0	0	1	0	6	142	0	2000	0
		U.C	6	123	0	0	0	0	0	0	0	90	0	2000	0
		WIP	8	32	0	1	0	0	0	0	6	0	19	0	0
7	Jharkhand	U.S.	0	28	8	0	0	1	8	2	237	1335	0	9215	0

		U.C	0	3	0	0	0	1	1	0	173	1008	0	8764	0
		WIP	0	0	8	0	0	0	3	1	46	236	0	450	0
8	Uttrakhand	U.S.	2	69	0	0	17	0	1	2	24	455	914	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	597	0	0
		WIP	2	68	0	0	17	0	1	2	19	43	11	0	0
9	Maharashtra	U.S.	0	0	6	0	0	0	0	0	0	626	0	11670	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	10471	0
		WIP	0	0	4	0	0	0	0	0	0	148	0	1028	0
10	Karnataka	U.S.	0	50	30	0	0	0	0	0	36	366	0	4400	0
		U.C	0	47	12	0	0	0	0	0	24	277	0	3479	0
		WIP	0	4	18	0	0	0	0	0	15	89	0	237	0
11	Andaman & Nicobar Island	U.S.	0	0	0	0	0	25	1	0	0	35	0	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	12	0	0	0	11	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	13	0	0	0	15	0	0	0
12	Odisha	U.S.	0	11	0	0	64	0	2	0	15	151	0	5740	0
		U.C	0	11	0	0	58	0	0	0	15	151	0	5740	0
		WIP	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0
13	Meghalaya	U.S.	1	54	5	0	0	0	0	0	0	81	1301	5000	0
		U.C	1	54	5	0	0	0	0	0	0	81	1301	5000	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kerala	U.S.	0	38	0	0	0	0	0	1	10	0	3	0	0
		U.C	0	38	0	0	0	0	0	1	10	0	3	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mizoram	U.S.	17	37	9	0	0	0	0	0	23	221	24	2758	0
		U.C	17	36	5	0	0	0	0	0	16	158	10	2480	0
		WIP	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	14	0	0
16	Jammu & Kashmir	U.S.	0	15	0	0	0	0	1	1	0	40	82	0	0
		U.C	0	10	0	0	0	0	0	0	0	2	21	0	0
		WIP	0	5	0	0	0	0	0	0	0	35	61	0	0

17	Delhi	U.S.	2	80	0	0	17	0	1	0	5	0	2	0	0
		U.C	2	80	0	0	10	0	0	0	2	0	2	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
18	Madhya Pradesh	U.S.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	200	0	1000	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0	622	0
		WIP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	39	0	278	0
19	Sikkim	U.S.	6	11	0	0	0	0	0	0	1	56	4	250	0
		U.C	6	9	0	0	0	0	0	0	0	51	0	250	0
		WIP	0	2	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0
20	Arunachal Pradesh	U.S.	49	240	107	10	2	10	0	0	33	557	0	5743	0
		U.C	34	195	23	10	2	5	0	0	15	452	0	4359	0
		WIP	14	43	82	0	0	5	0	0	18	105	0	1384	0
	Total	**U.S.**	**654**	**14061**	**334**	**175**	**3398**	**92**	**72**	**31**	**2537**	**27595**	**35773**	**301221**	**4**
		U.C	**380**	**9485**	**105**	**107**	**1500**	**58**	**16**	**5**	**1901**	**19942**	**24980**	**229545**	**0**
		WIP	**274**	**1529**	**161**	**5**	**122**	**18**	**39**	**23**	**346**	**3706**	**4682**	**43300**	**1**

Abbreviation :- U.S: Unit Sanctioned, U.C.: Unit Completed, WIP: Work in Progress

IAY=Indira AwasYojana, AWC= Anganwadi Centres, ITI= Industrial Training Institute, DWS= Drinking Water Supply, ACRs= Additional Classrooms, PHC= Primary Health Centre, CHC= Community Health Centre, Mis= (IWDP- Integrated Water Development Project, District Institute of Education and Trainig (DIET), Approach Rorad, Cmpuetr with accesoriies, Libraray, Hat Sheds)

Annexure-VI

Sl. No.	State	During 12th Plan	
		Approved Central Share	Fund Released
			Rs. in lakh
1	Uttar Pradesh	119255.12	99818.68
2	West Bengal	155947.96	128302.20
3	Assam	39511.19	35684.90
4	Bihar	55577.08	35738.00
5	Manipur	10209.54	9801.67
6	Haryana	7237.55	4267.22
7	Jharkhand	9233.12	8890.14
8	Uttrakhand	7715.28	7758.51
9	Maharashtra	10644.52	5135.92
10	Karnataka	15747.21	9301.26
11	Andaman & Nicobar Island	0.00	130.16
12	Odisha	6711.19	3948.41
13	Meghalaya	2914.69	2598.81
14	Kerala	4484.14	3662.33
15	Mizoram	1396.21	2244.81
16	Jammu & Kashmir	1564.06	1251.52
17	Delhi	235.38	790.18
18	Madhya Pradesh	1396.78	929.50
19	Sikkim	2040.63	1606.72
20	Arunachal Pradesh	18970.92	16865.82
21	Andhra Pradesh	12721.69	7416.39
22	Telangana	11791.07	5887.72
23	Tripura	16222.20	11701.47
24	Punjab	2826.27	2135.81
25	Rajasthan	13953.35	7966.16
26	Gujarat	0.00	0.00
27	Chattisgarh	2009.46	1545.82
	Total	**530316.59**	**415380.09**

Annexure-VII

Multi sectoral Development Programme (MsDP) during 12th Five Year Plan

Physical Progress Report as per reports received from States/Uts

S No	State		Education									Digital Literacy under Cyber Gram	Skill Development			Health	Aganwadi Centre	Drinking Water		Pucca Housing	Income Generation Infrastructure	Misc.	Residental School	Sadbhavnadap
			Degree College	School building	Additional class rooms	Hostels	Computers in School	Lab equip.	Toilet & DW in School	Teaching aid	Free Bicycle for Girls		ITI Building	Polytechnic	Skill Training	Total of Health	AWC	Hand pumps	Drinking Water Facilities	IAY				
1	Uttar Pradesh	U.S.	9	224	492	23	112	40	399	572	0	173143	35	5	39255	200	1843	8613	158	574	0	19		
		U.C	0	4	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2139	8	399	4109	0	0	0	0		
		WIP	0	45	204	8	0	0	0	0	0	0	18	4	750	58	287	234	56	0	0	2		
2	West Bengal	U.S.	0	67	5195	204	389	0	696	10	0	170005	33	6	63720	346	5034	2933	8100	25280	60	2367		151
		U.C	0	6	2367	68	381	0	382	0	0	61484	7	2	0	82	2349	1565	2677	13785	16	0		
		WIP	0	52	960	42	8	0	314	0	0	12236	11	4	0	105	1653	1368	3697	8227	34	235		
3	Assam	U.S.	3	268	4484	77	0	69	83	0	0	0	0	0	0	357	165	3875	571	50	0	66		
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Bihar	U.S.	0	163	1471	26	0	0	26	0	0	0	0	1	0	509	72	0	8	5630	0	1		
		U.C	0	0	168	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0		
		WIP	0	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0		
5	Manipur	U.S.	0	145	173	25	0	0	20	0	1668	0	0	0	100	65	32	0	6	910	0	26		
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WIP	0	1	0	1	0	0	0	0	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

6	Haryana	U.S.	0	1	60	5	0	12	0	0	0	0	1	1	0	20	142	0	178	0	0	1		
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Jharkhand	U.S.	0	1	267	13	0	0	0	0	0	0	3	1	0	19	229	0	6	1195	0	0	1	7
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0		
		WIP	0	0	32	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	16	0	0	200	0	0		
8	Uttrakhand	U.S.	3	5	1	2	0	0	0	0	500	0	5	0	0	6	0	576	0	0	0	0		
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576	0	0	0	0		
		WIP	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
9	Maharashtra	U.S.	0	2	384	16	0	0	141	0	0	28000	2	1	0	25	82	0	0	0	0	0		
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WIP	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Karnataka	U.S.	0	38	194	54	0	0	77	0	0	0	0	0	7810	9	0	0	50	1500	0	0	3	
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WIP	0	8	40	5	0	0	17	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0		
11	Andaman & Nicobar Island	U.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Odisha	U.S.	0	0	183	5	10	1	0	0	0	0	4	0	2850	18	145	1	34	4297	4	0		
		U.C	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1854	0	0		
		WIP	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Meghalaya	U.S.	0	1	46	7	0	0	404	0	2154	0	0	0	0	31	21	563	706	1204	0	5		
		U.C	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	563	426	0	0	0		
		WIP	0	1	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	154	0	0	0		

14	Kerala	U.S.	0	28	152	0	0	0	0	0	1807	0	0	0	0	22	0	0	16	0	0	0		
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WIP	0	4	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
15	Mizoram	U.S.	0	15	43	0	60	0	12	0	0	0	2	0	0	4	17	0	1	0	1	0		
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WIP	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0		
16	Jammu & Kashmir	U.S.	0	0	29	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	64	50	0	0	0	4		
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	0	0	0	0		
		WIP	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	28	0	0	0	0		
17	Delhi	U.S.	0	0	24	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		U.C	0	0	20	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WIP	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Madhya Pradesh	U.S.	0	3	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	4		
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Sikkim	U.S.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	252	0	2		
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0		
		WIP	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	195	0	2		
20	Arunachal Pradesh	U.S.	0	36	393	110	0	5	48	0	0	0	0	0	0	32	69	0	265	1441	0	1		
		U.C	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0		
		WIP	0	4	140	18	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	11	0	258	430	0	0		
21	Andhra Pradesh	U.S.	0	11	222	13	0	0	0	0	2700	0	4	0	7125	2	20	0	0	0	0	0	3	3
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

22	Telamgana	U.S.	0	4	133	46	0	0	5	27	2896	0	2	0	4225	9	50	0	0	0	0	0	2	
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Tripura	U.S.	2	60	714	15	90	0	0	0	5470	18109	0	0	5040	59	0	0	425	5630	0	154		
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WIP	0	1	90	0	0	0	0	0	0	2071	0	0	0	8	0	0	44	165	0	0		
24	Punjab	U.S.	0	0	73	0	19	0	0	4	0	0	0	0	0	10	451	0	0	23	1	0		
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WIP	0	0	33	0	6	0	0	4	0	0	0	0	0	0	148	0	0	23	1	0		
25	Rajasthan	U.S.	2	6	274	7	10	0	0	0	0	10400	6	0	0	58	62	0	0	0	0	0		
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WIP	0	6	90	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	32	62	0	0	0	0	0		
26	Gujarat	U.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Chattisgarh	U.S.	0	0	257	3	203	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	65	0	0	0		
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Total	**U.S.**	**19**	**1081**	**15268**	**664**	**893**	**127**	**1914**	**613**	**17195**	**399657**	**97**	**16**	**1E+05**	**1983**	**8522**	**16611**	**10589**	**47986**	**66**	**2653**	**9**	**161**
		U.C	**0**	**10**	**2664**	**77**	**381**	**0**	**384**	**0**	**0**	**74293**	**7**	**2**	**2139**	**117**	**2767**	**6825**	**3103**	**15782**	**16**	**0**	**0**	**0**
		WIP	**3**	**126**	**2147**	**98**	**14**	**0**	**373**	**4**	**764**	**14389**	**38**	**9**	**750**	**242**	**2230**	**1630**	**4209**	**9240**	**35**	**239**	**0**	**0**
Abbreviation :- U.S: Unit Sanctioned, U.C.: Unit Completed, WIP: Work in Progress																								
IAY=Indira AwasYojana, AWC= Anganwadi Centres, ITI= Industrial Training Institute, DWS= Drinking Water Supply, ACRs= Additional Classrooms, PHC= Primary Health Centre, CHC= Community Health Centre, Mis= (IWDP- Integrated Water Development Project, District Institute of Education and Trainig (DIET), Approach Rorad, Cmpuetr with accesoriies, Libraray, Hat Sheds)																								